तृतीय माला, खण्ड १२—अंक २७

सोमवार, २१ जनवरी, १९६३

१ माघ, १८८४ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तीसरा सत्र—द्वितीय भाग)

(खण्ड १२ में अंक २७ से अंक ३१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ३७० से ३७३, ३७५ से ३८३ और ३९५ . १—२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७४, ३८४ से ३८८, ३९० से ३९४ और ३९६—३९९ . . . . २७—३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ८७३ से ८८६, ८८८ से ९२१ और ९२१—क ३४—५७

निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . . . ५७—५८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ५८—६०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ६१

रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य—

उमेशनगर स्टेशन पर रेलगाड़ी की टक्कर तथा महानदी पर बन रहे पुल पर दुर्घटना . . ६२—६३

श्री शाहनवाज़ खां . . . . ६२—६३

संविधान (सोलहवां संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित . . ६३

भारतीय प्रशुल्क (दूसरा संशोधन) विधेयक . . . ६४—११४

विचार करने का प्रस्ताव

श्री मनुभाई शाह . . . ६४—६५

श्री प्रभात कार . . . . ६५—६६

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा . . . ६६

श्री श्याम लाल सर्राफ . . . . ६६—६७

श्री बिशनचन्द्र सेठ . . . . . ६७—६८

श्री सोनावने ६८

श्री बड़े . ६८—७०

श्री अब्दुल वहीद . . . . ७०—७१

खंड २ से ४ और १ . . . . ७१—७२

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . ७२

श्री मनुभाई शाह ७२

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा

सोमवार, २१ जनवरी, १९६३

१ माघ, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नेफा में असैनिक प्रशासन

+

†*३७०. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री बाल्मीकी :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मंत्री :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनियों द्वारा खाली किये गये नेफा-क्षेत्र में प्रशासी व्यवस्था कायम कर दी गयी है; और

(ख) किस सीमा तक विस्थापित व्यक्ति पुनः बसा दिये गये हैं और सामान्य प्रशासन स्थापित हो गया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) चीनियों द्वारा खाली किये गये नेफा-क्षेत्र में उनके द्वारा कब्जा किये जाने के पूर्व जो प्रशासकीय व्यवस्था थी वह पुनः कायम कर दी गई है।

(ख) सुबंसिरी, सियांग और लोहित सीमान्त डिवीजनों के निष्क्रमणार्थी अपने घरों को लौट आये हैं। कामेंग सीमान्त डिवीजन के निष्क्रमणार्थी अपने क्षेत्रों की ओर वापस जा रहे हैं जहां कि असैनिक प्रशासन पुनः कायम हो चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सुबंसिरी और सियांग सीमान्त डिवीजनों के प्रायः समस्त क्षेत्रों में, लोहित सीमान्त डिवीजन में वालोंग तक और कामेंग सीमान्त डिवीजन में सेला के दक्षिण तक असैनिक प्रशासन पुनः कायम किया जा चुका है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या प्रधान मंत्री यह बतायेंगे कि यह समाचार कहां तक सही है कि चीनी यहां पर अनेक समस्याएं उत्पन्न कर गये हैं जिनमें पंचमांगियों और अन्य नौजवानों की समस्याएं भी हैं जिनके विचार छात्रवृत्तियां देकर बदल दिये गये है? यदि यह ठीक है तो क्या प्रशासन उनका सामना करने के लिये उद्यत है?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बहुत व्यापक प्रश्न है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं प्रश्न को भली प्रकार समझ नहीं सका।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : आज नेफा प्रशासन के समक्ष वह प्रमुख समस्या है। जब चीनियों न उस पर कब्जा किया था तो यह आशा थी कि जब वे उसे खाली करेंगे तो मुख्य समस्या यह होगी कि वे अनेक कठिनाइयां उत्पन्न कर जायेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है?

†**अध्यक्ष महोदय** : मूल प्रश्न यह था कि वहां किस प्रकार की प्रशासकीय व्यवस्था कायम की गई है और निष्क्रमणार्थियों को कहां तक पुनर्वासित किया गया है। अब वह अन्य समस्याओं को ले रहे हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : प्रशासकीय व्यवस्था कुछ कठिनाइयों का सामना करने के लिये कायम की गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वहां ऐसी स्थिति है?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने यह पूछा था कि क्या नौजवानों को एक विशेष विचारधारा में ढाला गया है?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : उनको छात्रवृत्तियां दी गई हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कहना उचित नहीं है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यदि आप नौजवानों के प्रश्न के सम्बन्ध में वैसा महसूस करते हैं तो उसे आप छोड़ सकते हैं। तब मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या चीनियों ने वहां अनेक प्रशासकीय समस्याएं पैदा कर दी हैं जिनमें पंचमांगियों की समस्या भी है और उस स्थिति का सामना करने के लये प्रशासन कहां तक तैयार है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जैसा कि आपने कहा, यह बड़ा विचित्र प्रश्न है। इसका मतलब यह है कि यदि वहां कोई जासूस रह गये हैं तो हम उनके साथ क्या कार्यवाही करेंगे? इसका कोई खास तरीका नहीं है....

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह बात ठीक है कि वे वहां बहुत से पंचमांगी छोड़ गये हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने ऐसी कोई खबर नहीं पढ़ी है परन्तु ऐसा संदेह किया जाता है कि वे अपने जासूस छोड़ गये हैं । जहां कहीं भी वे पकड़े जाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। कठिनाई यह है कि जासूसी का कार्य गुप्त रीति से चलता है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : वहां जो प्रशासकीय व्यवस्था की गई है क्या उसमें कोई सलाहकार और अतिरिक्त सलाहकर भी हैं और क्या वहां की प्रशासकीय व्यवस्था इस प्रकार की नहीं है जिसमें ऊपर के अधिकारियों में मतभेद है जिससे प्रशासन कमजोर होता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह ब्यौरे की बात है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि चीनी नेफा से जाते समय न केवल बहुत से नौजवान लड़कों और लड़कियों को विचार परिवर्तन हेतु ले गये हैं वरन् उन्होंने उस क्षेत्र को खूब लूटा भी है क्योंकि उन्होंने बॉमडीला क्लब में स्थित महाकवि रवीन्द्र नाथ ठाकुर की मूर्ति की नाक तोड़ दी है ? यदि ऐसा है तो क्या सरकार ने इन उत्पातों की ओर पेकिंग का ध्यान आकर्षित किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस प्रश्न की भी अनुमति नहीं दे सकता हूं ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि मुझे प्रत्येक अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में इस प्रकार तर्क करना पड़ेगा पो हम बहुत से प्रश्न नहीं निपटा सकेंगे ।

†**श्री हेम बरुआ** : यह प्रशासकीय मामला है और वे प्रशासकीय सम्पत्ति उठा ले गये हैं । सरकार का इस सम्बन्ध में क्या करने का विचार है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री कामत ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सरकार ने हाल में नेफा में शासन व्यवस्था भंग होने के पश्चात् कोई सबक सीखा है कि इस क्षेत्र को प्रशासकीय एवं सामाजिक दृष्टि से शेष आसाम और भारत से अलग रखने की पुरानी नीति उस क्षेत्र के लिये हानिकर रही है और यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कुछ नया विचार किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बहुत व्यापक विषय है जिसे अभी नहीं लिया जा सकता है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : वह प्रशासकीय व्यवस्था से सम्बन्धित है ।

श्री रामसेवक यादव : चीन से जो ख़तरा अब भी भारत को बराबर बना हुआ है उस ख़तरे का मुक़ाबला करने के लिए सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन के अतिरिक्त क्या कोई समुचित व्यवस्था कर दी गई है कि हम उस स्थिति का मुक़ाबला कर सकें ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : चीनियों का मुक़ाबला सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन के नीचे कुछ होता है, जैसे होमगॉर्ड्स और इस क़िस्म की दूसरी बातें । फ़ौज होती है । इन के अलावा और कई फौरमेशंस होते है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामसेवक यादव : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए समुचित व्यवस्था हो गई है कि अब उस इलाक़े में इस तरह का कोई खतरा नहीं होगा और अगर होगा भी तो हम उसका मुकाबला कर सकेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बतलाया तो है कि सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन के अलावा उनका मुकाबला हमें दूसरी तरह से भी करना होगा ।

†**श्री हेम बरुआ :** ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं । यदि वहां इस प्रकार शासन व्यवस्था भंग होने की दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकना है तो उन पर विचार किया जाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं मानता हूं कि वे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं परन्तु वे अनुपूरक प्रश्नों के रूप में नहीं पूछे जाने चाहियें । उन पर चर्चा की जा सकती है । आगे चलकर हम चर्चा करेंगे तथा अनेक अवसर आयेंगे ।

†**श्री रंगा :** मेरा सुझाव है कि आप सरकार को प्रशासकीय व्यवस्था के सम्बन्ध में यथाशीघ्र सभा पटल पर सूचना रखने का निदेश करें जिसमें इन सब प्रश्नों का उत्तर मिल जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि वैसा करना संभव होता तो मैं सरकार से वैसा करने के लिये आग्रह करूंगा ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** पता नहीं माननीय सदस्य असैनिक प्रशासन के सम्बन्ध में किस प्रकार की सूचना पेश करने के लिये कह रहे हैं । वहां अन्य स्थानों जैसा ही असैनिक प्रशासन है । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं वर्तमान असैनिक प्रशासन के सम्बन्ध में सूचना पेश कर सकता हूं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** इस सम्बन्ध में नये ढंग से विचार किया जाना चाहिये ।

†**श्री रंगा :** हमें जो अनुभव हुआ है क्या उसके आधार पर कोई परिवर्तन किया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मेरा निवेदन है कि सरकार अथवा यह सभा नेफा के प्रशासन के सम्बन्ध में कभी भी विचार कर सकती है परन्तु हमें जो अनुभव हुआ है वह वर्तान प्रशासन के पक्ष में ही है । बड़ी-बड़ी कठिनाइयों के बावजूद वह ठीक चलता रहा है । इस पर मतभेद हो सकता है ।

†**श्री हेम बरुआ :** परन्तु हाल में प्रधान मंत्री ने यह वक्तव्य दिया था कि नेफा सम्बन्धी नीति में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों को मेरे इशारे के बिना प्रश्न नहीं पूछना चाहिये ।

†**श्री हेम बरुआ :** स्वयं प्रधान मंत्री ने इस प्रकार का वक्तव्य दिया था कि नेफा सम्बन्धी नीति में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या प्रधान मंत्री के वैसा कहने का मतलब यह है कि सदस्यगण अध्यक्ष की अनुमति के बिना ही बोलते जायें? माननीय सदस्यों को सभा की मर्यादा कायम रखनी चाहिये ।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं क्षमा चाहता हूं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : वहां अब जो प्रशासकीय व्यवस्था है वह पहले से किस प्रकार भिन्न है और असामान्य स्थिति के कारण उत्पन्न समस्याओं का सामना करने के लिये उसे किस प्रकार दृढ़ बनाया गया है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस समय जैसी प्रशासकीय व्यवस्था है वह मूलतः पहले जैसी ही है । हां, यत्रतत्र कुछ वृद्धि की गई है जैसे होमगार्डों की । जब कोई खास काम पड़ता है तो हम कुछ परिवर्तन कर लेते हैं अन्यथा पहले जैसी प्रशासकीय व्यवस्था ही बनी हुई है । लोग अपने पुराने स्थानों को लौट रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पिछले दिनों शासन व्यवस्था भंग हो जाने से माननीय सदस्य बहुत चिंतित हैं और यह जानना चाहते हैं कि क्या गत अनुभव के आधार पर कोई परिवर्तन अथवा सुधार किया गया है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं वही बता रहा हूं । हमारा अनुभव यह रहा है कि जहा तक प्रशासन का संबंध है, वह संतोषजनक रहा है ।

†**श्री हेम बरुआ** : उसे अलग रखने की नीति के संबंध में क्या विचार है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं जिसका इससे कोई संबंध नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं उसे अलग रखने की बात कह रहा हूं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वह सर्वथा भिन्न चीज़ है । हमें अनेक दृष्टियों से विचार करना होता है अर्थात् आदिवासी क्षेत्रों पर प्रभाव, उस क्षेत्र की सुरक्षा आदि । उसे इस प्रकार संक्षेप में नहीं निपटाया जा सकता है ।

चीन-भारत सीमा-विवाद के बारे में अफ्रीकी-एशियाई देशों की प्रतिक्रिया

†*३७१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगेकि :

(क) क्या चीन-भारत सीमा-विवाद के बारे में सभी अफ्रीकी-एशियाई देशों की प्रतिक्रिया का पता लग गया है ;

(ख) क्या अधिकतर देशों ने चीनियों को आक्रमणकारी बताया है ; और

(ग) इन देशों को हमारी दृष्टिकोण बताने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां । अधिकांश अफ्रेशियाई देशों ने अपने विचार सूचित कर दिये है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) कुछ देशों ने स्पष्टतः चीनियों को आक्रमण कारी बताया है और अन्य देशों ने अपनी सहानुभूति, चिन्ता एवं समर्थन व्यक्त किया है ।

(ग) विधि मंत्री और वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री नेहाल में अनेक अफ्रेशियाई देशों का दौरा किया था । भारत सरकार ने उस क्षेत्र की प्रमुख भाषाओं में अनेक पैम्फलेट और नक्शे भी प्रकाशित किये हैं जिसमें सीमान्त प्रश्न के संबंध में हमारी स्थिति का स्पष्टीकरण किया गया है और चीन को अतिक्रमणकारी बताया गया है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाये गये हैं क्योंकि हमारे मंत्री के वहां जाने के पहले हमारा प्रचार संगठन बहुत अपर्याप्त पाया गया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य सीधा प्रश्न पूछें ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं जानना चाहता हूं कि चीन द्वारा लगाये जाने वाले मिथ्या आरोपों का प्रतिवाद करने के लिये हमारे प्रचार संगठन को सक्रिय बनाने के लिये क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह मूल प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में बताया जा चुका है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह सच है कि उन अफ्रेशियाई देशों में से मिस्र के प्रधान मंत्री श्री अली साबरी पिछले सप्ताह में जब कुछ दिनों के लिये यहां आये थे तो उन्होंने यह कहा था कि जहां तक भारत का सम्बन्ध है सरकार ने उनको तथा अन्य लोगों को यह बताया कि यह मामला दो पड़ोसियों के बीच सीमान्त विवाद मात्र है और सरकार ने स्वयं उनको यह नहीं बताया कि चीन द्वारा अतिक्रमण किया गया है । यहां के समाचार पत्रों में ऐसा ही प्रकाशित हुआ है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : भारत सरकार ने उनसे अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति से ऐसी कोई बात नहीं कही ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : कुछ समय पूर्व यह खबर छपी थी कि विदेश प्रचार के सम्बन्ध में श्री शैलवनकर को वैदेशिक कार्य मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त किया गया है । क्या उनको अफ्रेशियाई देशों में प्रचार सम्बन्धी आवश्यकताओं को विशेष रूप से ध्यान में रखने की हिदायत की गई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह सही है कि डा० शैलवनकर को अस्थायी तौर से नियुक्त किया गया है । परन्तु किसी विशेष हिदायत की जानकारी मुझे नहीं है । वह हमें प्रचार कार्य के सम्बन्ध में सलाह देते हैं —आन्तरिक एवं वाह्य दोनों——परन्तु सामान्यतः विदेश प्रचार ही उनका मुख्य विषय है ।

†**श्री त्यागी** : माननीय मंत्री ने अभी कहा था कि कुछ देशों ने चीन को आक्रमणकारी घोषित किया है । वे देश कौन-कौन से हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : समस्त अफ्रेशियाई देश——यह तो एक बहुत लम्बी सूची हो जायेगी ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उन्होंने बताया कि कुछ देशों ने चीन को आक्रमणकारी घोषित किया है । हम उन देशों की संख्या और उनके नाम जानना चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : ६० देशों को सन्देश भेजे गये थे जिनमें से २६ देशों ने सीमान्त संघर्ष पर मत व्यक्त करने वाले प्रत्यक्ष संदेशों द्वारा हमारा समर्थन किया है। सात देशों ने चिन्ता व्यक्त की है और इस झगड़े के शान्तिपूर्ण हल के सुझाव दिये है। नौ देशों ने सहानुभूति और चिन्ता के संदेश भेजे हैं और तीन देशों ने सामान्य संदेश भेजे है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इस प्रकार का उत्तर प्रश्न की अवहेलना करना है। प्रश्न यह था .....

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। इस प्रकार सभी लोग खड़े नहीं हो सकते है। क्या किनहीं देशों ने चीन को आक्रमणकारी घोषित किया है और यदि हां, तो ऐसे कितने देश है ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : ठीक है। श्री अली साबरी ने ऐसा नहीं कहा।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं नहीं समझती कि किसी भी देश ने चीन को आक्रमणकारी घोषित किया है। इसके राजनैतिक कारण हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत**: यह उत्तर गलत है तथा सभा के विशेषाधिकार को भंग करता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्यों से यह अपील करूंगा कि वे इस प्रकार एक साथ खड़े न हुआ करें। ऐसा करने से हमारी कार्यवाही कैसे चल सकेगी ?

†**श्री त्यागी** : माननीय मंत्री ने मूल उत्तर में यह कहा था कि कुछ देशों ने चीन को आक्रमणकारी घोषित किया है। मैं उन देशों के नाम जानना चाहता हूं। अब वह कहती हैं कि राजनैतिक अथवा अन्य कारणों से उन्होंने चीन को आक्रमणकारी नहीं घोषित किया है। क्या किसी भी देश ने चीन को आक्रमणकारी नहीं घोषित किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले उत्तर से ऐसा आभास हुआ था कि कुछ देशों ने चीन को आक्रमणकारी घोषित किया है।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मलाया ऐसा ही देश है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : वह अपनी बात बदलती जा रही हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : २६ ऐसे देश हैं जिन्होंने हमारा पूर्णतः समर्थन किया है। उनके अतिरिक्त कुछ देशों ने सहानुभूति के सन्देश भी भेजे हैं। उन्होंने 'आक्रमण' शब्द का प्रयोग किया है या नहीं यह मैं नहीं जानता। मैं समझता हूं कि कुछ देशों ने वैसा कहा है। माननीय सदस्य 'आक्रमण' शब्द को बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में हमारे प्रति पूर्ण सहानुभूति व्यक्त की है और यह भी कहा है कि हम सही हैं। 'आक्रमण' शब्द का प्रयोग उन्होंने भले ही न किया हो।

†**श्री रंगा** : हम यही जानना चाहते हैं कि वे कौन से देश हैं जिन्होंने कहा है कि हम सही हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरी सहयोगिनी ने अभी अभी कुछ नाम दिये है--मलाया, कांगो, लिबेरिया, लेबनान, इथोपिया, तथा दो अन्य। मेरा निवेदन है कि इन अफ्रेशियाई देशों में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसने हमारा संयुक्त अरब गणराज्य के समान निरन्तर समर्थन किया हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

फिर भी मैं नहीं समझता कि उसने कहीं भी 'आक्रमण' शब्द का प्रयोग किया हो। परन्तु उसने अन्य देशों से हमारा कहीं अधिक समर्थन किया है। इसलिये 'आक्रमण' शब्द का प्रयोग ही सब कुछ नहीं है वरन् हमें यह समझना चाहिये कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसका क्या अर्थ है।

†**श्री नाथपाई :** इन तटस्थ अफेशियाई देशों का आक्रमण को आक्रमण न कह सकना भारत की राजनीति और प्रचार व्यवस्था की असफलता अथवा अपर्याप्तता का द्योतक है अथवा वे डर के कारण वैसा नहीं कह सके ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न पूछना नहीं है।

†**श्री नाथ पाई :** यदि आप चाहे तो मैं इसे वापस ले सकता हूं। परन्तु मेरा निवेदन है कि यह देश उसे बर्बर आक्रमण मानता है। जब मिस्र पर आक्रमण हुआ था तो सर्व प्रथम प्रधान मंत्री ने उस आक्रमण की निन्दा की। मैं जानना चाहता हूं कि यह असफलता हमारी प्रचार व्यवस्था की असफलता है और इस स्थिति के लिये कोई अन्य कारण जिम्मेदार है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** विचारणीय प्रश्न यह है कि हमने चीन को आक्रमणकारी घोषित किया है इसलिये अफेशियाई देशों के समक्ष प्रश्न यह था कि भारत पर आक्रमण हुआ है या नहीं ? यदि इन राष्ट्रों ने इस प्रश्न की उपेक्षा की है तो यह किसकी गलती है ? हम जानना चाहते हैं कि यह हमारी राजनीति की असफलता है अथवा कोई अन्य कारण है जिससे हम उनके सामने सही स्थिति नहीं रख सके ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह पूछना कि क्या यह हमारी राजनीति की असफलता है, वस्तुतः तर्क करना है, जानकारी प्राप्त करना नहीं। इसके अतिरिक्त क्या इसका कोई निश्चित उत्तर दिया जा सकता है ?

†**श्री दाजी :** क्या यह सही है कि अधिकांश अफ्रेशियाई देशों ने चीन के विरुद्ध हमारी कार्रवाई का समर्थन किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह उत्तर दिया जा चुका है। संख्या भी बताई जा चुकी है।

भारतीय युद्ध बन्दी

+

†*३७२. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री भक्त दर्शन :
श्री बाल्मीकी :
श्री हेम बरुआ :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री मंत्री :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनियों ने (१) नेफा और (२) लद्दाख क्षेत्रों में अब तक अपने आक्रमण में कितने भारतीय सैनिकों तथा सेना अधिकारियों को बन्दी बनाया ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन सैनिक कार्यवाहियों में भारतीय सेना ने कितने चीनी सैनिकों और अधिकारियों को बन्दी बनाया ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) चीनियों ने कुल ३,२८७ भारतीय कर्मचारियों (सैनिक तथा असैनिक) को बन्दी बनाने की सूचना दी है ।

(ख) कोई नहीं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : इनमें से कितने युद्ध बन्दी अभी तक वापस भेजे गये हैं ? उन में से कितने बीमार और घायल हैं और कितनों का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : लगभग ३८७ व्यक्ति वापस आये है जो बीमार अथवा घायल हैं। अन्य प्रश्न के उत्तर में कुछ सूचना सभा-पटल पर रख दी गई है। संभवतः वह संख्या अब बदल गई होगी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : उनमें से कितनों का अभी तक कोई पता नहीं लग सका है ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : ऐसे लोगों की संख्या लगभग २१०० है ।

†**श्री त्यागी** : उनमें से कितने असैनिक हैं और कितने सैनिक ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : उनके पृथक आंकड़े देना बहुत कठिन है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि हमारी सेना एक भी चीनी को कैदी नहीं बना सकी । क्या उन कारणों पर, उन परिस्थितियों पर प्रकाश डाला जायेगा, जिनकी वजह से यह संभव न हो सका ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह तो साफ है कि हमने किसी को पकड़ा नहीं है। उसके क्या कारण हैं, यह बताना तो इस वक्त संभव नहीं है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उत्तर सुनाई नहीं पड़ा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया है कि हमने कोई पकड़ा नहीं ह ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जो भारतीय युद्धबन्दी चीनी कारावास से मुक्त हो कर आए हैं, क्या उन्होंन चीनियों के व्यवहार के प्रति सरकार को कुछ शिकायत की है ? यदि हां, तो जो शेष बन्दी उनकी कैद में हैं, उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था इन्टरनेशनल रेडक्रास के द्वारा या किसी और किसी प्रकार से की जा रही है ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण**: जहां तक वापस आये व्यक्तियों का सम्बन्ध है, उन्होंने कोई निर्दिष्ट शिकायतें नहीं की हैं । जो लोग चीन में है उनकी कपड़ों की पार्सले आदि प्राप्त करने की अनुमति मिल गई है । उनमें से कुछ को अपने परिवारों के साथ लिखा पढ़ी करने की अनुमति भी प्राप्त है ।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, विषयान्तर ।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर । माननीय सदस्य बैठ जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी प्रार्थना सुन लें, तो मैं बैठ जाता हूं । आप "आर्डर आर्डर" कह कर हमको बिठा देना चाहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हिन्दी में पूछे जाते हैं, क्या उनके उत्तर हिन्दी में ही नहीं दिये जाने चाहिएं। ऐसे मंत्री सरकार को कहां मिल मिलते हैं. जो कि हिन्दी में उत्तर नहीं देना चाहते ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे "आर्डर, आर्डर" कहने पर माननीय सदस्य तो नहीं बैठे, लेकिन जब वह बोलने लगे, तो मैं बैठ गया । पहले यह फ़ैसला हो जाना चाहए यहां पर किसकी बात मानी जानी चाहिए ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन मेरी बात का जवाब मिलना चाहिए ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या हमारे युद्धबन्दियों की विचारधारा को भी प्रभावित किया गया था ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : यह बताना बहुत कठिन है ।

तीसरी योजना में कटौती

†*३७३. +
श्री गो० महन्ती :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सं० ब० पाटिल :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यु० द० सिंह :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा की आपाती आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी कटौती की जायेगी;

(ख) इससे प्रतिरक्षा संसाधनों को बढ़ाने में कितनी सहायता मिलेगी; और

(ग) इससे किन कार्यक्रमों पर प्रभाव पड़ा है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री वे० रा० पट्टाभिरामन्) :** (क) से (ग). चीनी आक्रमण से उत्पन्न स्थिति का विचार करके राष्ट्रीय विकास परिषद ने अपनी ५ नवम्बर, १९६२ को बैठक में यह घोषणा की कि देश की विकास योजनायें राष्ट्रीय प्रतिरक्षा की अभिन्न अंग हैं तथा उनकी सफल एवं तेज क्रियान्विति–आपात का सामना करने के लिये आवश्यक संपरिवर्तन सहित और भी अधिक आवश्यक हो गई है । इस बात को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने राज्यों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ मिलकर आवश्यक समायोजनों की भली प्रकार जांच की है और १९६३–६४ का कार्यक्रम तैयार किया है । राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थायी समिति ने अपनी १८ जनवरी, १९६३ की बैठक में उस पर विचार करके उसका समर्थन किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

योजना आयोग ने कार्यक्रम तैयार करने में निम्न प्राथमिकता वाली योजनाओं को निकाल देने, कम आवश्यक योजनाओं को नया रूप देने और व्यय में कमी करने की संभावना पर भली प्रकार विचार किया है। प्रतिरक्षा एवं प्रतिरक्षा उत्पादन से संबंधित कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के सम्बन्ध में अधिक तेजी से क्रियान्विति के लिये उपबन्ध किया गया है। समस्त मामलों में चालू काम में रुकावटों को यथा संभव कम करने और देश के दुर्लभ संसाधनों तथा विदेशी मुद्रा के प्रयोग में कमी करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

†**श्री गो० महन्ती** : युद्ध प्रयत्नों के एक भाग में सिंचाई के लिए उपबन्ध ५० प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी वजह से कौनसी परियोजनाओं को रद्द कर दिया गया है अथवा छोटा बनाया है अथवा निलम्बित कर दिया गया है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : हमारे पास इनकी एक लम्बी सूची है। मैंने उन योजनाओं को बता दिया है जिनका क्रम बदला गया है, बढ़ाया गया है और धीमा किया गया है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : इन मितव्ययता की कार्यवाहियों के द्वारा कितनी धनराशि बच जाने की आशा है ? क्या योजना आयोग ने कोई अनुमान लगाया है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : जी हां। एक अनुमान लगाया है। मेरे पास आंकड़े हैं। मैंने उनको करने के बारे में सोचा है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह सच है कि तीसरी योजना में मद्य निषेध को बढ़ाने के कार्यक्रम को हटा दिया गया है और भारत के विभिन्न राज्यों में मद्यनिषेध के कार्यवहन की जांच के लिए तथा आपातकाल में मद्यनिषेध को हटाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति स्थापित की जा रही है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : हाल में ही मद्यनिषेध के प्रश्न पर विचार किया गया था परन्तु वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

†**श्री नाथ पाई** : शेष भारत में मद्यनिषेध लागू करने के बारे में।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरा प्रश्न यह था कि क्या विभिन्न राज्यों में इसका विस्तार करना रोक दिया गया है ? इसका उत्तर नहीं दिया गया।

†**श्री नन्दा** : मद्यनिषेध को बढ़ाने के लिए हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

†**श्री नाथ पाई** : जानकारी प्राप्त करने के हेतु। क्या सरकार के निर्णय ---संभव है यह नया निर्णय न हो, पहले किए गए निर्णय को पक्का किया गया हो---के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार में कोई सार है कि जहां पर अभी तक मद्यनिषेध लागू नहीं है वहां पर इसको लागू न किया जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नन्दा** : जी नहीं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने प्रश्न पूछा उसका उत्तर दे दिया गया था। उनके साथी ने एक स्पष्टीकरण मागा उसका भी उत्तर दे दिया गया और अब वह खड़े होकर कहते हैं कि उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जब एक प्रश्न का उत्तर ठीक तरह से न दिया जाये....

†**श्री नन्दा** : उत्तर नकारात्मक है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : ....तो आपको हमारा पक्ष लेना चाहिए और प्रश्न का उत्तर दिलाना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब उत्तर दे दिया गया तब मैं क्या करूं? उत्तर नकारात्मक है। उन्होंने दो बार बता दिया है। अब सदस्य क्या जानना चाहते हैं?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि यहां पर सभी मुख्य मंत्री मिले थे और यह भी वहां पर उपस्थित थे और बाद में यह निर्णय किया गया कि आपातकाल में मद्यनिषेध को हटा देना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह "नहीं" कहते हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : और एक समिति नियुक्त की गई थी। उसमें मैंने एक प्रश्न पूछा था।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने उसका भी उत्तर दे दिया।

†**श्री नन्दा** : मैंने उत्तर दिया है "नहीं"।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है कि समाचारपत्रों में यह समाचार विस्तार से प्रकाशित हुआ है कि लक्ष्यों के इस परिवर्तन से सामाजिक सेवायें विशेषत: शिक्षा, चिकित्सा सेवा, आवास आदि को सबसे अधिक हानि होगी और यदि हां, तो क्या सरकार इस नीति को बुद्धिमानी की नीति समझती है?

†**अध्यक्ष महोदय** : दूसरा भाग केवल एक राय है।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : समाज सेवा के लिए केन्द्र के उपबन्ध ९५.८१ करोड़ रुपये थे और इनको ८९.९६ करोड़ रुपये कर दिया गया था। राज्यों के उपबन्ध १४९.५ करोड़ रुपये थे तथा उनको अब १४३.९ करोड़ रुपये कर दिए गए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीन द्वारा लौटाये गये भारतीय सशस्त्र कर्मचारी

+

†*३७५. { **श्री कोया :**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री भक्त दर्शन :
श्री बाल्मीकी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हेम बरुआ : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २० अक्तूबर १९६२ से अब तक कितने भारतीय सशस्त्र कर्मचारी लापता हैं और इस काल में नेफा और लद्दाख में अलग अलग उनमें से कितने व्यक्तियों के हताहत होने का पता लगा है; और

(ख) चीनी सरकार ने अब तक भारत को कितने सेना कर्मचारी लौटाये हैं?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) नेफा और लद्दाख में हताहत सैनिकों की संख्या बताने वाला विवरण।

	अधिकारी	अन्य	जोड़
नेफा			
हत	२०	२६५	२८५
आहत	१९	५९८	६१७
खोये गये	१२५	४९०५	५०३०
जोड़	१६४	५७६८	५९३२
लद्दाख			
हत	—	३७	३७
आहत	२	५७	५९
खोये गये	५	४५५	४६०
जोड़	७	५४९	५५६

†मूल अंग्रेजी में

इस प्रकार कुल खोये गये सैनिक ५४९० हुए । इनमें से निम्नलिखित का तबसे पता लग गया है ।

(एक) चीनियों द्वारा लौटाये गये बीमार अथवा अन-आहत सैनिक	४०५
(दो) ११३१ कैदियों में से चीनियों की कैद में सैनिक (इन में से ८१ लौटा दिए दिए गए हैं) इनके नामों की सूची हमें मिल गई है . .	७८९
(तीन) चीनियों की कैद में सैनिक जिनकी सूची नहीं मिली है . .	२१५६
जोड़ . .	३३५०

(तीन) के अधीन बताये गए सभी व्यक्ति सैनिक हैं और चीनियों द्वारा लौटाये गये सैनिक शामिल नहीं हैं इस आधार पर शेष . . . २१४०

(ख) समय समय पर चीनियों द्वारा लौटाये गये सैनिक ७०६ हैं (उन दो समेत जो बाद में मर गये) । इस संख्या में वह शामिल नहीं है जिनके १२ शव चीनियों ने लौटाये हैं । (क) के अधीन आंकड़ों में यह शामिल हैं ।

†**श्री कोया :** शेष कैदियों को वापस लेने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** हमने उनको सरकारी तौर पर वापस नहीं मांगा है ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या उनको इस प्रकार का आभास मिला है कि चीनियों ने युद्ध बन्दियों का कैद में 'ब्रेनवाशिंग' किया था ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** में समझा नहीं कि 'ब्रेन वाशिंग' का क्या अर्थ है **(अन्तर्बाधा)** ।

†**श्री हेम बरुआ :** यह साधारण शब्द है । मैं समझता हूं कि प्रतिरक्षा मंत्री इसका अर्थ जानते हैं । इसका अर्थ 'इनडाक्ट्रिनेशन' (विचार परिवर्तन) है..... **(अन्तर्बाधा)** । कृपया वह मुझे उन शब्दों की सूची दे दें जिनका अर्थ वह नहीं जानते हैं । यदि वह अर्थ नहीं जानते हैं तो यह दुख की बात है **(अन्तर्बाधा)** ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने बता दिया कि 'ब्रेन वाशिंग' का अर्थ 'इनडाक्ट्रिनेशन' है । कृपया वह प्रश्न पूछें ? क्या उन्हें कोई प्रश्न पूछना है ?

†**श्री हेम बरुआ :** क्या इस प्रकार का कोई आभास मिला है कि चीनी कैद में युद्धबन्दियों का 'विचार परिवर्तन' किया गया और यदि हां, तो क्या यह बात पेकिंग को बताई गई है ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है और इसलिए पेकिंग को बताने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

†**श्री हेम बरुआ :** वह जानते हैं कि 'ब्रेन वाशिंग' क्या है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जब वह उठते हैं तो एक प्रश्न पूछते हैं तथा बैठ कर दूसरा प्रश्न पूछते हैं । श्री बनर्जी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विवरण में बताया गया है कि चीनियों के कब्ज़े में हमारे कैदी जिनके नामों की सूची नहीं मिली है २१५६ है । वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : अभी भी यह नहीं मिली है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस विवरण में बताया गया है कि २१४० सैनिकों का अभी तक पता नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह समझती है कि वे सब लड़ाई में मारे गए हैं या उनके अभी भी जीवित होने की कुछ आशा है और यदि है तो उनका पता लगाने के बारे में क्या प्रयत्न किया जा रहा है ?

†**श्री यशवतन्राव चह्वाण** : इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है । जब तक उनके बारे में हमें कोई अन्तिम जानकारी नहीं मिल जाती है तब तक हम यही आशा करते हैं कि वह लौट आयेंगे और चीन सरकार से हमें कुछ और जानकारी मिल जायेगी ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या सरकार को चीन के पास हताहत बन्दियों के बारे में कोई जानकारी है और यदि हां, तो उनको वापस लेने के बारे में क्या प्रबन्ध किए गए हैं ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : हमने उनको वापस लेनें के बारे में सोचा भी नहीं है । हम उपहार आदि के पार्सल उनको भेज रहे हैं ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : मैं चीनियों की कैद में हताहत कैदियों के बारे में पूछ रहा था ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : मैं समझता हूं जो क़ैदी सीमा क्षेत्रों में थे उनको उन्होंने लौटा दिया है ।

नई दिल्ली में चीनी राजदूतावास

†*३७६. **श्री शं० ना० चतुर्वेदी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित चीनी राजदूतावास के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख). जी हां । पारस्परिक आधार पर । चीनी दूतावास के सदस्यों को भारत से जाने से पूर्व वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मान्य बहिर्गमन अनुमति पत्र लेने होते हैं ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : यह प्रतिबन्ध किस तिथि से लगाये गये थे तथा क्या उससे पहले वह सीमा क्षेत्रों के निकट तक बिना किसी प्रतिबन्ध के घूम फिर सकते थे ?

†**श्री दिनेश सिंह** : लगभग एक महीने पहले बहिर्गमन वीसा पर यह प्रतिबन्ध लगाये गये थे । पहले चीनी दूतावास के कर्मचारियों को भी वही सुविधायें प्राप्त थी जो अन्य दुतावासों के कर्मचारियों को हैं ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस देश में वह बिना रोक टोक घूम सकते हैं तथा सीमा क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री दिनेश सिंह** : विदेशियों के 'इनरलाइन' तक जाने पर कुछ प्रतिबन्ध है । इसके अतिरिक्त और कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

†**श्री त्यागी** : प्रश्न यह था कि क्या भारत में उनके आवागमन के संबंध में पारस्परिक व्यवहार दिया गया था । उसका उत्तर नहीं दिया गया । क्या आप भारत में उनके दूतावास के कर्मचारियों पर उसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगा रहे हैं जैसा उन्होंने चीन में हमारे दूतावास के कर्मचारियों पर लगा रखा है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : जी नहीं ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : क्यों नहीं ?

†**श्री रंगा** : क्या सरकार चीन से राजनयिक संबंधों को तोड़ने पर विचार कर रही है जिससे दिल्ली में चीनी दूतावास रहने की कोई जरूरत ही न रह जाये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : इस संबंध में अब सक्रिय रूप से विचार नहीं किया जा रहा है ।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं चीनी दूतावास द्वारा प्रकाशित 'चाइना टुडे' के ४ जनवरी के अंक की ओर माननीय प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं ; इसकी भाषा बहुत ही भारत विरोधी है । क्या मैं उसमें से एक पैरा पढ़ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं पढ़ने की अनुमति नहीं दूंगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : मुझे इससे बहुत सहायता मिलती ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वह सीधा प्रश्न पूछें तो अधिक लाभदायक होगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है कि नई दिल्ली में चीनी दूतावास ऐसी भारत-विरोधी कार्यवाही न कर सके जैसी वह "चाइना टुडे' के ४ जनवरी के अंक में कर चुके हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस समय चीनी दूतावास में बहुत कम व्यक्ति हैं । मुझे ठीक संख्या याद नहीं है । अधिकांशत: लोग चले गये हैं । मैंने इस लेख की भाषा नहीं देखी है । सामान्यत: संबंधित सरकार को अपने दूतावास के सरकारी वक्तव्य निकालने की अनुमति है । इसके अतिरिक्त कुछ आपत्तिजनक होने पर विरोध किया जाता है । उनको बताया जाता है ।

†**श्री हेम बरुआ** : उन्होंने पेकिंग में भारतीय दूतावास द्वारा प्रकाशित हमारे प्रकाशन पर आपत्ति की है । इससे पता लगता है कि हम उनके कार्यों को सहते रहे हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं बताना चाहता हूं कि सरकारी प्रकाशनों की अनुमति है । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किसका उल्लेख कर रहे हैं । ऐसी एक घटना हुई थी । उस पर लम्बा तर्क हुआ था । पत्र छपे थे ? परन्तु नियम यह है कि सरकारी वक्तव्य के प्रकाशन की अनुमति है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि क्या कार्यवही की गई है कि जिससे चीनी ऐसे विष भरे वक्तव्य न दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सच यह है कि 'चाइना टुडे' के कई अंकों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । मैं इस लेख के बारे में कुछ नहीं जानता हूं कि उसमें क्या है ।

†**श्री त्यागी** : क्या हमको चीन में कुछ प्रकाशित करने की अनुमति है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति शांति ।

†**श्री हेम बरुआ** : चीनी दूतावास में चीनी कर्मचारियों के कम हो जाने से उनके काले कारनामों में कोई कमी नहीं हुई है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

हथियारों के संभरण की दीर्घकालीन व्यवस्था

+

†*३७७. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री सं० ब० पाटिल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे प्रतिरक्षा हथियारों के संभरण के लिये ब्रिटेन तथा अमरीका के साथ कोई दीर्घकालीन प्रबन्ध किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या विशेषतायें हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) और (ख) .अब तक किये गये प्रबन्धों के अनुसार अमरीका तथा ब्रिटेन की सरकारें हथियारों की हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती रहेंगी ।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या वित्तीय पूंजीगत व्यय का कोई अनुमान लगाया गया है कि इस समझौते के लिए कितनी पूंजी आवश्यक होगी ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : वित्त का कोई ठीक अनुमान नहीं लगाया गया है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास अमरीकी एजेंन्सी के डायरैक्टर श्री बैल हाल में ही नई दिल्ली आये थे और उन्होंने अमरीकी हथियार सहायता की चर्चा की थी तथा यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री यशवतन्राव चह्वाण** : मुझ पूर्व सूचना चाहिए ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : हम ने नहीं सुना ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने बताया कि उन्हें पूर्व सूचना चाहिए ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या दीर्घकालीन हथियारों का संभरण उधार के आधार पर होगा अथवा क्या दीर्घकालीन आधार पर हथियारों का संभरण किसी अन्य प्रणाली से होगा ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : उधार नहीं अपितु यह सहायता है ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री रा० गि० दुबे :** क्या इस प्रबन्ध में भारी हथियार भी शामिल हैं ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** इस पर यह आधारित है कि हम भारी हथियारों की परिभाषा क्या करते हैं ।

†**श्री रंगा :** हम ने सुना नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** सम्भवतया उत्तर भी पूरा नहीं है ।

†**श्री रंगा :** कृपया जरा जोर से बोलिय ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** कृपया बोलते समय अपना मुंह न मोड़िये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उत्तर था कि यह हथियारों के प्रकार पर आधारित है ।

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** भारी हथियारों की परिभाषा होनी चाहिए ।

†**श्री रंगा :** माननीय मंत्री को इसकी जानकारी होनी चाहिए । वह समझदार हैं और अपनी समझदारी से हमें भी उन्हें प्रकाशमान करना चाहिए ।

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** नहीं जानता कि वह किन भारी हथियारों का जिक्र कर रहे हैं । माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देते समय मुझ मालूम होना चाहिए कि वह क्या जानना चाहते हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर:** वह भारी हथियारों से जो कुछ समझते हों उसके आधार पर उत्तर दे सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री भारी हथियारों के बारे में जो कुछ समझते हों उसके आधार पर उत्तर दे दें ।

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** यदि पैदल सेना से सम्बन्धित भारी हथियारों से उनका मतलब है तो उत्तर 'हां' है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** अमरीका तथा ब्रिटेन से हम कितनी सहायता चाहते हैं तथा इन देशों का कितनी सहायता देने का विचार है ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** धन की दृष्टि से सहायता की गणना नहीं की गई है । इसकी गणना हमारी आवश्यकता के अनुसार की गई है । हमारी तुरन्त की आवश्यकता, जसे विमान प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा उत्पादन के विस्तार की आवश्यकता विभिन्न प्रकार की है । परन्तु इन की धन की दृष्टि से गणना नहीं की गई है ।

†**डा० क० ल० राव :** क्या दीर्घकालीन प्रबन्ध में आधुनिक हथियारों के निर्माण के लिए इंजीनियरों के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना भी शामिल है ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** जी हां ।

†**श्री अ० प्र० जैन :** हमने कितने हथियार मांगे थे और कितने प्रतिशत हमको मिल गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : जहां तक नये डिवीजनों को बनाने का सम्बन्ध है उस सम्बन्ध में कुछ निर्णय किये गये हैं। विमान प्रतिरक्षा तथा प्रतिरक्षा उत्पादन बढ़ाने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : मेरा प्रश्न था कि हम ने कितने हथियार मांगें हैं तथा कितने प्रतिशत हमें मिल गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वह चाहते हैं कि वह सभी बातें यहां पर बताई जायें ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : मैंने बताया कि धन की दृष्टि से उसकी गणना करना कठिन है। इसलिए प्रतिशतता बताना भी कठिन है। एक पहलू पर निर्णय हुआ है और मैंने उसको बता दिया है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : संभवतया एसे प्रश्नों का विस्तृत उत्तर देना ठीक नहीं होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने सुझाव दिया था कि क्या वह इस बात को ज़रूर जानना चाहेंगे।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या यह हथियार उधार पट्टे पर लिए जा रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? अथवा प्रयत्न किये गये थे जो असफल रहे ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : हम ने यह नहीं कहा कि हम ने हथियार उधार पट्टे पर नहीं लिये हैं। मैंने यह कहा था कि यह सहायता के रूप में हैं।

ब्रूनेई में भारतीय

†*३७८. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रूनेई में हाल में हुए विद्रोह का वहां रहने वाले भारतीय राष्ट्रजनों के जीवन तथा सम्पत्ति पर कोई प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार ;

(ग) क्या सिंगापुर स्थित भारतीय आयुक्त गड़बड़ के दिनों में ब्रूनेई गये थे; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख). कोई भारतीय नहीं मरा तथा सम्पत्ति की हानि का भी हमें मालूम नहीं हुआ है।

(ग) और (घ). जब सैनिक स्थिति ठीक हो गई तभी उच्चायुक्त भारत आयोग, सिंगापुर के वाणिज्यिक दूत ब्रूनेई भेजे गये थे। वह ब्रूनेई २१ से २४ दिसम्बर, १९६२ तक भारतीय राष्ट्रजनों के कल्याण के लिए गये थे ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सरकार का ध्यान सह आयुक्त अथवा वाणिज्यिक दूत के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ब्रूनेई में भारतीय अपनी देखभाल कर सकते हैं और उनके वहां पर जाने की जरूरत नहीं है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : मैंने बताया कि धन जन की कोई हानि नहीं हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या वहां की परिस्थिति के कारण वह वहां नहीं जा सके ?

†**श्री हरि विष्णु कामत :** बताया गया है कि उन्होंने कहा है कि "ब्रूनेई में भारतीय अपनी देखभाल कर सकते हैं इसलिए मेरे वहां जाने की जरूरत नहीं है"। क्या यह सच है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि वह वहां गये थे।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** जब सब कुछ समाप्त हो गया तब वह वहां गये थे।

†**श्री दिनेश सिंह :** जब सैनिक स्थिति ठीक हो गई तब उनको वहां जाने की अनुमति दी गई थी।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या सरकार ने विदेशों में हमारे दूतावासों को स्पष्ट आदेश नहीं दिये हैं कि उनका एक कार्य भारतीय राष्ट्रजनों के हितों को देखना है ? कुछ वर्ष पूर्व इथोपिया में भी ऐसा ही हुआ था। वहां पर हमारे राजदूत ने भारतीय राष्ट्रजनों के हितों पर ध्यान नहीं दिया था।

†**श्री दिनेश सिंह :** उनका यह कर्तव्य है कि वह भारतीय राष्ट्रजनों के हितों को देखें और मैं समझता हूं कि इथोपिया के बारे में ऐसा आरोप लगाना उचित नहीं है। मुख्य प्रश्न यह है कि जब यह घटना वहां हुई उस समय वहां पर नहीं पहुंच पाये। हम ने तार भेज कर वहां की स्थिति जाननी चाही तथा जब संभव हो सका तब वह वहां गये।

एम आई–४ हेलीकाप्टरों का निर्माण

+

†*३७९. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री भक्त दर्शन :
श्री मोहसिन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ ने भारत में एम आई–४ हैलीकाप्टरों के निर्माण के लिये एक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच कोई करार हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) से (ग). यदि भारत सरकार भारत में एम आई–४ हैलीप्टरों का निर्माण करना आवश्यक समझे, तो रूस सरकार उनके निर्माण के लिए लाइसेन्स देने से सहमत हो गई है। एम आई–४ हैलीकाप्टरों का निर्माण करने

---

†मूल अंग्रेजी में

के लिए रूस ने भारत में संयंत्र लगाने की न तो प्रार्थना की थी और न ही स्ताव किया था । भारतीय विमान बल द्वारा अपेक्षित एम आई–४ हैलीकाप्टरों की संख्या को ध्यान में रख कर भारत में निर्माण-व्यवस्था करना उचित सिद्ध नहीं होता । अतः भारत में निर्माण-प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

राष्ट्रीय सेना छात्र दल प्रशिक्षण योजना

\+

†*३८०. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री बाल्मीकी :
श्री सं० ब० पाटिल :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालेजों और विश्वविद्यालयों में अब तक कितने विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय सेना कात्र दल प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया है; और

(ख) देश में संकटकालीन स्थिति के कारण उत्पन्न हुए उत्साह के अनुसार इस प्रशिक्षण का क्षेत्र बढ़ाने के लिये और क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण)** : (क) १९ जनवरी, १९६३ को कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सेना छात्र दल सीनियर डिवीजन तथा राष्ट्रीय सेंना छात्र दल रायफल्स में ५,९२,८८० लड़के और २९,८७० लड़कियां थी ।

(ख) नई संख्या ४ लाख करने की अनुमति दे दी गयी है और इन में से १९ जनवरी, १९६३ तक १,९८,७५० लड़के ले लिये गये हैं ।

स्थानीय अस्पतालों तथा भारतीय रेड क्रास के साधनों के अनुसार राष्ट्रीय सेना छात्र दल प्रोग्राम में लड़की विद्यार्थियों को नर्सिंग की ट्रेनिंग देना भी शामिल कर दिया गया है ।

सभी विश्वविद्यालयों के प्राधिकारों को सुझाया जा रहा है कि वें अपने पाठ्यग्रम में राष्ट्रीय सेना छात्र दल प्रशिक्षण को अनिर्ईार्य बनायें ।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या सरकार को विदित है कि विद्यमान प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत भी प्रशिक्षणार्थियों को सामान तथा सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है और यदि हां, तो इन्हें पर्याप्त सामान उपलब्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री दा० रा० चह्वाण** : सरकार को विदित है कि प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिये पर्याप्त सामान उपलब्ध नहीं है । फिर भी, अपेक्षित सामान की प्राप्ति के लिये आवश्यक प्रबन्ध किया जा रह है ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय सेना छात्र दल प्रशिक्षण को अनिवर्य बनाने का है ?

†**श्री दा० रा० चह्वाण** : हां, श्रीमान् । सरकार का विचार इसे अनिवार्य करने का है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शिवाजीराव शं० देशमुख** : आजकल राष्ट्रीय सेना छात्रदल के एयर विंग में कितने प्रशिक्षणार्थी हैं और राष्ट्रीय सेना छात्र दल प्रशिक्षण अनिवार्य करने के परिणामस्वरूप इस की संख्या में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

†**श्री दा० रा० चह्वाण** : इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या माननीय मंत्री का ध्यान ६ जनवरी, १९६३ के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित एक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि एसी सी और एन सी सी का जूनियर डिवीजन राष्ट्रीय अनुशासन योजना में मिला दिया जायेगा और यदि हां, तो निश्चय बदलने का क्या कारण है और इसे प्रतिरक्षा मंत्रालय से क्यों लिया जा रहा है ?

†**श्री दा० रा० चह्वाण** : एन सी सी के जूनियर डिवीजन और ए सी सी के स्थान पर राष्ट्रीय अनुशासन योजना रखने का कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : हिन्दुस्तान टाइम्स—वस्तुतः सभी अखबारों—में समाचार था कि एन सी सी का जूनियर डिवीजन और ए सी सी को राष्ट्रीय अनुशासन योजना में मिला दिया जायेगा और कालेजों में राष्ट्रीय सेना छात्र दल रहेंगे । निश्चय में परिवर्तन क्यों किया गया है और यह काम अब प्रतिरक्षा मंत्रालय से ले कर शिक्षा मंत्रालय को क्यों दिया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वा)** : ऐसा कोई निश्चय नहीं है ।

†**श्री बैरो** : कल ही एक सम्मेलन में शिक्षा मंत्री ने कहा था कि यह उस का स्थान लेगा ।

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : एक सुझाव था कि ए० सी० सी० और जूनियर एन० सी० सी० का स्थान राष्ट्रीय अनुशासन योजना ले ले । वास्तव में वह सुझाव स्वीकार नहीं हुआ है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या सरकार का विचार सेना में अधिकारियों की भर्ती के लिये राष्ट्रीय सेना छात्र दल को आधार बनाने का है ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : यही बात है ।

†**श्री रंगा** : क्या राष्ट्रीय सेना छात्र दलों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण वर्तमान संकट की दृष्टि से बढ़ाया जा रहा है और उन्हें व्याख्यान भी अधिक दिये जायेंगे ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : यदि आवश्यक हुआ तो निश्चय ही ऐसा किया जायेगा । अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

†**श्री रंगा** : उन्होंने काल्पनिक उत्तर दिया है । क्या वे मेरे प्रश्न को ध्यान में रख कर इस की जांच करेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : फिर तो यह एक सुझाव होगा ।

†**श्री महेश्वर नायक** : उपमंत्री महोद ने बताता है कि राष्ट्रीय सेना छात्र दल को पर्याप्त सामान उपलब्ध नहीं है । राष्ट्रीय सेना छात्र दल के लिये अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ताकि हमें राष्ट्रीय सेना छात्र दल में सर्वोत्तम व्यक्ति मिल सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दा० रा० चह्वाण** : जहां तक सामान की कमी की बात है, हम उतने ही वजन और उतनी ही लम्बाई को "डमी राइफल्स" बना रहे हैं। हम ने राज्यों में एककों को अनुदेश दिये हैं कि वे वहां वर्दियां आदि भी सिलवायें।

राष्ट्रीय मिलीशिया

†*३८१. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने सब सीमान्त जिलों में ग्रामीण युवकों की एक राष्ट्रीय मिलीशिया बनाने के सुझाव पर विचार किया है ताकि चीनी सेना के तरीकों को ध्यान में रखते हुए उन्हें युद्ध का सघन प्रशिक्षण दिया जा सके ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण)** : राष्ट्रीय मिलीशिया नामक कोई सेना बनाने का विचार नहीं है। शायद माननीय सदस्य राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल (नेशनल वालिन्टियर राइफल्स) का उल्लेख कर रहे हैं। इस के बनाने की एक योजना तैयार की जा रही है।

†**श्री रा० गि० दुबे** : सीमान्त जिलों में विशेषकर हिमालय के पास इस व्यवस्था को फैलाने के लिये क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ?

†**श्री दा० रा० चह्वाण** : राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल (वालंटिबर रायफल्स) बनाने की एक योजना विचाराधीन है।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि सरकार के पास इतने साधन नहीं हैं कि वह सरहद के इलाके में नेशनल वालंटियर कोर की ट्रेनिंग दे सके।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): जी हां, इतने साधन नहीं हैं। बनाये जा रहे हैं। मसलन इस वक्त बन्दूकों और राइफलों की लाखों में मांग है। हमारे पास लाखों नहीं हैं। हम बनाते जाते हैं और बाहर से मंगाते हैं और जो सामान आता जाता है उसे देते जाते हैं।

श्री विश्राम प्रसाद : अगर इस तरह की ट्रेनिंग देने की स्कीम नहीं है तो क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बार्डर के इलाकों के लोगों को आगे एग्रेशन से बचाने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह नहीं कहा कि स्कीम नहीं है, उन्हों ने कहा कि उस के बारे में सोच रहे हैं।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, अभी प्रधान मंत्री के वक्तव्य से जान पड़ता है कि अभी भी हमारी अवस्था अनाथों जैसी है। यदि सरकार के पास साधन नहीं हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि वह सीमा की सुरक्षा के लिये और देश की रक्षा के लिये साधन जुटाने को ये जो नाच आदि की योजनायें हैं इनको क्यों खत्म नहीं कर देती ?

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइये आप।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल (नेशनल वालंटियर राइफल्स) की स्थापना करने में इस बात का पर्याप्त ध्यान रखा गया है कि हथियार अनुचित व्यक्तियों के हाथों में न पड़ जायें ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि भूतकाल में ऐसी घटनायें हुई हैं। अतः हम हथियार जो मांगें उस को नहीं दे सकते। आजकल सेना के लिये रायफलों की कमी नहीं है अपितु 'होम गार्डों' स्वयं सेवकों और उन सब संस्थाओं के लिये कमी है जिन की मांग लगभग १० लाख रायफलों की है। हम यथासंभव उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हां, सेना को प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक सेना

*३८२. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय स्वयं सेवक सेना (नेशनल वालंटियर राइफल्स) बनाने का जो निश्चय किया गया था उसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कितने युवकों को प्रशिक्षण देने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार ने द्वितीय और तृतीय रक्षा पंक्ति दृढ़ करने के लिये कुछ और कार्यक्रम बनाये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) योजना सरकार के विचाराधीन है।

(ख) तथा (ग). प्रशिक्षण दिये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा अन्य बातों से सम्बन्धित तफसील को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

(घ) यह तो योजना को अन्तिम रूप दिये जाने पर ही मालूम हो सकेगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उप प्रतिरक्षा मंत्री जी ने अभी बताया कि नेशनल वालंटियर राइफिल्स की योजना अभी विचाराधीन है। देश की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्या उप-प्रतिरक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कब तक अन्तिम निर्णय कर लिया जा सकेगा ?

†**श्री दा० रा० चह्वाण** : यथाशीघ्र।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : संसद के पिछले अधिवेशन में उप प्रतिरक्षा मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि वह दूसरी और तीसरी रक्षा पंक्ति बना रहे हैं और उनमें आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को लेने का प्रश्न विचाराधीन है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने अन्तिम निर्णय ले लिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : ज्यादा तैयारी तो होम गार्ड्स के लिये हो रही है। और इसके लिये सब राज्यों में फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। एन० सी० सी० की भी तैयारी हो रही है और उसके लिये जो कुछ भी करना चाहिये वह राज्यों में हो रहा है। हमने इस सम्बन्ध में यूनीवर-सिटीज़ को भी लिखा है कि इसको कम्पलसरी कर दिया जाए। और नेशनल वालंटियर राइफिल्स की स्कीम भी हम बना रहे हैं और उम्मीद है कि वह जल्दी ही तैयार हो जाएगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय . . . .

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है कि स्वामी जी हर बार खड़े हो कर प्रश्न करना शुरू कर देते हैं ।

श्री रामेश्वरानन्द : आप कहते हैं कि जो खड़ा नहीं होगा उसको समय नहीं दिया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : आप खड़े हों लेकिन सवाल करना क्यों शुरू कर देते हैं । आप खामोशी से खड़े हो जाएं, मैं ठीक समझूंगा तो आपको समय दूंगा । आप बोलना क्यों शुरू कर देते हैं । अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं समय नहीं दूंगा ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : आजाद हिन्द फौज के बारे में कोई रुकावट नहीं है । कई लोगों को लिया जा चुका है, सैकड़ों लोगों को लिया है ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या सरकार का विचार सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत बनने वाली ग्राम स्वयं सेवक सेना को सैनिक प्रशिक्षण देने का है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह अलग प्रश्न है । अगला प्रश्न, श्री सौय ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : श्रीमान्, क्या आप प्रश्न संख्या ३९५ भी ले सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि आसानी से दोनों को एक साथ लिया जा सके तो वे साथ लिये जा सकते हैं ।

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : हां, श्रीमान । दोनों एक साथ लिये जा सकते हैं ।

'मिग' विमान

\+

†*३८३. { **श्री ह० च० सौय :**
श्री राम सेवक यादव :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस द्वारा दिये जाने वाले 'मिग' विमान लड़ाई के लिये हैं या अन्य प्रयोजनों के लिये; और

(ख) यदि हां, तो इनसे हमारी प्रतिरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में किस हद तक सहायता मिलेगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) और (ख). रूस केवल थोड़े से विमान देगा । प्रतिरक्षा की आवश्यकता मुख्यकर भारत में निर्माण करके पूरी होगी । 'मिग' विमान भारतीय वायु सेना के लिए हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

'मिग' विमान

†*३९५. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री यशपाल सिंह :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस से 'मिग' विमान मिल गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये विमान कितने हैं ; और

(ग) क्या १९६३ में और अधिक विमान आने की आशा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) श्रीमान, अभी नहीं। कुछ विमानों की थोड़े दिनों में आने की आशा है ।

(ख) संख्या बताना लोकहित में नहीं है ।

(ग) नहीं, श्रीमान ।

श्री ह० च० सौय : ये जो फ्यू प्लेन्स हमको मिलने वाले हैं ये कब तक मिलेंगे ?

एक माननीय सदस्य : आ रहे हैं ।

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से यह संख्या बताना ठीक नहीं होगा लेकिन अखबारों में यह संख्या निकला करती है। अध्यक्ष महोदय, अभी आपने कहा कि जब यह जानते हैं तब क्यों पूछते हैं ? चूंकि अखबारों की खबरें मुस्तनद नहीं होती हैं इसलिये हम उनसे जानना चाहते हैं कि वह अखबारों में जो संख्या छपती रहती है वह सही है या गलत है ?

अध्यक्ष महोदय : उनका जवाब है कि वह मुस्तनद खबर नहीं देना चाहते इसलिए अखबार वालों की ही रहने दीजिए ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : हमें भारत में इन विमानों का और इनके पुर्जों का कब तक निर्माण करने की आशा है, और क्या यहां नवीनतम किस्म के विमान बनाने का विचार है या केवल उपान्तिम प्रकार के विमान बनाये जायेंगे ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : मेरा विचार है कि यदि सारी तैयारी हो जाये तो शायद हम दो या तीन साल में उनका निर्माण करने लगेंगे ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : उस समय तक वे पुराने हो जायेंगे ।

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : इस बात का सम्बन्ध काल से है। अन्य बातें नहीं बताई जा सकतीं ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या अन्त में नवीनतम किस्म के विमान बनाने का विचार है या केवल उस किस्म के विमान बनाये जायेंगे जिनके बारे में हमने वार्ता की है और जो नवीनतम प्रकार के नहीं हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : जो भी किस्म हमारे लिये सन्तोषजनक होगी, वही बनाई जायेगी ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह विमान जहाजों से क्यों भेजे जा रहे हैं और उड़ान करके क्यों नहीं आ रहे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अब प्रश्न काल समाप्त हो गया ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

केरल में राकेट छोड़ने का केन्द्र

†*३७४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का राकेट छोड़ने का प्रथम केन्द्र केरल में बनाने का विचार है ;

(ख) क्या इसके लिये कोई स्थान चुन लिया गया है ; और

(ग) प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । स्थान आल्टीपुर के पास है और थुम्बा से दक्षिण में है और त्रिवेन्द्रम से कुछ मील उत्तर में है ।

(ग) स्थान भू-चुम्बकीय विषवत् पर है जो पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र और आपन-मण्डल की जांच पड़ताल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । विस्तृत वातावरण का प्रयोगात्मक अध्ययन गहराई-मापन राकेटों द्वारा किया जायेगा । जो गहराई मापन राकेट छोड़ना सुविधा से छोड़े जायेंगे । ऐसे अध्ययनों के लिए गहराई मापन राकेट बहुत ही लाभप्रद साधन है और ३० व २०० किलोमीटर अर्थात् गुब्बारों की उच्चतम सीमा और उपग्रहों की संचालन सम्बन्धी ऊंचाई के नीचे के स्तरों पर सीधा मापन कार्य करने का एक मात्र उपाय है ।

जवानों के परिवारों का कल्याण

†*३८४. **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री यु० सिं० चौधरी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सीमान्त की रक्षा में काम आने वाले या घायल होने वाले जवानों के परिवारों के कल्याण के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं ;

(ख) क्या इस विषय में केन्द्र ने राज्यों को कोई निदेश भेजे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा मोटे तौर पर क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) घायल हुए या मारे गये जवानों के परिवारों को निम्न सुविधायें उपलब्ध हैं :—

(१) घायल (और बीमार) सैनिकों को, जब कि वे अस्पतालों में हों, सामान्य वेतन और भत्ते मिलते हैं क्योंकि वह काल कार्य-काल माना जाता है। उन्हें अस्पताल में कोई व्यय नहीं करना पड़ता।

(२) युद्ध में मारे गये सैनिकों के आश्रितों को निम्न सुविधायें मिलती हैं :—

(क) परिवार आवंटन के बराबर विशेष परिवार भत्ता या विशेष परिवार पेंशन (जो सिपाही के लिए २० रु० प्रतिमास सें सूबेदार मजर के लिए ७५ रु० प्रतिमास है) और सन्तान भत्ता (जो ५ रु० मासिक से ७ रु० मासिक होता है) जो भी अनुकूल हो, दो मास तक मिलता ह। उसके बाद परिवार पेंशन के बराबर विशेष भत्ता तथा जहां प्राप्य हों, वहां सन्तान भत्ता और दो मास तक दिया जाता है।

(ख) रिकार्ड आफिस से मृत्यु तथा उत्तराधिकारी के बारे में सूचना मिलने पर तत्काल सिपाही के लिए २०० रु० से लेकर सूबेदार मेजर तक १२०० रु० का विशेष मृत्यु उपदान दिया जाता है।

(ग) जे० सी० ओ० के मामलों में ७५ रु० मासिक और अन्य पदों तथा एन० सी० ई० के मामलों में ५० रु० मासिक सेना सहायता निधि से दिये जाते हैं। यह निधि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि से बनती है। यह राशि चार मास तक दी जाती है।

(घ) जहां जे० सी० ओ० अन्य मदों या एन सीज ई० के आश्रितों को अन्तिम पेंशन शीघ्र नहीं दी जा सकती उन मामलों में 'जांच पंचाट के अनिश्चित रहने तक' नामक अस्थायी परिवार पेंशन दी जाती है।

(३) जो सैनिक सेना सेवा के फलस्वरूप अपंग होने के कारण सेवा के योग्य नहीं रहते और जो २०.प्रतिशत या अधिक मानी जाती है, उन्हें अपंग होने की पेंशन मिलती है। यदि आरम्भ में अपंगपन २० प्रतिशत से कम जांचा जाता है तो अपंग होने की कोई पेंशन नहीं मिलती। परन्तु सेवा-काल के अनुसार सेवा पेंशन या सेवा उपदान दिया जाता ह। साधारणतया पांच वर्ष से कम की सेवा के लिए कोई उपदान नहीं दिया जाता। परन्तु जहां अपंगपन (हलांकि, २० प्रतिशत से कम हो) युद्ध सेवा से सम्बन्धित हो, वहां दो मास के वेतन के बराबर विशेष उपदान दिया जाता है।

(ख) और (ग). सभी राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने की प्रार्थना की गई है कि वे युद्ध सेवा कर्मचारियों के परिवार/आश्रित की और उनकी सम्पत्ति आदि की उनकी अनुपस्थिति में रक्षा की जायें एवं जो सैनिक युद्ध में मारे जायें उनके परिवारजनों तथा आश्रितों के लिए शिक्षा, छात्र वृत्तियों तथा रोजगार की व्यवस्था की जाये ताकि परिवार को जीवन-यापन की अनुपस्थिति के कारण अत्यधिक कठिनाई न हो। शिक्षा सम्बन्धी रियायतों के मामलों में राज्य सरकारों से सभी लड़ाकू सशस्त्र सेना कर्मचारियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, पूर्ण छात्रवृत्तियां देने के लिए, जिनमें उनके अधिकतर बच्चों के बोर्डिंग के व्यय भी सम्मिलित हैं, और युद्ध में मरे कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रार्थना की गई है। राज्य सरकारों से इस पर विचार करने के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

सिफारिश की गई है कि कृषि योग्य अतिरेक भूमि युद्ध में मारे गये कर्मचारियों के आश्रितों को दें दीजाये। यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है कि जवानों या उनके परिवारों को अपने किरायेदारों या उप किरायेदारों से किराया लेने में कठिनाई न हो।

लोहा और इस्पात के लिए मजूरी बोर्ड

†*३८५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी इस्पात सन्यन्त्रों ने अभी अन्तरिम सहायता के बारे में मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करना मंजूर नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार का इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) जी नहीं। सिफारिशें लागू करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कटंगा में बन्दी बनाये गये भारतीय सैनिक

†*३८६. **श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कांगो में कटंगा की सेना ने एक संयुक्त राष्ट्र हैलीकोप्टर को बलात् नीचे उतार कर अन्य लोगों के साथ छः भारतीय सैनिकों को बन्दी बना लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितनों को मुक्त कर दिया गया है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि एक भारतीय सैनिक की मृत्यु हो गई थी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) से (ग). कटंगा की सेना ने २४ दिसम्बर, १९६२ को एक हैलीकोप्टर पर गोली चलाई और दो अधिकारियों **तथा दो एन० सी० सी० ओस** को पकड़ लिया जो भारतीय स्वतन्त्र ब्रिगेड ग्रुप के थे। २ लेफ्टीनेंट सरूपसिंह कंग (आई सी—१२७११) जो बुरी तरह घायल हो गया था, कटंगा के असैनिक अस्पताल में आप्रेशन होते समय मर गया। बाकी सभी पकड़े गये व्यक्ति उसी दिन छोड़ दिये गये।

आसाम की अर्थ व्यवस्था

† ३८७. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार तथा आसाम सरकार के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत के फलस्वरूप आसाम में प्रतिरक्षा उद्योग स्थापित करके वहां की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोई विशेष योजना बनाई गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) तथा (ख). आसाम सरकार से एक प्रार्थना आई है कि आसाम राज्य में प्रतिरक्षा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ उद्योग स्थापित किये जायें। मामला विचाराधीन है।

अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोगों के बारे में सम्मेलन

†*३८८. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को मार्च १९६३ में टोकियो में होने वाले अणुशक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोगों को बढ़ावा देने सम्बन्धी सम्मेलन में भाग लेने के लिये निमन्त्रित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने यह निमन्त्रण स्वीकार कर लिया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) निमन्त्रण विचाराधीन है।

रेलवे कर्मशालाओं में रक्षा-सामग्री का निर्माण

†*३९०. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे कर्मशालाओं में कुछ प्रतिरक्षा सामग्री के निर्माण की सुकरता तथा वांछनीयता पर विचार किया है ; और

(ख) क्या द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान किसी रेलवे कर्मशाला का इस प्रकार के सामान के निर्माण के लिये उपयोग किया गया था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) रेलवे प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श हुआ है जिसके फलस्वरूप हथियारों के उत्पादन के लिए आवश्यक औजारों के लिए कुछ क्रयादेश रेलवे कारखानों को दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, रेलों ने भी गोला-बारूद का सामान बनाना आरम्भ किया है। रेलवे कारखानों ने सेना की गाड़ियों का ढांचा बनाने का भी प्रस्ताव किया है और यह मामला आगे बढ़ रहा है।

(ख) हां, श्रीमान्, द्वितीय युद्ध काल में रेलवे कारखानों का ऐसे निर्माण के लिए प्रयोग किया गया था।

सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी

†*३९१. **श्री प० कुन्हन** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, १९६२ में गोदावरी खानी सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी के प्रतिनिधित्व करने वाले संघ का निश्चय करने के लिये कागजों से और मौके पर जांच की गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार की जांच पहले भी की गई थी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो जांच के परिणामों को क्यों रोक लिया गया जबकि यह जांच आपातकाल की घोषणा से पहले कर ली गई थी?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) जी हां।

(ख) जांच दिसम्बर, १९६१ में आरम्भ हुई थी परन्तु जनवरी, १९६२ में बन्द कर देनी पड़ी क्योंकि संबंधित संघ के विरुद्ध कुछ फौजदारी के मामले अनिश्चित पड़े थे और आशा थी कि मजदूरों की संख्या शीघ्र ही काफी बढ़ जायेगी क्योंकि खान में काम भी बढ़ने वाला था।

(ग) सरकार को संकट काल की घोषणा होने से पहिले परिणाम के प्राप्त न होने के कारण उन्हें रोकने का प्रश्न ही नहीं है।

मोजम्बीक में भारतीय

†*३९२. **श्री मंत्री :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री प्र० च० बरुआ :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तगाली अधिकारियों ने मोजमबीक में रहने वाले दो-हजार भारतीयों को नोटिस दे दिये हैं कि वह उस देश से तुरन्त निकल जायें; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख). सरकार को सूचना मिली है कि पुर्तगाली प्राधिकारियों ने भारतीयों को बहुत बड़ी संख्या में मोजमबीक से देश-निष्कासन के आदेश दे दिये हैं। देश से निकालने के इन आदेशों के विरुद्ध पुर्तगाली सरकार से विरोध किया गया था जो कि इस संबंध में भारत सरकार और पुर्तगाल सरकार के बीच हुए करार की शर्तों के खिलाफ है। इसके साथ ही सरकार ने अरब संघ अधिकारियों से तत्काल मोजमबीक एक प्रतिनिधि भेजने की प्रार्थना की जो मोजमबीक में भारतीयों को वैधिक रक्षा प्रदान कर सके। संबंधित भारतीय राष्ट्रजनों को पुतगाली बस्ती से आने के लिए नौवहन सुविधा भी बढ़ाई जा रही है।

कलकत्ते में युद्ध सामग्री की कथित बिक्री

*३९३. **श्री राम सेवक यादव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-पूर्व सीमा अधिकरण (नेफा) को भेजी गई युद्ध सामग्री कलकत्ते में बेची गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार बेची गई सामग्री का ब्योरा क्या है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस सामान की बिक्री के लिये कौन से लोग जिम्मेदार थे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) लगभग दो सप्ताह हुए समाचार पत्रों में एक रिपोट थी, कि नेफा को जाने वाली कुछ सामग्री संबंधित हवाबाज कम्पनी से संबद्ध कुछ व्यक्तियों द्वारा, कलकत्ता में बेची गई थी । कुछ दिनों पश्चात् उस हवाबाज कम्पनी द्वारा इसका खंडन किया गया था ।

(ख) तथा (ग). कोई विशिष्ट विस्तरण प्राप्य नहीं हैं कि जिसके आधार पर संतोषजनक जांच की जा सके ।

कोलम्बो सम्मेलन

†*३९४. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री ह० चं० सौय :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री विभूति मिश्र :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हेम बरुआ :
श्री हेम राज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कोलम्बो सम्मेलन ने क्या निर्णय किए हैं तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : चीन-भारत सीमा विवाद के शान्तिपूर्ण निपटारे के लिए कोलम्बो में हुए छः असम्बद्ध राष्ट्रों के सम्मेलन के प्रस्ताव पटल पर रखे जा रहे हैं । प्रस्तावों पर संसद् विचार करेगी । प्रस्ताव पर सरकार की अन्तिम प्रतिक्रिया, उनपर संसद् द्वारा विचार किये जाने के बाद तैयार की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ब्रिगेडियर होशियार सिंह की मृत्यु

†*३९६. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यु० सिं० चौधरी :
श्री महेश्वर नायक :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री कपूर सिंह :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिगेडियर होशियार सिंह को गोली से उड़ाने की घटना की कोई जांच की गई है क्योंकि मालूम हुआ है कि उनको चीन के सैनिकों ने पैकिंग के इकतरफा युद्ध विराम के बहुत समय बाद गोली मारी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) और (ख). ब्रिगेडियर होशियार सिंह की मृत्यु की जांच की गई है और परिणाम यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारी को चीनियों ने २७ नवम्बर, १९६२ को, अर्थात् युद्ध-विराम की चीन सरकार द्वारा घोषणा होने के बाद मुठभेड़ में मारा।

कांगो में भारतीय सैनिक

†*३९७. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगों में संयुक्त राष्ट्र की कमान के अधीन काम कर रहे भारतीय सैनिक इस बीच लौट आये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) जैसा कि इस सभा में ८ नवम्बर और ११ दिसम्बर, १९६२ को बताया गया था, हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को सूचना दे दी है कि भारत पर चीनियों के बड़े पैमाने पर आक्रमण करने की दृष्टि से हम अपनी सेनाओं को इतनी जल्दी जितनी संयुक्त राष्ट्र अपने शान्ति-स्थापना कार्य को बिगाड़े बिना उन्हें छोड़ सके, वापस बुलाना चाहते हैं। अब महासचिव ने सूचित किया है कि भारतीय ब्रिग्रेड ग्रुप की वापसी मार्च, १९६३ के अन्त

†मूल अंग्रेजी में

से पहिले पूरी हो जायेगी और अन-ब्रिगेडेड यूनिटों को वापसी अप्रैल, १९६३ के अन्त तक होगी। हमारी सेनाओं की तत्काल वापसी के लिए जोर देने और संयुक्त राष्ट्र को अन्य प्रबन्ध करने का समय न देने से संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई सारी कांगो कार्यवाही छिन्न भिन्न हो जाती।

प्रतिरक्षा कार्य

†*३९८. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिरक्षा कार्यों में भारतीय लेखकों, कलाकारों तथा फिल्म निर्माताओं की योग्यता का लाभ उठाने के प्रयत्न किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार; और

(ग) अब तक की गई कार्यवाहियों का ब्यौरा क्या है?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). एक विवरण पटल पर रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ६७०/६३]

सेना को साप्ताहिक पत्र पत्रिकायें

*३९९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेना में अंग्रेजी के कौन-कौन से साप्ताहिक पत्र और कितनी संख्या में जाते हैं; और

(ख) क्या समाचार-पत्रों को सेना के लिये स्वीकृत करने से पूर्व इनकी नीति पर विचार कर लिया जाता है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) आवश्यक सूचना देना संभव नहीं है। क्योंकि सैनिक यूनिटों को पत्रिकाओं के प्रदाय की व्यवस्था यूनिट कमांडरों द्वारा की जाती है, न कि किसी केंद्रीय संस्था द्वारा।

(ख) जी हां। वही पत्रिकाएं खरीदी जाती हैं जिन्हें यूनिट कमांडर उचित समझें।

श्रीनगर-लेह सड़क

†८७३. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सोनमर्ग से आगे श्रीनगर-लेह सड़क को अब हल्की गाड़ियों (ट्रकों) के चलने योग्य बना दिया गया है; और

(ख) असैनिक आबादी तथा सैनिकों के लिये आवश्यक रसद पहुंचाने के लिये सड़क यातायात का कहां तक प्रयोग किया जाता है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) जी हां, सड़क विनियमित तथा सीमित यातायात के योग्य है।

(ख) इसका ब्योरा बताना जनहित में नहीं होगा।

आयुध कारखानों में उत्पादन

†८७४. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों में आयुध कारखानों में उत्पादन दुगुना हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में कहां तक वृद्धि हुई है; और

(ग) और अधिक आयुध कारखाने स्थापित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं तथा कौन से स्थान चुने गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) कारखानों के एक नये समूह की योजना बनाई जा रही है परन्तु स्थानों के बारे में अभी कुछ नहीं बताया जा सकता क्योंकि उनका अभी कोई निश्चय नहीं हुआ है।

शस्त्र सहायता

†८७५. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मोहसिन :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंग्लैंड और अमरीका के अतिरिक्त किन्हीं अन्य देशों ने भारत को शस्त्र दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे कौन से देश हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि इस शस्त्र सहायता के पीछे कोई राजनैतिक शर्तें नहीं हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) जी हां। (अनुमान है कि मांगी गई जानकारी एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार के आधार पर तथा वर्तमान आपात की घोषणा के बाद हुये संभरण के विषय में है)।

(ख) आस्ट्रेलिया।

(ग) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड

†८७६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी पत्रकारों के लिये दूसरा मजूरी बोर्ड नियुक्त करने का अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड में कौन कौन से सदस्य होंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री वे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) से (ग). श्रमजीवी पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड नियुक्त करना सरकार इस समय आवश्यक नहीं समझती ।

भारतीय युद्ध-बन्दी

†८७७. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री मोहसिन :
श्री बाल्मीकी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन द्वारा बनाये गये सभी भारतीय युद्ध-बन्दियों को उन्होंने अब तक वापिस लौटा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) जी नहीं

(ख) अभी तक चीनियों द्वारा लौटाये गये व्यक्तियों का ब्योरा निम्न प्रकार है :—

७०६	सैनिक जिनमें से दो बाद में मर गय
१४	आसाम राइफल्स के कर्मचारी
५	व्यक्ति सामान्य रक्षित इंजीनियर दल (जनरल रिज़र्व इंजीनियर फोर्स) के
४	असैनिक
७२९	

इनके अतिरिक्त चीनियों द्वारा १२ लाशें भी लौटाई गईं ।

(ग) चीनियों ने समय-समय पर एक पक्षीय रुप से कुछ बीमार और घायल बन्दी वापिस किये हैं । शेष बन्दियों को वापस न करने के उन्होंने कोई कारण नहीं बताये हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय सेनाओं के शिक्षण कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण[1]

†८७८. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख तथा नेफा के पहाड़ी क्षेत्रों में भू-प्रदेश और अन्य बातों को देखते हुये भारतीय सेनाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम को किसी प्रकार पुनर्निर्धारित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) तथा (ख). जी हां, पर्वतीय युद्धकला[2] का प्रशिक्षण कुछ प्रमुख श्रेणियों को दिये जाने वाले सामान्य प्रशिक्षण में पहले से ही सम्मिलित था । फिर भी, अपनी नई युद्ध आवश्यकताओं को देखते हुये, प्रशिक्षण के इस पहलू पर विशेष जोर दिया जा रहा है तथा इसमें ऊंचे पर्वतों पर लड़ने का अग्रेतर और विशेष प्रशिक्षण शामिल होगा । इसका ब्योरा बताना जनहित में नहीं होगा ।

'मिग' विमानों के लिये चालकों का प्रशिक्षण

†८७९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को दिये जाने वाले मिग–२१ जैसे विमानों को चलाने का प्रशिक्षण पाने के लिये भारतीय वायु बल के कुछ वायुयान-चालकों को रूस भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या तथा प्रशिक्षण की अवधि कितनी है और क्या ये चालक 'मिग' विमानों को उड़ा कर भारत लायेंगे ;

(ग) क्या भारत में 'मिग' विमानों के उत्पादन तथा उनके लिये चालकों के प्रशिक्षण का कोई विकासशील कार्यक्रम बना लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) जी हां ।

(ख) न तो विमानों की संख्या और प्रशिक्षण की अवधि बताना जनहित में होगा और न ही यह कि वे किस प्रकार भारत लाये जायेंगे ।

(ग) तथा (घ). 'मिग' विमानों के उत्पादन का एक विकासशील कार्यक्रम बनाया जा रहा है । चालकों का प्रशिक्षण भी इससे सम्बद्ध होगा ।

अखबारी कागज की मांग

†८८०. **श्री कोया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपात काल में समाचारपत्रों की बिक्री संख्या बढ जाने के कारण अखबारी कागज की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Reorientation.

[2]Mountain warfare.

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : विदेशी मुद्रा की कठिन अवस्था को देखते हुये आपातकाल में बढ़ती हुई बिक्री-संख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये और अधिक अखबारी कागज का प्रबन्ध करना इस समय संभव नहीं है। समाचारपत्रों क बिक्री-संख्या में हुई बढ़ोतरी को पूरा करने के लिये उन्हें अपने पृष्ठों की संख्या में फेरबदल करने का परामर्श दिया गया है ।

हज यात्री

†८८१. **श्री कोया** : क्या **प्रधान मंत्री** ७ सितम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यें बताने की कृपा करेंगे कि क्या पैरामाऊंट ट्रेवल एजेंसी द्वारा हज यात्रियों को धोखा दिये जाने के बारे में जांच पूरी हो गई है और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी हां, पैरामाऊंट ट्रवल एजेंसी के मैनजर श्री सैयुद्दीन अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा भारतीय दंड संहिता की धारा ४२०/३७९/४०६ के अधीन मामला दर्ज कर लिया गया है ।

राष्ट्रीय विचारों वाली फिल्मों का निर्माण

८८२. **श्री यु० सिंह० चौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अति श्रंगारिक फिल्मों के स्थान पर राष्ट्रीय विचारों वाली फिल्में बनाने की कोई योजना विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). सरकार स्वयं फ़ीचर फ़िल्में नहीं बनाती ? लेकिन कई निर्माता राष्ट्रीय भावनाओं वाली फ़ीचर फ़िल्में बना रहे हैं ।

कोहिमा में रेडियो स्टेशन

†८८३. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा प्रदेशों में प्रसारण-क्षेत्र के विस्तार के लिये कोहिमा में एक नया रेडियो स्टेशन स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कितना व्यय होगा ; और वहां लगाये जाने वाले पारेषकों* की क्षमता क्या होगी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

*Transmitters.

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) ४ जनवरी, १९६३ को कोहीमा में एक १ किलोवाट का मीडियम वेव रेडियो स्टेशन चालू किया गया था।

(ख) योजना पर कुल लगभग ४.५५ लाख रुपये लागत आई है।

केरल में रक्षा कोष के धन का दुरुपयोग

†८८४. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि केरल में रक्षा कोष के लिये इकट्ठे किये गये धन का दुरुपयोग किया गया है;

(ख) क्या त्रिचूर के दैनिक "थोझीलाली" की सम्पादकीय टिप्पणी के आधार पर कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग) दिनांक ७ दिसम्बर, १९६२ के मलायलम दैनिक "थोझीलाली" में निम्नलिखित शिकायतें की गई थीं :—

(क) रक्षा कोष के लिये वसूल किये जाने वाले धन का लेखा रखने का कोई उचित तरीका नहीं है;

(ख) बहुत से अवांछनीय लोगों ने रक्षा कोष के लिये धन इकट्ठा करना आरम्भ कर दिया है;

(ग) इकट्ठा करने वाली कुछ एजेंसियों द्वारा रक्षा कोष तथा दिये गये सोने में हेराफेरी करने की सूचनायें आई हैं;

(घ) प्रतिहिंसा की धमकी दे कर लोगों को धन देने पर विवश किया जा रहा है।

केरल सरकार से की गई पूछताछ से प्रकट होता है कि राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये धन प्राप्त करने और प्राप्त धन का हिसाब रखने के लिये उन्होंने पर्याप्त प्रबन्ध किये हैं। वहां राज्य, जिला, तालुक, पंचायत तथा वार्ड स्तरों पर बनी विधिवत् समितियां हैं जिन में सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्य हैं। विभिन्न समितियों के सदस्यों को धन संग्रह के लिये प्राधिकृत किया गया है जिन्हें छपी हुई कच्ची रसीदें देनी पड़ती हैं। एकत्रित धन सरकारी एजेंसियों को सौंप दिया जाता है जो उसके बदले में पक्की रसीदें देती हैं। रक्षा कोष के लिये इकट्ठा किया गया सारा रुपया और सोना स्टेट बैंक आफ इंडिया में जमा करा दिया जाता है। अप्राधिकृत वसूली के बारे में कुछ अस्पष्ट अफवाहें हैं परन्तु किसी भी स्थान से उचित रसीदों के न मिलने के बारे में कोई शिकायत नहीं आई है। एकमात्र प्रमुख शिकायत जो विशेष रूप से की गई है वह विविध मनोरंजन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा एकत्रित किये जाने वाले धन के विषय में है। रक्षा कोष के लिये किये जाने वाले ऐसे कार्यक्रमों के प्राधिकार और नियंत्रण के लिये राज्य सरकार ने हिदायतें जारी कर दी हैं। हेराफेरी के कोई निश्चित उदाहरण अभी तक सरकार के ध्यान में नहीं आये हैं। राज्य सरकार अप्राधिकृत वसूली तथा धन के दुरुपयोग के विरुद्ध साधारण विधि के अन्तर्गत कार्यवाही करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

धन संग्रह का काम अनुमोदित समितियों और इकट्ठा करने वाली एजेंसियों द्वारा किया जाता है जिन में कांग्रेसियों सहित सभी दलों के लोग होते हैं जो रक्षा प्रयास का हार्दिक समर्थन करते हैं। कुछेक शिक्षा संस्थाओं में बलात् धन-संग्रह की शिकायतें मिलने पर राज्य सरकार ने तुरन्त ही सार्वजनिक शिक्षा के निदेशक को यह देखने के लिये हिदायतें भेज दी थीं कि किसी भी संस्था में बलात् धन-संग्रह न किया जाये।

राज्य सरकार मानती है कि कुछेक अवांछित घटनाओं की पूर्ण रूप से रोकथाम नहीं की जा सकती। उसने इन अवांछनीय रीतियों को रोकने का प्रयत्न किया है और इस बात का निश्चय किया है कि जब-जब ये उसके ध्यान में आयेंगी, उनकी रोकथाम की जायेगी। कुछ भागों में अवांछनीय टिप्पणियां होने के बावजूद भी लोगों की प्रतिक्रिया काफी उदार रही है और संग्रह ११० लाख रुपयों से भी बढ़ गया है। यह ध्यान देने की बात है कि लोगों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया के बिना इस प्रकार का संग्रहण संभव न हो सकता था।

उद्योगों में श्रमिकों द्वारा अधिक समय तक किया गया काम

†८८५. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में बहुत से उद्योगों तथा संस्थाओं में श्रमिकों ने बिना अधिक मजूरी लिये अधिक समय तक काम करना स्वीकार कर लिया है और वास्तव में काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो किन किन उद्योगों तथा संस्थापनों में;

(ग) क्या इस प्रकार अधिक समय तक किये गये काम की मजूरी की कुल राशि मालिकों या मैनेजरों द्वारा राष्ट्रीय रक्षा कोष में दी जा रही है;

(घ) क्या इस प्रकार अधिक समय तक किये गये काम से होने वाले अतिरिक्त लाभ तथा प्रबन्ध-अभिकर्ताओं के पारिश्रमिक, जब कभी वे ग्राह्य हों, भी राष्ट्रीय रक्षा कोष में दिये जाते हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) से (ङ). सूचना मिली है कि कुछ उपक्रमों में श्रमिक अधिक समय तक काम करने का भत्ता लिये बिना अधिक समय तक काम कर रहे हैं तथा उस समय की आमदनी राष्ट्रीय रक्षा कोष में दी जा रही है। केन्द्रीय नियोजक संगठनों ने अपने अंगभूत सदस्यों को अपने लाभों का एक अंश राष्ट्रीय रक्षा कोष में देने को कहा है। उनमें से कुछेक ने तो एक विशिष्ट सूत्र बना लिया है कि औद्योगिक समवायों की निर्धारणीय[1] आय का ५ प्रतिशत रक्षा कोष में दिया जाये। तथापि, इसका ब्योरा उपलब्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Assessable.

सीमा सड़क विकास बोर्ड[1]

†८८६. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सड़क विकास बोर्ड के सदस्य कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या उनमें कोई परिवर्तन करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार का ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) सीमा सड़क विकास बोर्ड के १४ सदस्य हैं जिनमें प्रधान मंत्री भी सम्मिलित हैं जो इसके सभापति हैं । सदस्य निम्नलिखित हैं :—

प्रतिरक्षा मंत्री,
श्री वी० के० कृष्ण मेनन,
मंत्रीमंडल सचिव,
वैदेशिक-कार्य सचिव,
परिवहन सचिव,
प्रतिरक्षा सचिव,
काश्मीर सम्बन्धी मामलों के विभाग के सचिव,
थल-सेना अध्यक्ष,
वायु सेना अध्यक्ष,
वित्त परामर्शदाता (प्रतिरक्षा),
परामर्शी इंजीनियर (सड़क विकास),
महानिदेशक, सीमा सड़कें, तथा
सचिव, सीमा सड़क विकास बोर्ड ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चीनी विमानों द्वारा भारतीय वायु-क्षेत्र का अतिक्रमण

८८८. श्री प्रकाशवीर शास्त्री
श्री राम सेवक यादव :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री हेम बरुआ :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री मंत्री :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २० अक्तूबर, १९६२ के बाद चीनी विमानों द्वारा कितनी बार भारतीय वायु-क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Border Roads Development Board.

(ख) क्या इस सम्बन्ध में भारतीय सेनाओं को कुछ विशेष आदेश दिये गये हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि चीन को यह चेतावनी दे दी गयी है कि चीनी विमानों द्वारा भारतीय वायु-क्षेत्र का अतिक्रमण सहन नहीं किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) तीन ।

(ख) उपयुक्त अनुदेश पहले से ही विद्यमान् हैं ।

(ग) चीन सरकार को विरोध पत्र भेजे गये हैं, और उन्हें ऐसे उत्तेजक कार्य फौरन बन्द कर देने को कहा गया है ।

उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल

८८९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ६ सितम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक सैनिक स्कूल खोलने का जो प्रश्न विचाराधीन था उसके सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मामला अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

प्रतिरक्षा सेवाओं के अधिकारियों का विदेशों में प्रशिक्षण

†८९०. **श्री मोहसिन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा सेवाओं के कुछ अधिकारी प्रशिक्षण लेने के लिये १९६२ में विदेशों में भेजे गये थे; और

(ख) यदि हां, तो कितने अधिकारी भेजे गये थे और कहां ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तीनों सेवाओं के १६५ अधिकारी आस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, हालैंड, हांगकांग, स्वीडन, स्विटज़रलैंड, इंग्लैंड, अमरीका और रूस भेजे गये हैं ।

कर्नल भट्टाचार्य

†८९१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नल भट्टाचार्य ने, जो कि पूर्वी पाकिस्तान में जेल में बन्द हैं, ढ़ाका न्यायालय में एक आवेदन पत्र दायर किया है; और

(ख) यदि हां, तो न्यायालय ने क्या फैसला किया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां । कर्नल भट्टाचार्य ने ढ़ाका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीपति को दो याचिकायें दी हैं जिन में यह कहा गया है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा उनकी सजा में की गई चार वर्ष की कमी और राज्यपाल द्वारा दिये गये आदेश के द्वारा की गई चार वर्ष की अग्रेतर कमी दो अलग अलग कालावधि थीं जो कि उनको प्रारम्भ में दी गई आठ वर्ष की कुल सजा की अवधि के बराबर है । इसलिये २६ जून, १९६२ के पश्चात् उनका विरोध अवैध है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रारम्भिक सुनवाई नवम्बर, १९६२ के अन्त में हुई थी और अब वह ढाका उच्च न्यायालय की बड़ी बेंच द्वारा पुनः आरम्भ कर दी गई है तथा अभी जारी है।

अस्पतालों में जवान

*८९२. **श्री बिशनचन्द्र सेठ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा और लद्दाख मोर्चों से आये हुए अस्पतालों में भर्ती जवानों की कुल वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) उन में से कितनों को 'डिस्चार्ज' (सेवोन्मुक्त) कर दिया गया है;

(ग) अस्पतालों में चिकित्सा के पश्चात् सेना की सेवा के लिये अनुपयुक्त हुए जवानों की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार उनके लिये किस प्रकार की सहायता करने का विचार कर रही है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) अनुमान है कि प्रश्न 'अन्य श्रेणियों' से सम्बन्धित है। नेफा और लद्दाख मोर्चों के इस वर्ग के व्यक्तियों की कुल संख्या, जिनका कि विभिन्न सेना अस्पतालों में उपचार हो रहा है, १६६४ है।

(ख) और (ग) 'अन्य श्रेणी' के उन व्यक्तियों की संख्या जिनकी चिकित्सा के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया जायेगा अथवा सक्रिय सेवा से हटाया जायेगा तब तक नहीं बताई जा सकती जब तक कि उनकी पूर्ण रूप से चिकित्सा न हो गयी हो।

(घ) उन सब को अशक्त निवृत्ति वेतन दिया जाता है जिनकी अशक्तता २० प्रतिशत या अधिक आंकी जाती है। जिनकी अशक्तता शत प्रतिशत है और जिनके लिये निरन्तर देखभाल की आवश्यकता समझी जाती है, उन को कुछ विहित शर्तें पूर्ण होने के पश्चात् अशक्तता निवृत्ति वेतन के अतिरिक्त निरन्तर देखभाल के लिये भत्ता दिया जाता है। जो सेना की सेवा के कारण अशक्त हो जाते हैं, वे निःशुल्क चिकित्सा तथा कृत्रिम अंग पाने के अधिकारी होते हैं।

उन सैनिकों के लिये, जिनको स्वास्थ्य सम्बन्धी अशक्तता के कारण सेना की सेवा से उन्मुक्त किया जाता है, पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्रों पर, उदाहरणार्थ, क्वीन मेरी टैक्नीकल स्कूल, किरकी, ट्रेनिंग सेन्टर फार दी अडल्ट ब्लाइंड, देहरादून, और ट्रेनिंग सेन्टर फार दी अडल्ट डैफ, हैदराबाद, व्यावसायिक प्राविधिक प्रशिक्षण की सुविधायें भी उपलब्ध हैं। प्रशिक्षण के दौरान, प्रशिक्षणार्थियों को क्वीन मेरी टैक्नीकल स्कूल, किरकी, में प्रतिव्यक्ति ५०) रुपया प्रतिमाह दिया जाता है जिस में से ३८) रुपया प्रति मास भोजन तथा वास पर व्यय किया जाता है। अन्य दो संस्थाओं में भोजन, वासस्थान तथा वस्त्र निशुल्क प्रदान किये जाते हैं। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर, अशक्त भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिलाने में बम्बई, दिल्ली, मद्रास और हैदराबाद में स्थित विशिष्ट रोजगार दफ्तरों द्वारा सहायता दी जाती है।

सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए रेडियो सैट

†८९३. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों के नैतिक स्तर को ऊंचा करने के लिये ग्रामीण जन समुदाय को रेडियो सैटों के संभरण की कुछ व्यवस्थायें की गई हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

Other Ranks

(ख) यदि हां, तो क्या और कितने ग्रामों को रेडियो सैट प्रदान किये गये हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक आर्थिक सहायता योजना के अन्तर्गत गांवों में, जिस में सीमावर्ती क्षेत्रों के गांव भी सम्मिलित हैं, ग्राम समुदाय के सुनने के लिये लगाये जाने वाले रेडियो सैट राज्यों को १९५४-५५ से दिये जा रहे हैं। अब तक दिये गये रेडियो सेटों की कुल संख्या ७८,०२५ है। इन सैटों के ग्रामों में वितरण का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है ।

लगभग एक हजार अतिरिक्त रेडियो सेट विशेषत: आसाम, नेफा और नागालैंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में लगाये जाने के लिये प्रदान किये गए हैं ।

चीनियों द्वारा नेफा के खाली किये गये क्षेत्र में सुरंगों का बिछाया जाना

८९४. **श्री राम सेवक यादव** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनियों ने पूर्वोत्तर सीमान्त एजेंसी क्षेत्र (नेफा) में खाली किये गये कुछ क्षेत्रों में सुरंगें बिछा दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) तथा (ख). इस प्रश्न के बारे में सभा में सूचना प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा ।

जवानों के लिए भूमि

†८९५. **श्री बिशनचन्द्र सेठ** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने उन जवानों को भूमि देने का प्रस्ताव किया है जिन्हों ने सीमा की रक्षा करते-करते अपना जीवन अर्पण कर दिया;

(ख) यदि हां, तो ये राज्य कौन-कौन से हैं;

(ग) अब तक उनकी कितनी भूमि जवानों के परिवारों को बांट दी गई है; और

(घ) क्या ऐसे जवानों को जो कि मारे गये हैं तथा जिनको परिवारों को यह भूमि दी जायेगी कोई सूची तैयार की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) जी, हां ।

(ख) अब तक आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमांचल प्रदेश राज्यों ने भूमि देने के प्रस्ताव की घोषणा की है ।

(ग) यह सूचना उपलब्ध नहीं है, भूमि राज्य सरकारों द्वारा दी जायेगी ।

(घ) अभिलेख कार्यालयों को यह अनुदेश दे दिये गये हैं कि मृतक जवानों की सूची सीधे उन सम्बन्धित राज्य सरकारों को भेजें जो कि भूमि के बांटने आदि के लिये कार्यवाही करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड

†८९६. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खनिक उद्योग के मजूरी बोर्ड ने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

सिंगरेनी की कोयला की खानें

†८९७. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी को क्वार्टरों के निर्माण के लिये १९६२-६३ के दौरान कितनी राशि दी गई है; और

(ख) मांगी हुई राशि का शेष कब प्रदान किया जायेगा ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) २५,१५,०५४·०० रुपये ।

(ख) ज्योंहि कम्पनी निर्माण कार्य करेगी और खर्च की हुई राशि का एक प्रमाणित लेखा देगी ।

भारतीयों का चीन से निष्क्रमण

†८९८. **श्री हरि विष्णु कामत** : **क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ दिसम्बर, १९६२ से ले कर चीन और तिब्बत से निष्क्रान्त भारतीय जनों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या निष्क्रमण से पूर्व सरकारी प्राधिकारियों ने अथवा अन्य चीनी राष्ट्रजनों ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया अथवा उन्हें उत्पीड़ित किया; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार से ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) १ दिसम्बर, १९६२ से ले कर चीन में भारतीय राजनयिक तथा वाणिज्यिक दूतमंडल के कर्मचारियों के परिवारों के ६१ सदस्य एक भारतीय व्यापारी तथा दो बच्चे चीन छोड़ कर आये हैं ।

(ख) और (ग). उन्हें विदेशी मुद्रा तथा निष्कासन अनुमति पत्र प्राप्त करने में कठिनाइयां हुईं । भारतीय व्यापारी ने अपनी आस्तियों के हस्तान्तरण की अनुमति प्राप्त हुए बिना ही चीन छोड़ दिया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनियों द्वारा ले जाई गई असैनिक सम्पत्ति

†८९९. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :**
श्री राम सेवक यादव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनियों द्वारा उस क्षेत्र से जिसे उन के सैनिकों न खाली किया है ले जाई गई अथवा नष्ट की गई असैनिक सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य कितना है; और

(ख) चीनियों न कितने शस्त्र और युद्ध सामग्री भारत को लौटाई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) चीनियों द्वारा उस क्षेत्र से जिसे उनके सैनिकों ने खाली किया है, लेजाई गई अथवा नष्ट की गई असैनिक सम्पत्ति का मूल्यांकन करना अभी तक सम्भव नहीं हुआ है ।

स्यांग फ्रन्टियर डिवीजन में मेचुका और मनीगांग के प्रशासी केन्द्रों को हथियाने के दौरान चीनियों द्वारा की गई हानि का अनुमानित मूल्य १.६५ लाख रुपया है ।

अन्य प्रशासी केन्द्रों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) चीनियों ने कुछ गाड़ियां, तोपें, सड़क बनाने का सामान, शस्त्र तथा युद्धोपकरण लौटाये हैं । निरीक्षण करन पर अधिकांश मद या तो बिल्कुल कार्य के अयोग्य पाये गए हैं या उन में भारी मरम्मत की आवश्यकता है ।

आकाशवानी प्रसारणों का बी० बी० सी० द्वारा रिले किया जाना

†९००. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के प्रसारणों का सिंगापुर स्थित ब्रिटिश ब्रोडकास्टिंग केन्द्र द्वारा रिले किये जाने के प्रबन्ध का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का प्रस्ताव पर क्या निश्चय है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) इस विषय पर कुछ बातचीत हुई है ।

(ख) प्रारम्भिक बातचीत हो रही हैं और इस समय यह ज्ञात नहीं कि उन का क्या फल होगा ।

मोनाजाइट

†९०१. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों का एक दल केरल में राज्य के मोनाजाइट सैंड क्षेत्रों का विकरण[1] मापन करने के लिये जायेगा; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Radiation Measurement.

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का क्या विवरण है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों का एक दल जो श्रीलंका में उसके मोनाजाइट क्षेत्रों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने जा रहा था अपने मार्ग में केरल के मोनाजाइट क्षेत्र से परिचित होने के लिए और उस क्षेत्र की प्राकृतिक विकरण सतहों से प्रासंगिक रूप में कुछ नमूना मापन करने के लिए, केरल में १० से १३ जनवरी तक रहा था ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत और रूस के बीच जन सम्पर्क

†९०२. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हमारे देश और सोवियत रूस के बीच जन सम्पर्कों की अपर्याप्तता का ज्ञान है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि रूस में किसी भी प्रेस ऐजन्सी अथवा उस देश के किसी मुख्य समाचारपत्र के साथ भारत सम्बन्धी महत्वपूर्ण समाचार छापने की कोई पारस्परिक व्यवस्था नहीं है; और

(ग) उस देश में हमारे जन सम्पर्कों में सुधार करने के लिये सरकार का क्या करने का विचार है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) गत कुछही वर्षों में सोवियत और भारतीय पत्रकारों, सांस्कृतिक तथा कला समूहों, प्राध्यापकों तथा छात्रों के दौरों में भारी वृद्धि हुई है । भारत सरकार इन सम्बन्धों को और भी बढ़ाने तथा मजबूत करने के लिये उत्सुक है और अपने मास्को स्थित दूतावास में एक सूचना अधिकारी रखने की आशा करती है ।

(ख) भारत सरकार विदेशी समाचार अभिकरणों से भारतीय समाचार छापने की व्यवस्था नहीं करती । विदेशी समाचार अभिकरण भारतीय समाचार देने के लिये भारत में अपने संवाददाता रखते हैं अथवा भारतीय समाचार अभिकरणों से समाचार देने की पारस्परिक व्यवस्था कर लेते हैं ।

सीमावर्ती सड़कों का निर्माण

†९०३. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमावर्ती क्षेत्रों में, विशेषतया आसाम, बिहार तथा लद्दाख में, सड़कों के निर्माण काय में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या आसाम और पूर्वी पाकिस्तान तथा नेपाल के बीच राजमार्ग तथा बिहार में मुकाया-कटिहार सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण)** : (क) कार्य में प्रगति संतोषजनक रही है । और अधिक विवरण देना लोक महत्व में नहीं होगा ।

(ख) अनुमानतः राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३१ की ओर निर्देश किया गया है । इस सड़क के सुधार का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीन-पाकिस्तान सीमा समझौता

९०४. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन व पाकिस्तान में कोई सीमा समझौता हुआ है;

(ख) क्या इस समझौते का पूर्ण विवरण सरकार को प्राप्त हो गया है;

(ग) क्या इस संबंध में भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध-पत्र भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो उस संबंध में पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) चीन और पाकिस्तान की सरकारों ने २८ दिसम्बर, १९६२ को जो संयुक्त विज्ञप्ति जारी की थी उस के अनुसार "दोनों देशों के बीच वास्तविक सीमा की स्थिति और उसके निर्धारण के सम्बन्ध में सिद्धान्त रूप से एक समझौता हो गया है।" इस बात पर भी दोनों पक्ष सहमत हुए हैं "कि इस आधार पर दोनों देशों के बीच सीमा करार पर, जहां तक हो, जल्दी ही हस्ताक्षर हो जायें।"

(ख) जी, नहीं।

(ग) विरोध पत्र भेजा जा रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

शंघाई में भारतीय राष्ट्रजन

†९०५. श्री जं० ब० सिं० बिष्ट : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की कोई सूचना मिली है कि शंघाई के अधिकांश भारतीय राष्ट्रजनों ने अपना व्यापार बन्द करने तथा उस देश को छोड़ने का निश्चय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उनके इस निश्चय के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का इरादा भारत में उनके पुनर्वास में किसी प्रकार की सहायता करने का है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां।

(ख) चीन में रहने वाले भारतीय राष्ट्रजनों में असुरक्षा की एक आम भावना है। जब शंघाई स्थित भारत का महा वाणिज्य दूत का कार्यालय १५ दिसम्बर, १९६२ को बंद कर दिया गया तो शंघाई के अधिकांश भारतीय राष्ट्रजनों ने अपना व्यापार बन्द करने और चीन छोड़ने का निश्चय कर लिया।

(ग) इस अवस्था पर चीन से प्रत्यावर्तित भारतीयों को पुनर्वास में सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

समाचारपत्रों में सरकारी विज्ञापन

†९०६. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों में विज्ञापन स्थान को ४० प्रतिशत तक सीमित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) क्या प्रस्ताव सम्बन्धित दलों से परामर्श करने के पश्चात् रखा गया था ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

नेफा में संग्रामिक अनुसन्धान[1]

†९०७. { **श्री यशपाल सिंह** :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री हरि विष्णु कामत : }

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नेफा क्षेत्र में हाल में हुई लड़ाई का संग्रामिक अनुसन्धान अध्ययन प्रारम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या विवरण है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण)** : (क) जी हां ।

(ख) नेफा क्षेत्र में हाल में हुई लड़ाई का संग्रामिक अनुसन्धान अध्ययन करने के लिये प्रतिरक्षा अनुसन्धान संगठन (शस्त्र मूल्यांकन दल) के अधिकारियों का एक दल नियुक्त किया गया है । इस अनुसन्धान का उद्देश्य लड़ाई में प्रयुक्त हथियारों के चलाने और उनकी उपयुक्तता के सम्बन्ध में भविष्य में मार्ग प्रदर्शन के लिये निष्कर्ष निकालना है ।

विद्रोही नागाओं की कार्यवाहियां

†९०८. { **श्री यशपाल सिंह** :
श्री बिशन चन्द्र सेठ : }

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागा पुनः सक्रिय हो गये हैं और उन्होंने दिसम्बर, १९६२ में आदिम जाति तथा रेंज परिषदों के कुछ सदस्यों समेत बहुत से वफादार नागाओं को मार दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रकार के कार्यों को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) सशस्त्र सेनाओं को चीन के हमलों को रोकने के लिये लगा देने के कारण विद्रोही नागाओं के गैर-कानूनी कार्यों में बढ़ोतरी हो गई है । दिसम्बर, १९६२ में सिबसागर जिले में एक यात्री गाड़ी पर हमला किया था जिस में तीन व्यक्ति मारे गये थे तथा स्थानीय परिषदों और सरकारी कर्मचारियों समेत ९३ व्यक्ति अपहृत किए गए थे ।

(ख) सरकार का विचार नागा विद्रोहियों के विरुद्ध कार्यवाही बढ़ाने का है जिससे उनके गैर-कानूनी कार्यों को रोका जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Operational Research.

भारतीय सेना में अवैतनिक पद

†६०६. **श्री यशपाल सिंह**: क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सेना में कितने व्यक्ति अवैतनिक पदों पर हैं तथा उनके पद क्या हैं; और

(ख) इस के क्या कारण हैं तथा ऐसे अवैतनिक पदों के लिये क्या आवश्यक अर्हतायें हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण)** : (क) १. चिकित्सा के अतिरिक्त सेना में अवैतनिक पदों पर असैनिक व्यक्तियों की संख्या नीचे दी जाती है :—

जनरल	२
लैफ्टिनेंट जनरल	७
मेजर जनरल	६
ब्रिगेडियर	२
कर्नल	७
लैफ्टिनेंट कर्नल	१४
मेजर	१९
कैप्टन	१४
लैफ्टिनेंट	२
सैकन्ड लैफ्टिनेंट	२९
	१०२

(२) सेना चिकित्सा दल तथा सेना दन्तचिकित्सा दल में फिजीशियनों/सर्जनों/डैन्टल सर्जनों को दिए गए अवैतनिक पदों की संख्या नीचे दी जाती है :—

सेना चिकित्सा दल

मेजर जनरल	३
कर्नल	६
लैफ्टिनेंट कर्नल	२
सेना दन्तचिकित्सा दल	
कर्नल	२
मेजर	१

(३) (क) सेना में सक्रिय जूनियर कमीशन अफसरों को भी अवैतनिक कमीशन लैफ्टिनेंट के पद का दिया जाता है और यदि इस पद पर पहले ही हो तो कैप्टन का पद दिया जाता है । कुछ प्रमाणित कोटा १५० अवैतनिक लैफ्टिनेंट तथा ३० अवैतनिक कैप्टेन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पदोन्नति, सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु के कारण प्रमाणित कोटे में से रिक्त हुए पदों को वर्ष में दो बार भरा जाता है अर्थात् गणतंत्र दिवस पर तथा स्वतंत्रता दिवस पर ।

(३) (ख) जूनियर कमीशन अफसरों को सेवानिवृत्ति पर कैप्टन, लैफ्टिनेंट सूबेदार मेजर/रिसालदार मेजर तथा सूबेदार/रिसालदार के अवैतनिक पद तथा नान-कमीशन अफसरों को जमादार का अवैतनिक पद दिया जाता है । ऐसे अवैतनिक पदों का कोई निश्चित कोटा नहीं है तथा इन को भी वर्ष में दो बार दिया जाता है अर्थात् गणतंत्र दिवस पर तथा स्वतंत्रता दिवस पर ।

(३) (ग) अवैतनिक पद दिये जाने वाले अधिकारियों के नाम गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस के भारत के गजट में असाधारण अंक में प्रकाशित होते हैं ।

(ख) (१) तथा (२) में बताई गई श्रेणियों में अवैतनिक पद उन व्यक्तियों को दिये जाते हैं जिन्होंने भारत संघ में दिलेरी का काम किया हो तथा जिसने सशस्त्र सेनाओं के विकास में विशेष रुचि दिखाई हो अथवा उसके सम्बन्ध में कोई विशेष कार्य किया हो ।

(३) (क) में बताई गई श्रेणी में अवैतनिक पद उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जो जे० सी० ओ० रहे हों तथा जिन्होंने विशेष सेवा की हो जबकि (३) (क) में बताई गई श्रेणियों में अवैतनिक पद उन जे० सी० ओ० तथा एन० सी० ओं० को दिए जाते हैं जिसकी सेवा सर्वोत्तम रही हो ।

राष्ट्रीय सेना छात्र दल के छात्रसैनिकों को पहाड़ी युद्धकला में प्रशिक्षण

†६१०. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के छात्रसैनिकों को पहाड़ी युद्धकला में प्रशिक्षण देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस के कब प्रारम्भ किये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या इन छात्र सैनिकों को नेफा और लद्दाख जैसी जलवायु का अभ्यस्त बनाने की भी कोई योजना है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

विद्युत् एवं शक्ति संसाधनों का सर्वेक्षण

†६११. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विद्युत् एवं शक्ति संसाधनों का सर्वेक्षण करने के लिए हाल में एक विशेषज्ञ समिति निर्मित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस विशेषज्ञ समिति के निर्देश-पद क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रजी में

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ६७१/६३]

नेफा और लद्दाख क्षेत्र में भारतीय सेना के पीछे हटने के सम्बन्ध में जांच

†९१२. श्री हेम बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दिनों नेफा और लद्दाख क्षेत्रों में हमारी सेना के पीछे हटने के सम्बन्ध में जांच प्रारम्भ हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच के निर्देश पद क्या हैं और जांच आयोग में कौन कौन व्यक्ति हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) थल सेनाध्यक्ष ने नेफा की लड़ाई के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करने की व्यवस्था की है । और कोई जांच नहीं कराई जा रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

योल खास

†९१३. श्री हेम राज : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने योल के जमींदारों से योल खास की भूमि पट्टे पर ली है और उनका लगान स्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने ब्रिगेड बाजार के दुकानदारों के को जो प्लाट पट्टे पर दिये थे उन का लगान १ रुपया और २ रुपये प्रति प्लाट से बढ़ा कर १० रुपये और २० रुपये प्रतिमास कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) हां, श्रीमन् । योल खास में लगभग ७७० एकड़ भूमि १९४२ में युद्ध शिविर के बन्दियों के लिए अर्जित की गई थी । अर्जन की तारीख से भूमि के मालिकों को वार्षिक आवर्तक प्रतिकर नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है ।

(ख) हां, श्रीमान् । ब्रिगेड बाजार के दुकानदारों द्वारा कब्जा किये गये भूमि के खुले प्लाटों का लगान बढ़ा कर १० रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है ।

(ग) पहले जो लगान निश्चित किया गया था वह बहुत कम था । अब जो लगान तय किया गया है वह नियमानुसार है तथा उसे अर्जन की तारीख अर्थात् १६ अप्रैल, १९६२ से लागू किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्डों के कर्मचारी

†६१४. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्डों के कर्मचारियों को स्थायी बनाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है और वह काम कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ख) क्या यह सच है कि पहले इन बोर्डों में कल्याण कार्यकर्ताओं के पद थे परन्तु कुछ वर्ष पूर्व उन को खत्म कर दिया गया था ; और

(ग) क्या आपत्ति के कारण उन बोर्डों पर पड़े कार्यभार को देखते हुए सरकार उन पदों को फिर से निर्मित करने का विचार कर रही है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण)** : (क) दो राज्यों अर्थात् राजस्थान और आसाम ने जिला सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्डों को स्थायी बनाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है । अन्य राज्य अभी उस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं ।

(ख) कुछ राज्यों में कुछ बोर्डों में कल्याण कार्यकर्ताओं के पद थे परन्तु बाद में एक राज्य को छोड़ कर अन्य में उन को समाप्त कर दिया गया था ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

सैनिक पेंशनें

†६१५. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के मैदानी जिलों अर्थात् अमृतसर आदि में सैनिक पेंशनों का भुगतान डाक विभाग के बजाय स्वयं सैनिक लेखापरीक्षा कर्मचारियों द्वारा किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का पंजाब के पहाड़ी जिलों में—जिन में डोगरा लोग रहते हैं—भी वैसी व्यवस्था करने का विचार है जहां ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक संख्या में हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण)** : (क) पंजाब में प्रतिरक्षा लेखा विभाग केवल अमृतसर जिले में पेंशन पेमास्टर के माध्यम से प्रतिरक्षा पेंशनरों को पेंशन का भुगतान करता है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् । इस प्रश्न पर विचार किया जा चुका है और यह निर्णय किया गया है कि वह प्रणाली पंजाब के पहाड़ी जिलों में लागू न की जाये क्योंकि उससे पेंशनरों को कोई लाभ होने की संभावना नहीं है । सैनिक पेमास्टरों के माध्यम से केवल उन्हीं नगरों में भुगतान किया जा सकता है जहां ट्रेजरी और सब-ट्रेजरी हों । उदाहरण के लिये केवल कांगड़ा जिले में ८ ट्रेजरी/सब-ट्रेजरी और १४८ डाकघरों के माध्यम से पेंशनों का भुगतान किया जाता है । यदि पेंशन पेमास्टरों के माध्यम से भुगतान किये जायेंगे तो वैसा केवल ८ नगरों में किया जा सकेगा जहां कि ट्रेजरी/सब-ट्रेजरी हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेना आयुध दल के सुरक्षा कर्मचारियों को पेंशनें

†९१६. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे भूतपूर्व सैनिकों, जिन्होंने सेना आयुध दल के सुरक्षा संस्थापन में काम किया है और जो पन्द्रह वर्ष तक सेवा कर चुके हैं, को पेंशन के लाभ से वंचित रखा गया है;

(ख) क्या स्थायी (रेगुलर) और अस्थायी (नान-रेगुलर) कर्मचारियों की सेवा शर्तें समान हैं;

(ग) क्या उनको ऐसा पेंशन लाभ देने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए है;

(घ) क्या सरकार उनको ऐसे लाभ देने का विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण)** : (क) नहीं, श्रीमान् । जो भूतपूर्व सैनिक सेना आयुध दल के सुरक्षा संस्थापन में काम कर चुके हैं उनको निम्न प्रकार पेंशन/उपदान मंजूर किये गये है :

(१)	युद्ध के पहले के अथवा बाद के 'रेगुलर' कर्मचारी	सेवा पेंशन (यदि कुल सेवा, अर्हता सेवा काल को सम्मिलित करके, १५ वर्ष अथवा अधिक की हो)
(२)	डेफर्ड वालंटियर्स (युद्ध की शर्तों पर रखे गये 'नान रेगुलर' कर्मचारी)	अर्हता सेवा काल के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये १५ दिन के वेतन के अनुसार सेवा उपदान।

(ख) नहीं, श्रीमान् । 'रेगुलर' एवं 'नान-रेगुलर' कर्मचारियों की सेवा शर्तें समान नहीं हैं । उन सब के सेवाकाल निर्दिष्ट हैं तथा उनकी छुट्टिया, तरक्की के नियम, पेंशन लाभ आदि भिन्न हैं ।

(ग) इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि १५ वर्ष की सेवा के बाद हटाये गये 'नान-रेगुलर' कर्मचारियों को पेंशन दी जानी चाहिये ।

(घ) प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(ङ) उत्पन्न नहीं होता ।

सिंगरैनी कोलियरीज, कम्पनी

†९१७. **श्री प० कुन्हन** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरैनी कोलियरी कम्पनी के क्षेत्र की बहु प्रयोजन संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के निर्माण की योजनाओं की जांच समाप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्वार्टरों का निर्माण-कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

†**श्रम और रोज़गार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपक्षीय औद्योगिक समझौता संकल्प

†९१८. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न कार्मिक संघों से मालिकों द्वारा ३ नवम्बर, १९६२ के त्रिपक्षीय औद्योगिक समझौता संकल्प का उल्लंघन किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई ह;

(ख) यदि हां, तो कथित उल्लंघन किस प्रकार के हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) जी, हां।

(ख) अधिकांश में श्रमिकों की कथित पदच्युति, सेवा मुक्ति, उत्पीड़न और छंटनी के सम्बन्ध में ।

(ग) जांच करने पर बहुत थोड़ी सी शिकायतें सही निकलीं । प्रायः दोनों पक्ष समझौता संकल्प को कियान्वित कर रहे है ।

'टस्कर' के विरुद्ध शिकायतें

†९१९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'टस्कर' (वह संस्था जो नेफा में सीमान्त सड़कों के निर्माण-कार्य के लिये जिम्मेदार है) के विरुद्ध इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उसने कुछ प्रमुख संस्थापनों को नष्ट कर दिया था और उसका कुछ सीमान्त सड़कें खराब बनाने में भी हाथ है और यदि हां, तो विनिर्दिष्ट आरोप क्या हैं; और

(ख) क्या उन आरोपों के सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है और यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण)**: (क) हां, श्रीमान् । 'टस्कर' प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप लगाये गये हैं :

(१) वे परियोजना के स्थलों से भाग गये तथा उन्होंने भीरुता दिखाई ।

(२) मशीनों और उपकरणों का बहुत नुकसान हुआ । कुछ 'स्टोर' लूट लिये गये ।

(३) वित्तीय मामलों में पूरी ईमानदारी नहीं बरती गई ।

(४) सड़कों का निर्माण दोषपूर्ण रहा ।

(ख) उपरोक्त (क) के (१) से (३) में उल्लिखित आरोपों के सम्बन्ध में जांच की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय पुलिस कर्मचारियों का पाकिस्तानियों द्वारा अपहरण

९२०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी १९६३ के आरम्भ में पाकिस्तान से लगते हुए भारतीय क्षेत्र से १५ पुलिस कर्मचारियों को पाकिस्तानी अपहरण कर ले गये;

(ख) यह घटना किन परिस्थितियों में घटी ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा गया है; और

(घ) इन पुलिस कर्मचारियों को छुड़ाने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (घ). पाकिस्तानी हमलावर भारतीय प्रदेश से लगी सीमा से कुछ भेड़ें और गायें चुरा ले गये थे और जब भारतीय दल ने उनका पीछा किया तो पाकिस्तानी सैनिकों ने दस पुलिस कर्मचारियों और सात असैनिक व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया । पश्चिम पाकिस्तान–भारत स्थल नियम (ग्राउंड रूल्स), १९६० की व्यवस्थाओं के अनुसार, राजस्थान सीमान्त पुलिस के अधिकारियों ने पाकिस्तान के सीमान्त पुलिस अधिकारियों के साथ फ़ौरन ही सम्पर्क स्थापित किया। २ जनवरी, १९६३ को चाह सुखीरवाला में इसकी सम्मिलित जांच-पड़ताल की गई। पाकिस्तानी अधिकारियों ने वायदा किया कि आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद, वे उन सभी व्यक्तियों को लौटा देंगे जिनको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था।

पेकिंग रेडियो के प्रसारण

९२१. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हेम बरुआ :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री ११ दिसम्बर, १९६२ के अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेकिंग रेडियो के हिन्दी प्रसारणों के सम्बन्ध में कोई पूछ-ताछ की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या फल हुआ ;

(ग) क्या चीन सरकार की समाचार एवं सूचना सेवाओं में कोई भारतीय राष्ट्रजन कार्य कर रहे है; और

(घ) यदि हा, तों उनकी संख्या और नाम क्या-क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, हां ।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पेकिंग रेडियो में काम कर रहे जिन हिन्दी अनाउन्सरों का पता है. उनमें से कोई भी भारतीय नहीं है; वे लोग चीनी हैं, जो पहले भारत में रह चुके है ।

(ग) और (घ). उपलब्ध जानकारी यह है कि अब ऐसे जो भारतीय वहां है, वे कोई श्री पी० वी० शर्म्मा और उनकी पत्नी हैं।

तीसरी योजना के लिये परिवहन लक्ष्य

†६२१-क. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में सारभूतत परिवर्तन किये जा चुके हैं अथवा किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** : (ख) और (ख). तीसरी पंचवर्षीय योजना के परिवहन लक्ष्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। परन्तु योजना के परिवहन कार्यक्रम को पुष्ट बनाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये है :—

(१) रेलवे के लिये १४५ करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवण्टन किया गया है—१२० करोड़ रुपये कोयले के वहन सम्बन्धी निर्माण कार्यों और ईंजन डिब्बों आदि के लिये और १० करोड़ रुपये सामान्य माल के वहन के लक्ष्य में वृद्धि की पूर्ति के लिये आवश्यक लाइन क्षमता सम्बन्धी निर्माण कार्यों के लिये और १५ करोड़ रुपये चौथी योजना के प्रारम्भिक भाग में कोयला वहन की सुविधा हेतु निर्माण कार्यों के लिये ।

(२) कोयले का सड़क और सड़क तथा-नदी मार्गों द्वारा वहन को सुगम बनाने की दृष्टि से २० करोड़ रुपये की लागत का सड़क विकास कार्यक्रम स्वीकार किया गया है।

(३) वर्तमान आपात की दृष्टि से सड़क कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन किया गया है और कुछ अतिरिक्त सड़कों का आपाति के आधार पर विकास करने का निश्चय किया गया है।

निधन संबंधी उल्लेख

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्री जे० एच० सुब्बया, श्री लक्ष्मी नारायण साहू और श्री कुलाधार चालिहा की दुखद मृत्यु की सूचना देनी है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव १९२६ से १९३० तक और १९४५ से १९५७ तक केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य रहे। १९४७ से १९६२ तक वे भारत की प्रथम और द्वितीय लोक सभा के सदस्य रहे। वर्ष १९५० से १९६२ तक वे सभापति की तालिका के भी सदस्य रहे। उन्होंने विधेयकों संबंधी अनेक प्रवर और संयुक्त समितियों में काम किया साथ ही साथ वे कई संसदीय समितियों के भी सदस्य रहे। १३ दिसम्बर, १९६२ को ७६ वर्ष की अवस्था में हिसार में उनकी मृत्यु हुई।

श्री जे० एच० सुब्बया वर्ष १९५० से १९५२ तक अन्तरिम संसद के सदस्य रहे। उनकी मृत्यु हैदराबाद में १५ दिसम्बर, १९६२ को हुई। मृत्यु के समय उनकी अवस्था केवल ५४ वर्ष की थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

श्री लक्ष्मी नारायण साहू वर्ष १९४६ से १९५० तक भारत की संविधान सभा के सदस्य र । उनकी ७४ वर्ष की अवस्था में १८ जनवरी, १९६३ को मृत्यु हो गयी।

श्री कुलाधार चालिहा वर्ष १९३६ से १९४६ तक केन्द्रीय विधान सभा के तथा वर्ष १९४८ से १९५२ तक भारत की संविधान सभा और अन्तरिम संसद के सदस्य रहे। १९ जनवरी, १९६२ को ७७ वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गयी।

हमें उक्त महानुभावों की मृत्यु पर हार्दिक दुख है। हम उनके संतप्त परिवारों से हार्दिक संवेदना प्रगट करते हैं।

इस के पश्चात् सदस्य कुछ देर मौन खड़े रहे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कोलम्बो में हुए ६ तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन के प्रस्ताव और श्रीलंका, संयुक्त अरब गणराज्य और घाना के प्रतिनिधिमंडलों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) १० और १२ दिसम्बर, १९६२ के बीच कोलम्बो में हुये छै तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन के प्रस्ताव।

(२) १२ और १३ जनवरी, १९६३ को भारत के प्रधान मंत्री और उनके सहयोगियों के साथ हुई बैठकों में श्रीलंका, संयुक्त अरब गणराज्य और घाना के प्रतिनिधि मंडलों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० ६६४/६३]

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : सरकार इन प्रस्तावों पर प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तावित औपचारिक प्रस्ताव द्वारा कब चर्चा आरम्भ करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह चर्चा २३ और २४ जनवरी को होगी। चर्चा २३ जनवरी को आरम्भ की जायेगी।

रेलवे दुर्घटना समिति और उस पर रेलवे बोर्ड की टिप्पणियां

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : मैं श्री स्वर्ण सिंह की ओर से रेलवे दुर्घटना समिति, १९६२ का प्रतिवेदन (भाग १) की एक प्रति तथा उस पर रेलवे बोर्ड की टिप्पणियां सभा पटल पर रखता हूं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : औचित्य प्रश्न पर मैं यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में एक अन्य प्रतिवेदन भी रखा जाना था, जो नहीं रखा गया। मैं इसका कारण जानना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस संबंध में मेरी अनुमति मांगी गयी थी। माननीय मंत्री को इस संबंध में पूरी स्वतंत्रता है कि वे उन्हीं पत्रों को सभा पटल पर रख सकते हैं जिन्हें वे उपयुक्त समझते हैं तथापि यदि वे माननीय सदस्य मुझे इन पत्रों का महत्व बतायेंगे तो मैं इसकी जांच करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत की प्रतिरक्षा अधिनियमों के अधीन अधिसूचनायें

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैं भारत की प्रतिरक्षा अधिनियम, १९६२ की धारा ४१ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक १७ नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १५१९, जिसमें दिनांक ५ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४६५ में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा नियम, १९६२ का शुद्धि पत्र दिया हुआ है ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०–६५८/६३]

(दो) दिनांक २४ नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १५५५, जिसमें दिनांक ५ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या १४६५ में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा नियम, १९६२ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०–६५९/६३]

(तीन) दिनांक २२ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५९२ में प्रकाशित असैनिक प्रतिरक्षा सेवा नियम, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०–६६०/६३]

(चार) दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १६४६, जिसमें दिनांक २४ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५९३ में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा (संशोधन) नियम, १९६२ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०–६६१/६३]

(पांच) दिनांक १५ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १६९१, जिसमें दिनांक ५ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४६५ में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा नियम, १९६२ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०–६६२/६३]

(छः) दिनांक १३ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७१५ में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा (अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन) नियम, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०–६६३/६३]

(सात) दिनांक २८ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८१३ में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०–६६४/६३]

(आठ) दिनांक १० जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९१ में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा (दूसरा संशोधन) नियम, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०–६६५/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(१) दिनांक २४ नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १५७० ।

(२) दिनांक १ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १६२४ ।

(३) दिनांक २२ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १७५६ ।

(४) दिनांक २२ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १७५७ ।

(५) दिनांक २२ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १७५८ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०–६६६/६३]

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा १ के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक १ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६२५ की एक प्रति जिसके द्वारा उक्त अधिनियम को २० अथवा अधिक कर्मचारियों को काम पर लगाने वाली प्रत्येक बाक्साइट खान पर लागू किया गया है।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०–६६७/६३]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर की गयी कार्यवाही का विवरण

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त द्वारा अपने वर्ष १९५९–६० के वार्षिक प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही का विवरण सभा पटल पर रखता हूं ।

व्यक्तिगत घाव (आपातकालीन उपबंध) अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : मैं व्यक्तिगत घाव (आपातकालीन उपबन्ध) अधिनियम, १९६२ की धारा ३ की उपधारा (७) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति :—

(एक) दिनांक ५ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ४० में प्रकाशित व्यक्तिगत घाव (आपातकालीन उपबन्ध) योजना, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–६६८/६३]

(दो) दिनांक ५ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ४१ में प्रकाशित व्यक्तिगत (आपातकाल) विनियम, १९६२ सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०–६६९/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

सचिव : मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और १० दिसम्बर, १९६२ को सभा को दिये गये अन्तिम प्रतिवेदन के पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) उपहार-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२

(२) करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६२

(३) मनीपुर (मोटर स्पिरिट तथा स्नेहक तेलों की बिक्री) करारोपण विधेयक, १९६२

(४) दिल्ली मोटर गाड़ियां करारोपण विधेयक, १९६२।

श्रीमन्, मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और १० दिसम्बर, १९६२ को सभा को दिये गये अन्तिम प्रतिवेदन के पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों की प्रतियां भी, राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत रूप में, सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) विदेशियों संबंधी विधियां (लागू करना तथा संशोधन) विधेयक, १९६२

(२) कम्पनीज (संशोधन) विधेयक, १९६२

(३) बिजली (संभरण) संशोधन विधेयक, १९६२

(४) हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा पोषण (संशोधन) विधेयक, १९६२

(५) धातु के टोकन (संशोधन) विधेयक, १९६२

(६) पांडिचेरी (प्रशासन) विधेयक, १९६२

(७) पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) विधेयक, १९६२

(८) भारत की प्रतिरक्षा विधेयक, १९६२

(९) सीमा शुल्क विधेयक, १९६२

(१०) राज्य सहयोजित बैंक (विविध उपबन्ध) विधेयक, १९६२

(११) भांडागार निगम विधेयक, १९६२

(१२) व्यक्तिगत घाव (आपातकालीन उपबन्ध) विधेयक, १९६२

(१३) बहु एकक सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, १९६२

(१४) परिसीमन आयोग विधेयक, १९६२

(१५) आपातकालीन जोखिम (माल) बीमा विधयक, १९६२

(१६) आपातकालीन जोखिम (कारखानें) बीमा विधेयक, १९६२

(१७) कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, १९६२

(१८) श्रमजीवी पत्रकार (संशोधन) विधेयक, १९६२

(१९) संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६२

(२०) संविधान (चौदहवां संशोधन) विधेयक, १९६२

रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य

उमेशनगर स्टेशन पर रेलगाड़ी की टक्कर

†**रेलवे मंत्रालयमें उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : मैं श्री स्वर्ण सिंह की ओर से ४ जनवरी, १९६३ को पूर्वोत्तर रेलवे के उमेशनगर स्टेशन पर हुई अवध-तिरहूत मेल और पैसेंजर रेलगाड़ी की टक्कर के बारे में एक वक्तव्य देता हूं।

४ जनवरी, १९६३ को लगभग ४ बजे प्रातः ३५ अप पैसेंजर गाड़ी पूर्वोत्तर रेलवे के बरोनी कटिहार सेक्शन पर बरोनी और खगरिया स्टेशनों के बीच स्थित उमेशनगर रेलवे स्टेशन पर मुख्य लाइन पर आ रही थी। स्टेशन पर इस गाड़ी के पूर्ण रूप से रुकने के पहिले ही २ डाउन अवध-तिरहुत-मेल जिसने उस स्टेशन से गुजरना था उसी लाइन पर आ गयी और ३५ अप पैसेंजर गाड़ी से टकरा गयी। दोनों गाड़ियों के इंजिन बुरी तरह ध्वस्त हो गये। पैसेंजर गाड़ी के इंजन के साथ के पहिले तीन डिब्बे और मेल गाड़ी की पहिले दो डिब्बे पटरी से उतर गये। और आपस में टकराकर टूट गये। मेल गाड़ी के चौथे और पांचवें डिब्बों में आग लग गयी।

इस दुर्घटना के फलस्वरूप ३७ व्यक्ति मर गये और ८६ घायल हुये। उनमें से १८ को प्राथमिक चिकित्सा के बाद छुट्टी दे दी गयी। बाकी ६८ घायल व्यक्तियों में से ३६ को मामूली चोटें आयीं। ३२ को गम्भीर नवीनतम जानकारी के अनुसार २५ व्यक्ति अभी भी अस्पताल में हैं और वे अच्छे हो रहे हैं।

मैंने रेलवे बोर्ड के एक सदस्य के साथ उस स्थान का दौरा किया।

रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने ६ जनवरी को दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने अगले दिन से जांच आरम्भ की। उनकी प्राथमिक पूछताछ के अनुसार यह दुर्घटना रेलवे कर्मचारियों की गलती से हुई।

बिहार राज्य सरकार से यह कहा गया है कि वे इस दुर्घटना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले दावों को निपटाने के लिये एक न्यायिक पदाधिकारी के नाम की सिफारिश करें।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : सरकार को चाहिये कि इन टक्करों को संख्यावार रखा जाये जिससे कि वर्ष के अन्त में ज्ञात हो कि कुल कितनी दुर्घटनायें हो चुकी हैं ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस दुर्घटना की न्यायिक जांच क्यों नहीं हुई। यह मामला इन्स्पेक्टरों पर ही क्यों छोड़ दिया गया ?

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : इन दुर्घटनाओं की घिसे पिटे तरीके पर जांच नहीं होनी चाहिये यह देखने में आता है सदैव एक ही प्रकार का प्रतिवेदन दे दिया जाता है ?

महानदी पर बन रहे पुल पर दुर्घटना

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं १५ जनवरी १९६३ को निर्माणाधीन महानदी के पुल पर हुई दुर्घटना के संबंध में एक वक्तव्य देता हूं।

कटक के कुछ मील ऊपर की ओर नाराज में महानदी पर नरगुंडी और खुरदा रोड के बीच लाइन को दुहरा करने के लिये एक बड़ा पुल बनाया जा रहा है। पुल के खम्भे नदी के तल में

---

†मूल अंग्रेजी में

गहरे कूपों में स्थापित किये जा रहे हैं। ठेकेदार द्वारा कूप संख्या ११ खोदते समय उसके तह पर चट्टान तोड़ी जा रही थी तथा एयरलाक्स द्वारा पानी के दबाव को रोकने की व्यवस्था की गयी थी। १५ जनवरी को १७.४५ बजे शाम जब ठेकेदार के ५४ मजदूर कुंए के भीतर और २० मजदूर कूए के बाहर खुदाई का कार्य कर रहे थे, कुए के सिरे पर लगे दोनों वायु बंध अकस्मात फट गये और कुएं के एक ओर जा पड़े। दुर्घटना के बाद तत्काल ही पुल पर ठेकेदार के पर्यवेक्षक तथा अन्य कर्मचारी व मजदूरों ने बचाव कार्य आरम्भ कर दिया तथा स्थल पर तैनात ठेकेदार के चिकित्सा अधिकारी और रेलवे चिकित्सा अधिकारी ने चिकित्सा सहायता दी। दुर्घटना में ग्रस्त लोगों को फौरन पुल से लगभग १२ मील पर कटक के मैडीकल कालेज अस्पताल में पहुंचाया गया। कुंए से निकाले गये अधिकांश व्यक्ति मूर्छित थे अस्पताल पहुंचने पर उन में से ४५ को मृत पाया गया। २९ को अस्पताल में चिकित्सा के लिए भरती किया गया। उन में से ४ की मृत्यु हो गयी है। बाकी अच्छे हो रहे हैं। यद्यपि तीन की दशा चिंताजनक है।

इस दुर्घटना का रेलवे के कार्य से कोई संबंध नहीं है। जांच आयोग अधिनियम १९५२ के अन्तर्गत एक उच्चस्तरीय जांच समिति की नियुक्ति का आदेश दिया जा रहा है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं जानना चाहता हूं कि आपातकाल में रेलवे दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है या कमी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : कुंजरू समिति के अंतरिम प्रतिवेदन के अनुसार दुर्घटनाओं में कमी हुई है।

†**श्री प्रिय गुप्त** : क्या यह दुर्घटना मशीनों संबंधी विनियमनों की अवहेलना के कारण हुई। क्या जो मजदूर हताहत हुए हैं उन्हें प्रतिकर दिया जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : यह बात जांच के बाद ही ज्ञात हो सकेगी।

संविधान (सोलहवाँ संशोधन) विधेयक

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय प्रशुल्क द्वितीय संशोधन विधेयक

†वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक में उन आयात वस्तुओं पर जहां उसी प्रकार की वस्तुओं के देशीय उत्पादन पर उत्पादनशुल्क लगता है, स्वतः प्रति-शुल्क लगने की व्यवस्था है । हर बार वित्त विधेयक संसद् के समक्ष आता है । उस में अनेकों ऐसे मद होते हैं जिन में भारतीय प्रशुल्क अधिनियम और भारतीय सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत समायोजन करने पड़ते हैं और यह बड़ा विस्तृत और कठिन तरीका है । अतः विधेयक में इस प्रणाली को सरल बनाया गया है और शुल्क लगाना स्वयंक्रिय बना दिया गया है । विधेयक में यह भी व्यवस्था है कि कुछ उन वस्तुओं पर, जिन पर गैट के अन्तर्गत बद्धताओं के कारण शुल्क में प्रारम्भ में कमी कर दी गई थी परन्तु जो बद्धताए अब लागू नहीं हैं, शुल्क सामान्य दर पर लगाया जाये । अब चूंकि व्यापार नीतियां उदार बना दी गई हैं। और प्रतिबन्ध वाली वस्तुएं हटाई जा रही हैं। यह विधेयक भारतीय प्रशुल्क अधिनियम में संशोधन करके उन फालतू मदों को हटाता है ।

विधेयक में प्रथम अनुसूची में वर्णित विभिन्न मदों की सूची के संशोधन की व्यवस्था भी की गई है ताकि प्रशुल्क को, विभिन्न वस्तुओं के भागों की तरह ही मूल्यांकित कर के और प्रथम अनुसूची में से यात्री द्वारा अपने निजी सामान के तौर पर आयात किये गये उपकरणों को निजी सामान नियम में शामिल करने के लिये आई० सी० टी० की मद संख्या ७७ (१) को निकाल कर अधिक स्पष्ट और युक्तियुक्त बना दिया जाये ।

जब देश में पैदा की गई किसी वस्तु पर उत्पादन-शुल्क लगता है। तो उसी तरह की आयात की गई वस्तुओं पर उतना प्रति-शुल्क लगाया जाता है । ऐसे शुल्क प्रथम अनुसूची में उपयुक्त संशोधन कर के या अनुसूची में नई मदें शामिल कर के लगाये जाते हैं। इसी तरह हर साल कई वस्तुएं शामिल करनी पड़ती थी और विभिन्न सूत्र अपनाने पड़ते थे । ऐसा करने से सारा अधिनियम बहुत पेचीदा और कठिन हो जाता था और व्यापारी या सीमा-शुल्क प्राधिकारी इसका ठीक निर्वचन नहीं कर सकते थे । यदि प्रति-शुल्क लगाने वाली वस्तुएं कम हों, तो पहली अनुसूची में परिवर्तन करने की प्रणाली संभव थी किन्तु भारत के औद्योगिकरण और विदेशी व्यापार बढ़ने से, बहुत सी नई वस्तुएं वित्त विधेयक में हर साल जोड़ी जा रही हैं। । इसी तरह बहुत सी मदों में परिवर्तन करना पड़ता है या पहली अनुसूची में जोड़ना पड़ता है । सदन में इस की चर्चा की गई है और माननीय सदस्यों ने सरलीकरण की मांग की है । यह सरलीकरण ऐसे किया गया है कि अधिनियम में एक नई धारा के द्वारा उन आयात वस्तुओं पर जहां उसी प्रकार की वस्तुओं के देशीय उत्पादन पर उत्पादन शुल्क लगता है, स्वतः बराबर प्रति-शुल्क लगाया जाये । ऐसे उपबन्ध के बाद पहली अनुसूची की संगत मदों में उपयुक्त संशोधन किया जायेगा या उन्हें हटा दिया जायेगा । जैसा कि आवश्यकता हो । वे वस्तुएं जिन पर अब प्रतिशुल्क नहीं लगता ऐसे शुल्कों से विमुक्त किये जायेंगे । अधिसूचना के द्वारा और स्थिति पर समय समय पर पुनर्विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

१९४९ के संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशुल्क अधिनियम में ९ मदें जोड़ी गई थी, ताकि भारत द्वारा कोमिन्टांग चीन, फिलिपाइन्स और कोलम्बिया के साथ की गई प्रशुल्क हिदायतों को क्रियान्वित किया जा सके। अब चूंकि इन देशों को गैट से कोई सम्बन्ध नहीं है, भारत के लिए रियायती दरें जारी रखना उन नौ मदों के बारे में जरूरी नहीं है। अतः फरवरी, १९६१ में भारत ने इन रियायतों को वापस ले लेने का नोटिस दे दिया था। अब भारत विकास और राजस्व पहलुओं को ध्यान में रख कर उन वस्तुओं पर शुल्क वसूल कर सकता है। जांच के बाद, यह निर्णय किया गया है कि मद संख्या १५ (११), २८(२५), ५२(४), ५३(२) और ५५(२) को पहली सूची से निकाल दिया जाये और उनके अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं को सामान्य वस्तुओं के अन्तर्गत, जिन से वे मूलतः सम्बन्धित हैं, वर्गीकृत किया जाये और उन पर इस समय लागू दर पर शुल्क लगाया जायेगा।

जहां तक कुछ वस्तुओं के भागों के मूल्यांकन का सम्बन्ध है, पहली सूची के अनुसार कुछ वस्तुओं पर 'पूर्ण' या 'भाग' दोनों पर एक जैसा कर लगता है। यह प्रथा पुरानी साम्राज्यवादी सरकार की निशानी है। अब यह विचार किया गया है कि जहां तक हो सके, विभिन्न मदों को जो केवल 'पूर्ण' वस्तु से सम्बन्धित है और इसके 'भाग' से नहीं, संशोधित कर के इस प्रकार कर दिया जाये कि "पूर्ण' वस्तुएं और उन 'भाग' पर उसी मद के अन्तर्गत शुल्क लगाया जाये। प्रस्तावित संशोधनों से 'प्रशुल्क' की परिभाषा अधिक स्पष्ट हो जायेगी और इस से मशीन निर्माण उद्योग को संरक्षण मिलेगा और 'भागों' के मूल्यांकन के बारे में संदेह दूर होगा।

मद ७३ के बारे में अधिनियम में उपबन्ध है और मुझे इन पर बोल कर समय नहीं लेना है।

अधिनियम के पहली सूची की मद ७७ (१) का बहुत दुरुपयोग किया गया है, क्योंकि उस प्रकार के उपकरण और सामान निजी सामान के रूप में लाया जाता है। अब यह रियायत केवल उस हद तक सीमित कर दी गई कि यह केवल उन्हीं वस्तुओं पर दी जायेगी जो विशिष्टतः यात्री के व्यवसाय में प्रयोग के लिये हो। यात्री के मूल्य सामान के बारे में समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम लागू होगा। इसलिये प्रशुल्क अनुसूची में से मद ७७(१) निकाल दी जायेगी। और सामान नियमों में इस रियायत के लिये उपयुक्त संशोधन किया जायेगा।

यह एक सरल विधेयक है और इस से भारत के आर्थिक हितों को लाभ पहुंचेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इसका अभिप्राय मामलों का सरल करना तथा ऐसी आयात की हुई वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने का उपबन्ध करना है जिन पर देश में निर्मित होने पर उत्पादन शुल्क लगता है। ऐसा करना देशीय उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये आवश्यक है।

मैं इसलिए भी इस विधेयक का स्वागत करता हूं कि इससे बहुत सी वस्तुयें जिन को लोग व्यक्तिगत सामान कह कर और उन पर शुल्क न दे कर, विदेशों से ले आते हैं उन को वैसे नहीं ला सकेंगे। परन्तु सामान्य प्रशुल्क नीति के विषय में मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार देशीय उत्पादन को भविष्य में क्या परित्राण देना चाहती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रभात कार]

इंजीनियरिंग सम्बन्धी वस्तुओं के बारे में, जिन को कच्चे माल तथा उत्पादन शुल्क जैसी बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या पग उठा रहे हैं ।

मंत्री महोदय ७२ (४) की ओर निर्देश कर रहे थे परन्तु बहुत कम सदस्य उसे समझ पाये होंगे। छोटे पैमाने पर व्यापार करने वाले साधारण व्यापारी के लिये यह समझ पाना कठिन है कि कौन सी तैयार वस्तुयें प्रशुल्क विनियमों के अन्तर्गत आती हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मामलों का सरलीकरण, जेसा मंत्री महोदय ने कहा है, मेरे विचार में नहीं हुआ है।

†**श्री मनुभाई शाह** : विधेयक में यह सब दिया हुआ है।

†**श्री प्रभात कार** : सरल करने का प्रयत्न तो किया गया है परन्तु इसे इतना सरल होना चाहिये कि एक साधारण व्यक्ति भी यह समझ सके कि कौन सी स्वदेशी वस्तुयें इन प्रशुल्क विनियमों के अन्तर्गत आती हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं इन परिवर्तनों का स्वागत करता हूं ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** (आनन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझ प्रसन्नता है कि यह विधेयक इस सत्र में लाया गया है। भारतीय प्रशुल्क की अंग्रेजी शासन के काल में भी अवहेलना की जाती थी परन्तु आहिस्ता आहिस्ता हम सीख रहे हैं और प्रशुल्क विनियमों में भी हम सुधार कर रहे हैं ।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर) : सुधार किस गति से लाया जा रहा है ?

†**श्री नरेंन्द्र सिंह महीड़ा** : मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। एक व्यक्तिगत सामान के विषय में है। यात्री विदेशों से वस्तुयें, कैमरे तथा टाईपराईटर, आदि, व्यक्तिगत सामान कह कर लाते हैं, परन्तु उन को बाजार में बेच देते हैं। मेरा सुझाव है कि जैसे विदेशों से लाई गई मोटर कारों के बेचने पर कुछ प्रतिबन्ध हैं वैसे ही अन्य वस्तुओं के विषय में भी होना चाहिये ।

मुझे हर्ष है कि भारत में निर्मित वस्तुयें भी प्रशुल्क-अनुसूची में सम्मिलित हैं। परन्तु मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जो वस्तुयें, साईकिल आदि, भारत से बाहर भेजी जाती हैं यदि उन्हें ही कोई बाहर का व्यक्ति या कोई भारतीय राष्ट्रजन यहां लाये तो उन का क्या होगा ।

एक बार फिर मैं, इस विधेयक का स्वागत करते हुए, यह सुझाव देता हूं कि घड़ियां, सिगरेट लाइटर आदि, जो वस्तुयें बाहर से लाई जाती हैं उन पर कड़ा प्रतिबन्ध लगना चाहिये ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : इस विधेयक का समर्थन करते हुये मैं अपने विचार आपके सम्मुख रखता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह हर्ष का विषय है कि जहां तक देशीय वस्तुओं का सम्बन्ध है, इस बिल से विदित है, कि हम काफी प्रगति कर रहे हैं।

बढ़ती हुई माल की खपत इस बात की द्योतक है कि हमारी जनता की आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है।

विधेयक के दूसरे पक्ष पर आते हुए, मुझे हर्ष है कि यह सरकार और विशेषतया वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय देशीय उद्योगों को प्रोत्साहन तथा संरक्षण देने के मामले में सदैव तत्पर रहा है।

मुझे प्रसन्नता है कि राजस्व प्राप्त करने का एक और साधन ढूंढ लिया गया है। कुछ वस्तुओं के आयात के बारे में हम उन्हीं वस्तुओं पर शुल्क लगा रहे थे जिन का सुझाव प्रशुल्क आयोग ने दिया था। इन की तुलना जब हम देश में निर्मित वस्तुओं से करते हैं जिन पर उत्पादन शुल्क लगता है तो हम देखते हैं कि इन में घाटा रहता है। मुझे हर्ष है कि इस विधेयक के ज़रिये इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है।

कुछ वस्तुयें, जो व्यक्तिगत सामान कह कर लाई जाती हैं उन पर जो प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है मुझे इस से संतोष हुआ है। इससे जो राज कोष को घाटा होता था वह अब नहीं होगा।

कुछ देशों ने, जो हमारे साथ किये गये आयात-निर्यात सम्बन्धी करारों को पूरा नहीं कर सके थे, करार के अनुसार दी जाने वाली छूटें बन्द कर दी थीं। मुझे हर्ष है क्योंकि इस से हमारा राजस्व बढ़ेगा।

कुछ औजारों, जिन की आवश्यकता घरेलू उद्योगों, दस्तकारी, आदि में पड़ती है, के बारे में हम आत्मनिर्भर नहीं हैं इसलिये मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय बतायें कि ऐसे औज़ारों पर सीमा शुल्क नहीं लगाया गया है।

सरलीकरण के बारे में श्री प्रभातकार ने भी कहा है। मैं यह चाहूंगा कि विनियमों तथा उपबन्धों को इतने सरल रूप में लाया जाये कि साधारण से साधारण व्यक्ति तात्पर्य को समझ सके और उन से लाभ उठा सके।

अन्त में मैं, इस विधेयक का स्वागत करते हुए, यह फिर कहना चाहता हूं कि उन औजारों पर सीमा शुल्क न लगाया जाय जिन की हमारे देश के विकास के लिये आवश्यकता है।

श्री बिशनचन्द्र सेठ (एटा): उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में सब से पहले यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इसका स्वागत करता हूं कारण कि हमारे देश में प्रोडक्शन को एनकरेज करना बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

परन्तु मैं एक चीज की ओर आदरणीय मिनिस्टर महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बहुत सी चीजें जो कि देश में बन सकती हैं वे आज बाहर से आती हैं। हम कागजों में और अखबारों में तो ऐसी बहुत सी चीजें छपते देखते हैं कि जिनसे पता चलता है कि गवर्नमेंट इन चीजों का देश में बनना एनकरेज करना चाहती है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाएं तो प्रतीत होता है कि गवर्नमेंट इन चीजों की तरफ से उदासीन है। मैं आदरणीय मिनिस्टर महोदय का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि देश में बन सकती हैं मगर वे विदेशों से आ रही हैं। इस तरफ सरकार

[श्री बिशनचन्द्र सेठ]

का ध्यान नहीं जाता कि उन चीजों को देश में बनाने के लिए लोगों को कैसे एनकरेज किया जाए ।

अन्य कई मित्रों ने कहा है कि कई चीजें जो यहां बन सकती हैं आज बाहर से आ रही हैं। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि आज लोगों के अन्दर एक भावना है कि जहां तक हमारी तिजारत का सम्बन्ध है हम किसी भी देश पर निर्भर न रहें। लेकिन खेद है कि बहुत सी चीजें जो कि देश में बनायी जा सकती हैं उनको एनकरेजमेंट नहीं मिलता, जैसा कि कागजों में छापा जाता है । अगर आप कागजों में देखें तो आपको मालूम होगा कि इस दिशा में बड़ा काम हो रहा है, लेकिन अगर आप वास्तव में जा कर देखें तो विभागों के अधिकारियों को पता नहीं और हर प्रश्न एक विभाग से दूसरे विभाग को जानकारी के लिए भेजा जाता है । इसलिये मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि उनको आवश्यक कदम उठाना चाहिए। इस बिल के मूल में जो भावना है उसका मैं स्वागत करता हूं ।

आज अवस्था यह है कि जो चीजें देश में बन सकती वे हैं विलायत से आ रही हैं। आपके पास ऐसा विभाग होना चाहिए जो यह देखे कि जिन चीजों को बनाने के लिये कच्चा माल हमारे देश में उपलब्ध है उनको यहां बनाने के लिए एनकरेजमेंट दिया जाये और जो थोड़ी सी चीजें बाहर से मंगाना आवश्यक हो उनको मंगाकर उन चीजों का उत्पादन देश के अन्दर ही कराया जाए ।

इन शब्दों के साथ, और इस भावना को मंत्री महोदय के सामने रखते हुए मैं इस बिल का स्वागत करता हूं ।

†**श्री सोनावने** (पेंढरपुर) : देशीय उत्पादों की किस्म और मूल्य के लिये भारतीय उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। संरक्षण दिये जाने के बावजूद भी हमारी कुछ वस्तुओं के किस्म में सुधार नहीं हुआ है । सरकार ने प्रश्न के उस पहलू पर उचित ध्यान नहीं दिया है । प्रशुल्क आयोग को शुल्क लगाने के प्रश्न की जांच करते समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहिये। मैं अनुभव करता हूं कि उपभोक्ताओं पर भार नहीं पड़ना चाहिये और देशी उत्पादों का मूल्य आयात वस्तुओं के मूल्यों से कम होने चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री बड़े (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, इंडियन टैरिफ, (सेकेंड अमेंडमेंट) बिल जो सदन में लाया गया है उस का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन साथ ही साथ मेरी मिनिस्टर महोदय से विनती है और यही पहले जब एक अमेंडमेंट बिल आया था तब भी मैं ने निवेदन किया था। टैरिफ, वौल्स इसलिये रखी जाती हैं ताकि अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन दिया जा सके और मंशा यह रहती है कि इम्पोर्टेड गुड्स हमारी चाइल्ड इंडस्ट्रीज के गुड्स से कम्पीट न कर सकें। मैं ने पहले भी इसी हाउस में कहा था कि हालांकि बौल बियरिंग्स की इंडस्ट्री को हमने १० साल का प्रोटेक्शन दिया लेकिन तो भी हमारी इंडस्ट्री अच्छे किस्म

---

†मूल अंग्रेजी में

की बौल बियरिंग्ज तैयार नहीं कर सकीं और क्लिोसकर कम्पनी ने उस के खिलाफ शिकायत की थी कि यहां की बनी बौल बियररिंग्ज आवाज करती हैं और गरम हो जाती हैं। उन के उत्पादन में कुछ सुधार नहीं हुआ है ।

इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक स्विचेज के बारे में भी मैंने देखा है कि यहां के बनें इलेक्ट्रिक स्विचेज और इम्पोर्टेड वंस में बहुत फर्क रहता है । इस के सम्बन्ध में शासन को लक्ष्य रखना चाहिए कि यहां की बनी चीजें अच्छी हों और वे इम्पोर्टेड गुड्स से कम्पीट कर सकें। टैरिफ वौल्स देश की नई इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देने के लिए इस्टैबलिश की जाती हैं और यह ठीक भी है कि हमारी देशी इंडस्ट्रीज और नये खुलने वाले कारखानों को सरकार प्रोत्साहन दे लेकिन उसके साथ ही इस बात की भी सरकार को निगरानी रखनी चाहिए कि वे अच्छा माल तैयार करें और ऐसा न हो कि कंज्यूमर्स देशी माल न ले कर इम्पोटेड चीजें लेना ही पसन्द करें। देखा यह जाता है कि इम्पोर्टेड गुड्स हालांकि टैक्स की वजह से महंग पड़ते हैं लेकिन तो भी लोग उन्हीं को लेना पसन्द करते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि रिस्ट वाचेज के पुर्जे वगैरह उनको इम्पोर्ट करना ही पड़ता है, यहां उनका उत्पादन नहीं हो सकता है । उन के लिए यहां एक्साइज ड्यूटी और इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। देश में सुईंग मशीन और रिस्ट वाचेज के लिए सरकार ने नये कारखाने स्थापित किये हैं लेकिन जैसा मैं ने बतलाया हालांकि इम्पोर्टेड चीजें महंगी पड़ती हैं तो भी लोग देश में बनी चीजों के मुकाबले बाहर की चीजों को लेना पसन्द करते हैं क्योंकि वह अच्छी बनी होती हैं। यहां के बने बौल बियरिंग्ज गैस और इलेक्ट्रिक स्विचेज को यहां के लोग लेना पसन्द नहीं करते। मैं ने इस ओर मंत्री महोदय का ध्यान भी आकर्षित किया था। मैं चाहूंगा कि शासन इधर ध्यान दे और इस बात को देखे कि इंडस्ट्रीज जो अनुचित फायदा उठाती हैं वे न उठा सकें और अच्छी क्वालिटी का सामान वे बनायें ताकि कंज्यूमर्स देश में बनी वस्तुओं को लें। आज उपभोक्ताओं को जो ज्यादा महंगी चीजें मिलती हैं उस के बारे में भी सरकार ध्यान दे और अच्छी चीजें मुनासिब दाम पर उपभोक्ताओं को सुलभ कराने की समुचित व्यवस्था करे। आज कारखानेदार केवल प्राफिट की तरफ देखते हैं और प्रोडक्शन ठीक होता है या नहीं होता है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं जिसके कि कारण क्वालिटी सफर करती है । प्रशासनिक कर्मचारी जिन पर कि इस काम की देखरेख करने की जिम्मेदारी है वे अपना कर्त्तव्य ठीक से नहीं निभाते हैं और देखा यह जाता है कि जहां उनकी पान, सुपारी आदि से अच्छी खातिर हो जाती है वहां के लिए वे रैकमंड कर देते हैं कि इस इंडस्ट्री को टैरिफ प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था। उनका समय बढ़ना चाहिये था । मंत्री महोदय को इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए।

जहां तक इस बिल के उद्देश्यों का सम्बन्ध है वे अच्छे हैं। बिल में थोड़ी सी क्लैरिक्ल मिस्टेक है । पेज २ पर एमेंडमेंट और फर्स्ट शैड्यूल के नम्बर ६ में जहां wherever they occur shall be committed लिखा है तो कमिटेड के स्थान पर ओमिटेंड होना चाहिए। इतनी ही क्लेरिकल मिस्टेक है और यह जो प्रिंटर्स डेविल है इसे दुरुस्त होना चाहिए। बाकी जहां तक इस बिल के उद्देश्यों का ताल्लुक है वे सराहनीय और स्वागत योग्य हैं और इस से यहां के देशी कारखानों को इनकरेजमेंट मिलेगा। मैं उनका समर्थन करता हूं ।

इस के साथ ही मैं फिर कहना चाहता हूं कि शासन को इस ओर देखना चाहिए कि यहां के कारखानेदार अच्छी क्वालिटी की ओर रीजनेबुल रेट पर चीजें बनाते हैं या

[श्री बडे]

नहीं क्योंकि ऐसा होने से ही उपभोक्ता इम्पोर्टेड चीजें न लेकर देशी चीजें लेंगे और इस के लिए उनको ज्यादा कीमत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन चंद शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत व समर्थन करता हूं।

†**श्री अब्दुल वहीद** (वैल्लोर) : ऐसी शिकायतें आई हैं कि हमारे सीमा शुल्क कर्मचारी विदेशियों के साथ जो कि भारत में आते हैं बहुत कड़ा बर्ताव करते हैं। इस से पर्यटन और व्यापारियों के आने पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों के साथ वैसा बर्ताव होना चाहिये जैसा कि अन्य देशों में किया जाता है। सीमा शुल्क प्राधिकारियों को इस सम्बन्ध में निदेश दे दिये जाने चाहियें।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस विधेयक का हार्दिक समर्थन किया है और सरकार के प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रयत्नों का स्वागत किया है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा ने यात्रियों द्वारा कैमरे, टाइपराइटर आदि अपने निजी सामान के रूप में ले आने का उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में कुछ समय से काफी छूट दी गई है जिस के कारण इसका दुरुपयोग होता रहा है। इसलिए नियमों को समय समय पर कड़ा किया जाता रहा है विधेयक में इस बात का प्रयत्न किया गया है कि व्यावसायिक लोगों पर भी यह लागू रहे, ताकि अपने इस्तेमाल की निजी वस्तुओं के नाम पर वे अन्य वस्तुएं न ले आयें। उदाहरणतया, मोटर कार और केमरे को निजी वस्तुएं नहीं किया जा सकता आयात की हुई ऐसी वस्तुओं के देशी मूल्य और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में बहुत अन्तर होता है, जिस से विदेशी पर्यटकों द्वारा इन को बेचे जाने से बहुत सी विदेशी मुद्रा की हानि होती है। इसलिए ऐसे आयात को रोकने का प्रयत्न किया गया है। जब तक नियम स्पष्ट न हो यह यह बहुत कठिन हो जाता है।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : यदि वह व्यक्ति जो ये चीजें भारत में ले आता है, उन्हें पुनः न बेचने की गारन्टी दे, चार, पांच या १० वर्ष तक, तो नियम ढीले किये जा सकते हैं।

†**श्री मनुभाई शाह** : इस प्रकार के प्रतिबन्ध से पर्याप्त संरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत आने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक होती है और वे बहुत सा सामान अपने निजी सामान के रूप में यहां ला सकते हैं। इस विदेशी वस्तुओं के कारण देश उत्पादों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। फिर भी हम ने खयाल रखा है कि व्यवसायों को उन की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में पूरा पूरा संरक्षण दिया जाय। इसलिये और स्पष्टीकरण कर दिया गया है।

श्री बड़े ने विधेयक के उद्देश्य को ठीक तरह समझा नहीं है। इसका उद्देश्य भारतीय उत्पाद की किस्म या कार्यक्षमता को बढ़ाना नहीं है किन्तु चूंकि यह मामला उठा दिया गया है, इस लिये मैं फिर दुहराना चाहता हूं कि सामान्य रूप से भारतीय उत्पाद की किस्म विश्व के अन्य उत्पादों से कम नहीं होती : यह मैं इसलिये नहीं कह रहा कि हमें अपने देश के उत्पादन पर गर्व है बल्कि इस लिये कि मुझे इन का प्रविधिक ज्ञान है।

†**श्री सोनावने** : मैंने भारतीय उत्पादों की किस्म के बारे में कुछ नहीं कहा था। किन्तु कुछ ऐसी चीजें बनाई गई हैं, जो स्तर तक नहीं पहुंच सकती। कुछ वस्तुओं के लिये उपभोक्ता को अधिक मूल्य देना पड़ता है

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं मानता हूं कि कुछ मामले ऐसे भी होंगे किन्तु सामान्य रूप से हमारा माल अच्छी किस्म का होता है। मैं अपने ज्ञान से कह सकता हूं कि ये माल और पुर्जे जो हज़ारों की संख्या में हैं, विश्व की मंडियों में मांग पैदा कर रहे हैं। प्रशुल्क आयोग को भारतीय स्तरों के अनुसार भारतीय उत्पादों की किस्म बनाये रखने और अन्तर्राष्ट्रीय तरीके पर किसम परीक्षण करने का प्रभार सौंपा गया है। चालू वर्ष में सरकार एक किस्म नियन्त्रण और नौ-भरण पूर्व निरीक्षण विधेयक प्रस्तुत करेगी जिसके अन्तर्गत पांच वर्ष की अवधि में अधिकतर भारतीय उत्पाद पर अन्तराष्ट्रीय किस्म नियन्त्रण और नौ-भरण पूर्व निरीक्षण लागू हो जायेगा।

मैं श्री सर्राफ़ को बताना चाहूंगा कि यह सरलीकरण शीघ्र से शीघ्र लाये जायेंगे। इस विधेयक के द्वारा भारतीय प्रशुल्क का काम ५० प्रतिशत कम हो जायगा। मुझे हर्ष है कि सदन ने इस प्रयत्न का सामान्य रूप से समर्थन किया है।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : मैं उन भारतीय वस्तुओं के बारे में स्पष्टीकरण चाहूंगा जो निर्यात कर के पुनः आयात कर दी जाती हैं।

†**श्री मनुभाई शाह** : ऐसी वस्तुएं बहुत कम हैं। हमारे निर्यात ४ या ५ करोड़ रुपये के हैं और हमारी एक प्रक्रिया है जिसके अनुसार ऐसे मामलों को निपटाया जा सकता है। हो सकता है कि लंका, इथोपिया, मिश्र या ईराक को भेजी गई भारी मशीनरी पुर्जों की मरम्मत के लिये वापस आई हों। ऐसे मामलों को विमुक्ति दी जाती है और उन पर आयात या निर्यात विनियम लागू नहीं होते। ऐसी वस्तुओं पर जो भारत में निर्मित हों और जिनकी भारत में विदेशी बिक्रेताओं के लिये मरम्मत की जाय या जिन्हें फिर से बनाया जाय और फिर उन्हीं स्थानों को पुर्नानिर्यात कर दिया जाय, न आयात शुल्क लगता है और न निर्यात शुल्क।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २, ३ और ४ विधेयक का अंग बनें।"

खंड २ और ३ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड १--(संक्षिप्त नाम और)

संशोधन किये गये :

पृष्ठ, १, पंक्ति ३, में से "दूसरा" निकाल दिया जाये (१)

पृष्ठ १, पंक्ति ४, "१९६२" के स्थान पर "१९६३" रख दिया जाये (२)

[श्री मनुभाई शाह]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १, संशोधित रुप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रुप में पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९६२

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह एक बहुत औपचारिक विधेयक है जिसकी आवश्यकता विभिन्न राज्यों में स्थानीय प्राधिकारों के पुनर्गठन और पंचायत अधिनियम पारित किये जाने के कारण पड़ी है । जिला बोर्डों और स्थानीय बोर्डों के कृत्य नये प्राधिकारों ने लिये हैं । संविधान के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि उच्च सदन के स्थानों के लिये एक तिहाई निर्वाचकगण स्थानीय प्राधिकारों के होते हैं और अब तक हमने उन ही स्थानीय प्राधिकारों को सम्मिलित किया है जिनकी सम्बन्धित राज्य सरकारों ने सिफारिश की है । पिछले अधिनियम के पारित हो जाने के बाद, स्थानीय प्राधिकारों का पुनर्गठन होने पर, हमें मद्रास, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से सिफ़ारिशें और आंध्र प्रदेश और बिहार से प्रार्थनायें प्राप्त हुई हैं कि अनुसूचियों का पुगर्गठन किया जाये, इसी कारण उनमंत्री ने संशोधन संख्या १ की सूचना दी है और आनुषांगिक संशोधनों की संख्या २, ३ और ६ होगी ।

मेरे विचार में इस विधेयक के उद्देश्यों को स्पष्ट करना आवश्यक नहीं है । जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है, हमने यह प्रस्ताव किया है कि पुरानी अनुसूचियों की बजाये हम केवल नगर पालिकाएं , छावनी बोर्ड, नगर समितियां और ज़िला परिषद् रखें ।

मद्रास के बारे में, पुरानी अनुसूची की मद (४) के श्रेणी १ पंचायतों के स्थान पर हम केवल मद्रास पंचायत अधिनियम, १९५८ के अन्तर्गत अधिसूचित नगर पंचायतें, अर्थात् वे पंचायतें जिनकी जनसंख्या पांच हज़ार से कम नहीं और वार्षिक आय १० हजार रुपये से कम न हो, रखी जायेंगी । आंध्र प्रदेश के लिये भी ऐसा उपबन्ध किया गया है, एक संशोधन के द्वारा ।

उत्तर प्रदेश में क्षेत्र समितियां पुरानी अधिसूचित क्षेत्र समितियों का कार्य संभाल रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिहार के बारे में भी, एक संशोधन के द्वारा ऐसा ही किया जा रहा है। अधिसूचित क्षेत्र समितियों के बाद हम जिला परिषद् और पंचायत समितियां रख रहे हैं, जिन्होंने वहां पर विभिन्न स्थानीय प्राधिकारी का काम संभाल लिया है।

श्री पाटिल ने अपने संशोधन संख्या ४ के द्वारा यह सुझाव दिया है कि जिला परिषद् के बाद "पंचायत समितियों को शामिल करते हुए" ये शब्द जोड़ दिये जायें। उनका यह सुझाव भी है कि हम पृष्ठ २, पंक्ति २ में अधिसूचित क्षेत्र समितियों को मद ५ के रूप में जिला परिषद् के बाद रखें। मैंने श्री चवान से इस के बारे में पूछा था। उनका कहना है कि 'पंचायत समितियां' शब्द रखना बिल्कुल आवश्यक नहीं है और जैसा कि महाराष्ट्र सरकार ने हमें लिखा है, वे शब्द पर्याप्त हैं, जो कि विधेयक के खंड २ में रखें गये हैं। अर्थात् नगरपालिकायें, छावनी बोर्ड, नगर समितियां, जिला परिषद्। जिला परिषदें सब स्थानीय प्राधिकारों का प्रतिनिधित्व करती है। मुझे आशा है माननीय सदस्य इस स्पष्टीकरण के बाद अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अमेंडिंग बिल रखा गया है, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है, बड़ा ही फार्मल सा है। लेकिन मैं समझता हूं कि इससे आप चुनाव पर काफी बोझा डालने जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि अपर हाउसिस के लिये जो इलैक्टोरल कालेजिज़ हैं, लोकल बाडीज़ हैं, उन लोकल बाडीज़ में आप नई लोकल बाडीज़ को जोड़ने जा रहे हैं। जो टाउन कमेटीज़ या क्षेत्र समितीज़ बनी हैं, उनको भी जोड़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिला परिषदें हैं, अंतरिम जिला परिषदें हैं और अब हर एक ब्लाक में क्षेत्रीय समितियां भी बन गई हैं। उन ब्लाक्स में चालीस से ले कर पचास तक मैम्बर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में ३१ ब्लाक हैं और हर एक में तीस से लेकर चालीस तक मैम्बर हैं। उनको भी आप इसके अन्दर ला रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जो क्षेत्रीय समिति होती है उसका प्रतिनिधित्व जिला परिषद् में होता है। हर एक क्षेत्रीय समिति का सभापति, उप-सभापति तथा एक चुना हुआ व्यक्ति ज़िलापरिषद में आता है और इस तरह से ज़िला परिषद् रूरल एरियाज़ का काफी प्रतिनिधित्व करती है। अभी तक तो ज़िला परिषद को ही रखा गया था लेकिन अब आप क्षेत्रीय समिति को भी जोड़ रहे हैं। इसका नतीजा यह होगा कि भारत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और जो मैम्बर लोकल बाडीज़ से खड़ा होगा उसके लिए एक आफत हो जाएगी, लेकिन फायदा कोई विशेष नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में पहले से ही जिला परिषदें हैं, अंतरिम जिला परिषदें हैं, टाउन एरिया कमेटीज़ हैं, नोटिफाइड एरिया कमेटीज़ हैं तथा दूसरी संस्थाय हैं जो कि अपर हाउस के लिये मैम्बर का चुनाव करती हैं और उनके होते हुए भी क्षेत्रीय समिति को इस में शामिल कर देना, इसमें क्या फायदा सोचा गया है, मेरी समझ में नहीं आया है।

अभी माननीय मंत्री जी ने श्री डी० एस० पाटिल की एमेंडमेंट के बारे में कहा है कि पंचायत समिति और नोटिफाइड एरिया कमेटी को इस में अलग से शामिल करना ठीक नहीं है क्योंकि वे वहां की जो जिला समितीज़ हैं, उन में आ जाती है और इस वास्ते अलग से उनको रखने की जरूरत नहीं है। इसी आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि क्षेत्रीय समिति का भी प्रतिनिधित्व ज़िला परिषद् में हो जाता है और अगर उनको इस में अलग से न रखा जाए तो कोई नुक्सान वाली बात नहीं होती।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सिंहासन सिंह]

मैं समझता हूं कि इस एमेंडिंग बिल से कुछ लाभ नहीं होने वाला है, उल्टे लोगों पर बोझा ही पड़ने वाला है। इससे तो उन लोगों में जो लोकल बाडीज़ की कंस्टिट्युएंसी से खड़े होना चाहते हैं, डर ही पैदा होगा, बनिस्बत उस व्यक्ति के जो कि किसी दूसरे क्षेत्र से एम० एल० ए० बनने के लिये खड़ा होगा। मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार कर लें। अभी क्षेत्रीय समिति के चुनाव के बाद बहुत से मुकदमें भी दायर हुए हैं। उन में कोर्टफीस वगैरह के मसले पड़े तो जिला परिषद् में लोकल बाडीज के वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को जब रक्खा गया है तो उनकी कितनी कोर्ट फीस लगेगी एलेक्शन पिटिशन के सिलसिले में। कहीं-कहीं पर तो वह लोकल बाडीज़ में आते हैं या नहीं इस के लिये डिफरेन्ट डिफरेन्ट इंटरप्रेटेशन मिले। यदि आप लोकल बाडीज़ में उनको भी डाल दें तो आइन्दा के लिये और भी आपत्तियां होने वाली हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप उनको अधिकं विस्तृत न करें तो बहुत ज्यादा नुक्सान होने वाला नहीं है। जो चुनाव चल रहे थे उन में जो समितियां थीं वह थीं। जिला परिषद् के चुनावों में जहां पर ४० मेम्बर हुआ करते थे वहां पर अब १०० और १५० मेम्बर हो गये हैं हर जगह पर। काफ़ी प्रतिनिधि बढ़ गये हैं देहातों में। वहां पर प्रतिनिधि बढ़ सकते हैं और उनके जरिये से काम हो सकता है। जो चीज़ रक्खी जा रही है उस की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है।

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : औचित्य प्रश्न पर मैं यह पूछना चाहता हूं कि ज़िला परिषदें तथा नगरपालिकायें क्या किसी अन्य विभाग के अधीन हैं अथवा अलग अलग संघटनों के रूप में काम करती हैं।

†**श्री अ० कु० सेन** : यह अलग अलग प्राधिकार है।

†**श्री प्रिय गुप्त** : यह दोनों एक ही प्रकार के का करते हैं या अलग अलग ?

†**श्री अ० कु० सेन** : नगरपालिका, छावनी बोर्ड और जिला परिषद्, यह सब परिनियमों के अधीन बनाये जाते हैं। नगरपालिका परिनियम के अधीन बनाई जाती है, छावनी बोर्ड छावनी अधिनियम के अधीन बनाया जाता है। जहां तक ज़िला परिषदों का सम्बन्ध है उन के कृत्य अधिकतर वही हैं जो पुराने जिला बोर्डों के तथा पंचायत अधिनियम के अधीन अन्य स्थानीय प्राधिकारों के थे।

†**श्री प्रिय गुप्त** : क्या यह ज़िला परिषद् के अधीन है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : जहां तक अधिक स्थानीय प्राधिकारों का सम्बन्ध है, वह अपनी सीमा में सक्षम हैं। वह किसी के अधीन नहीं हैं। परन्तु सामान्यतया सरकार के पास निर्देश आदि की विभिन्न शक्तियां हैं।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल आया है वह अपर हाउसेज के चुनावों के लिये आया है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद् और जिला परिषद् पहले भी शामिल थीं। अभी माननीय विधि मंत्री महोदय ने बतलाया है कि इस में नोटिफाइड एरिया की जगह पर क्षेत्रीय समिति होनी चाहिये और जिला परिषद्। मैं समझता हूं कि अगर क्षेत्रीय समिति को इस में न शरीक किया जाय तो एलेक्शन का खर्च भी कम होगा और प्रतिनिधियों को उसके लड़ने में भी आसानी होगी क्योंकि अब तक जो उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बोड्स थे वह समाप्त कर दिये गये और उन की जगह जिला परिषद् का गठन हुआ। जिला परिषदों में तकरीबन हर जगह

†मूल अंग्रेजी में

१०० या १५० मैम्बर हो गये। टाउन एरिया कमिटीज़ और उस के बाद नोटिफाइड एरियाज तो पहले भी थीं। लेकिन मैं समझता हूं कि आज कल देश में एलेक्शन का खर्च बहुत बुरी तरह से बढ़ रहा है। पहली बात तो यह है कि मैं यह नहीं चाहता कि इनडाइरेक्ट एलेक्शन कराये जायें। जिला परिषद् के भी एलेक्शन इनडाइरेक्ट होते हैं, नोटिफाइड एरिया या जो क्षेत्रीय समिति होने जा रही हैं उसके भी उसी तरह से हो रहे हैं। एक-एक आदमी को पकड़-पकड़ कर वोट के लिये लाना पड़ता है। बहुत जगहों पर तो वोट लेने ही बन्द हो जायेंगे और कहीं कहीं वोट खरीदे भी जाते हैं। इस से हमारे देश में बहुत बड़ी दुर्भावना फैल गई है। इस लिये मैं समझता हूं कि एलेक्शन खर्च को कम करने के लिये अगर परिषद् को ही शरीक रखते हैं तो यह बहुत है। उसके बाद क्षेत्रीय समिति को भी उस में से निकाल दीजिये तो मेरी समझ में कोई बुरी बात नहीं है।

मेरा तो खयाल है कि एलेक्शन के खर्च को कम करने के लिये कोशिश यह होनी चाहिये कि जिला बोर्डों के चुनाव डाइरेक्ट हुआ करें। पहले तो इसी तरह से होते थे लेकिन अब इन-डाइरेक्ट हो रहे हैं। क्षेत्रीय समितियों को जो टाउन एरिया की जगह दी जा रही है, उससे भी एलेक्शन का खर्च बहुत बढ़ जायेगा और आम तौर से साधारण आदमी के लिये एलेक्शन लड़ना कठिन हो जायेगा। साथ ही साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि क्षेत्रीय समिति को इस में से निकाल दें। चाहें तो जिला परिषदों को रख सकते हैं। इस तरह से किया जाये तो ज्यादा अच्छा होगा और एलेक्शन के लिये भी इस से आसानी होगी।

†**श्री बड़े** (खारगोन) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश, मद्रास तथा महाराष्ट्र की सरकारों ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने के लिये सरकार से कहा है। मैं उत्तर सदन के गठन के विरुद्ध हूं। परन्तु जब मैंने संबंधित राज्य मंत्रियों से पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि मंडल परिषदों का कोई उल्लेख नहीं है अतः उसके लिये पंचायत अधिनियम को संशोधित करने की आवश्यकता है। इस लिये उत्तर सदन बनाने में कठिनाई है। पंचायत अधिनियम के संशोधन के विषय में क्या सरकार स्वयं सूत्रपात करेगी अथवा राज्य मंत्रियों के अनुरोध पर ऐसा किया जायेगा। अभी-अभी मध्य प्रदेश सरकार ने भी पंचायत अधिनियम में संशोधन करके पंचायतों के संविधान में कुछ परिवर्तन किये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को इसका निर्देश किया है।

†**श्री अ० कु० सेन** : मध्य प्रदेश सरकार को ऐसा निर्देश करने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता जब कि वहां पर उत्तर सदन ही नहीं है। यदि उत्तर सदन होगा तो राज्य सरकार की इच्छानुसार किन्हीं स्थानीय प्राधिकारों के उस में प्रतिनिधित्व पर विचार किया जायगा।

†**श्री बड़े** : उत्तर सदन (अपर हाउस) न होने का कारण उन्होंने यह बताया है कि लोक प्रतिनिथित्व अधिनियम में मण्डल परिषदों का उल्लेख ही नहीं है।

†**श्री अ० कु० सेन** : नहीं, यह कारण नहीं है।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** (होशियारपुर) : अन्य राज्यों में चूंकि परिवर्तन हुए हैं इस लिए स्थिति के समूचे और विस्तारपूर्वक पुनर्विलोकन की आवश्यकता है। पंजाब में उत्तर सदन है और वहां पर भी जिला परिषदें बनी हैं। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा विधेयक लाया जाये जिस में उत्तर सदनों में प्रतिनिधित्व के बारे में ठीक प्रकार से दिया गया हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० ना० विद्यालंकार]

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु मैं चाहता हूं कि एकरूपता लाने के लिये एक व्यापक विधेयक इस सभा में लाया जाये ।

श्री दे० शि० पाटिल (यवतमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर मैं ने एक दो सुझाव दिये थे और इस पर कुछ कहने का मेरा इरादा भी था, लेकिन मंत्री महोदय ने जो सुझाव रखे और उन का जो स्पष्टीकरण किया, उस के बाद मैं अपने अमेंडमेंट्स को प्रेस नहीं करना चाहूंगा लेकिन वस्तुस्थिति क्या है, यह बतलाने की कोशिश करूंगा ।

लेजिस्लेटिव कौंसिल के एलेक्शन के लिये लोकल बाडीज की जो कांस्टिटुएन्सी बनती है उन में कौन-कौन सी लोकल बाडीज हो सकती हैं अगर इसको देखा जाये तो मेरा खयाल यह है कि इंडिया भर के लिये एक साधारण प्रिंसिपल होना चाहिये । अगर इतर स्टेट्स में देखा जाये, जैसे कि आन्ध्र है, तो वहां पर क्लास १ पंचायत लोकल बाडीज में रक्खी गई हैं ; क्लास २ पंचायत लोकल बाडीज में रक्खी गई हैं ; मध्य प्रदेश में जन पद सभा, मद्रास में टाउन पंचायत, मैसूर में नोटिफाइड एरिया और पंजाब में पंचायत समिति, उत्तर प्रदेश में अन्तरिम जिला परिषद् और क्षेत्रीय समिति का अमेंडमेंट इसी बिल में है । वैसे ही महाराष्ट्र स्टेट में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट लोकल बाडीज और जनपद सभा **इन रूरल एरियाज** के बदले यहां सिर्फ जिला परिषद् को ही लोकल बाडी माना गया है । मेरा सुझाव यह था कि जिला परिषद् और पंचायत समिति को जिस तरह से हर एक स्टेट में लोकल बाडी माना गया है वैसे ही महाराष्ट्र स्टेट में भी पंचायत समिति को लोकल बाडी माना जाना चाहिये । पंचायत समिति और जिला परिषद् यह दो नई बाडीज बनी हैं । इसके लिये महाराष्ट्र स्टेट में जो जिला परिषद् और पंचायत समिति एक्ट, १९६२ है उसके प्रिएम्बल को मैं पढ़ना चाहता हूं ।

> "ग्राम-क्षेत्रों में ज़िला परिषदों तथा पंचायत समितियों की स्थापना का उपबन्ध करने वाला अधिनियम "

इस से स्पष्ट है कि रूरल एरियाज में जिला परिषद् और पंचायत समिति बनाने के लिए यह एक्ट बना है । बल्कि स्टेटमेंट आफ आबजैक्ट्स एंड रीजन्स में कहा गया है :

> "महाराष्ट्र में पंचायत राज के उद्घाटन से ज़िला परिषदों ने जिला बोर्डों, जिला स्थानीय बोर्डों, आदि, का स्थान ले लिया है ।"

यह जो कहा गया है कि वह गलत है । ज़िला परिषद् और पंचायत समिति दो नई बाड़ीज़ बनी हैं और उन के फंक्शन्स अलग-अलग हैं । इस में जिला परिषद् के बारे में क्लाज़ ९ में दिया गया है :

> "प्रत्येक ज़िले के लिए एक जिला परिषद् होगी और इसके कृत्य तथा शक्तियां वही होंगी जो इस अधिनियम द्वारा दी जायेंगी ।"

वैसे ही पंचायत समितियों के कांस्टीट्यूशन के बारे में दिया गया है :

> "प्रत्येक खण्ड के लिए एक पंचायत समिति होगी और इसके कृत्य तथा शक्तियां वही होंगी जो इस अधिनियम द्वारा दी जायेंगी ।"

पंचायत समिति के लिए ब्लाक डेवेलपमेंट आफिसर सेक्रटरी बनाया गया है और जिला परिषद् के लिए सेपेरेट सी० ई० ओ० दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वैसे ही जिला परिषद् और पंचायत समिति के पावर्स और ड्यूटीज अलग अलग दी गयी हैं। सेक्शन १०० में जिला परिषद् की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दी गयी हैं और डिस्ट्रिक्ट लिस्ट अलग दी गयी है और डिस्ट्रिक्ट सबजेक्टस का एक अलग शिड्यूल दिया गया है । वैसे ही पंचायत समिति के लिये उनकी पावर्स और ड्यूडटीज सेक्शन १०१ में अलग दी गयी हैं और उनके लिए एक अलग लिस्ट बनायी गयी है और एक शिड्यूल भी उनके लिए अलग बनाया गया है । पहला शिड्यूल जिला परिषद् के लिए है और उसके बाद सैकिंड शिड्यूल पेज १०६ पर है जिसमें पंचायत समिति के सबजेक्ट आदि दिए गए हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये दो बाडीज नई बनी हैं और उनके फंक्शंस और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स अलग-अलग हैं।

और दूसरी महत्व की बात यह है कि जो पहले जनपद सभा थी वह तहसील में थी और आज उसकी जगह जिला परिषद् के काउंसिलर्स को मतदान का अधिकार देना और पंचायत समिति के मेम्बरों को मतदान का अधिकार न देना, इससे बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा।

जिला परिषद् के जो काउंसिलर हैं उनके बारे में सेक्शन ९ में प्रावीजन है। उस में कहा गया है :

"प्रत्येक पैंतीस हज़ार की जनसंख्या के लिये जहां तक व्यवहार्य हो एक परिषद् होगा"

यानी ३५००० पापुलेशन के लिये एक काउंसिलर चुना जाता है और जिला परिषद् के कम से कम ४० और ज्यादा से ज्यादा ६० काउंसिलर रहते हैं। म्युनिसिपैलिटी को जो कि १०००० की पापुलेशन पर होती है रिप्रेजेंटेशन दिया गया है । उत्तर प्रदेश के बारे में एक सुझाव है कि :

> "मद्रास पंचायत अधिनियम के अधीन अधिसूचित एक नगर पंचायत . . . जिसकी जनसंख्या ५००० से कम न हो और जिसकी वार्षिक आय १०,००० रु० से कम न हो "

यानी ५००० जनसंख्या के लोकल बाडी को रिप्रेजन्टेशन देने का सुझाव है । लेकिन महाराष्ट्र में जो पंचायत समिति है वह ६०,००० पापुलेशन के लिए बनी है और उसका बजट ३ करोड़ और पांच या ६ लाख का होता है उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। यह पंचायत नई बाडी बनी है । तो मेरा सुझाव है कि जनपद सभा, डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्थान पर जिला परिषद् इनक्लूडिंग पंचायत परिषद् ऐसा होना चाहिये । ऐसा नहीं किया गया तो बहुत से देहाती लोगों का अधिकार मारा जाएगा । इसलिए मेरा सुझाव है कि जैसा आप अन्य राज्यों के लिए कर रहे हैं वैसा ही महाराष्ट्र के लिए भी करना चाहिए। मैं यह तो नहीं कहता कि यहां पर जो इनफारमेशन सरकार के पास आयी है वह गलत है, लेकिन मैं समझता हूं कि वह करेक्ट नहीं है। मेरा ख्याल है कि महाराष्ट्र की सरकार ने जिला परिषद् इनक्लूडिंग पंचायत समिति का प्रोपोज़ल दिया है । मैं दो चार दिन पहले गया था और महाराष्ट्र के ला मिनिस्टर और सेक्रटरी से मिला था । उन्होंने मुझे बताया कि महाराष्ट्र के लिए जिला परिषद् और पंचायत समिति ये दो नई बाडीज हैं और उनको प्रतिनिधित्व निलने के बारे में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है । मैं आप के द्वारा मिनिस्टर इन चार्ज को रिक्वेस्ट करूंगा कि वह इस बात पर गौर करें और जो सही बात है उसे करें। और सारे अन्य राज्यों में जैसा किया जा रहा है उसी तरह महाराष्ट्र में भी पंचायत समितियां को प्रतिनिधित्व दिया जाए ।

†**श्री हेड़ा** (निज़ामाबाद) : इस विधेयक द्वारा एक अनियमितता हट गई है। अब तक विधान परिषदों के निर्वाचन में ग्राम-क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का हाथ नहीं थी । इस विधेयक द्वारा उन्हें नगर-क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के समान लाया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेड़ा]

एक प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जिसकी चर्चा श्री सिंहासन सिंह कर रहे थे। वह यह है कि उत्तर प्रदेश विधान-सभा परिषद् के निर्वाचन में जिला बोर्ड, ज़िला परिषदें तथा क्षेत्रीय समितियां भाग लेती हैं। जिला परिषद् तथा क्षेत्रीय समितियां एक ही क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए जिला परिषदों को बाहर रखना अधिक उचित रहेगा ।

एक व्यापक विधेयक लाने की चर्चा श्री विद्यालंकार ने की, परन्तु यह कार्य राज्य सरकारों का है न कि केन्द्रीय सरकार का। केन्द्रीय सरकार केवल यह बतायेगी कि चाहे गये सुधारों या परिवर्तनों को कैसे कार्यान्वित करना है। उत्तर प्रदेश में हमने लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण के लिए आगे पग उठाये हैं। आंध्र प्रदेश में भी एसे पग उठाये जा सकते थे परन्तु इसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है ।

मेरा सुझाव है कि यह वाद-विवाद तथा सभा की इच्छायें राज्य सरकारों को परिचालित कर दी जायें ताकि अगर उनकी निर्वाचन प्रक्रियाओं में कोई त्रुटियां हों तो वह उन पर विचार कर सकें। फिर जो सुझाव हमारे समक्ष लाय जायें हम उन पर कार्यवाही करेंगे और विधेयक लायेंगे ।

†**श्री मलाइछामी** (पेरियाकुलम) : उत्तर सदन का निर्वाचक वर्ग, नगर पंचायतों, नगरपालिकाओं, पंचायत संघ परिषदों तथा ग्राम पंचायतों से घटित होता है। चौथी अनुसूची में केरल पंचायत संघ परिषदों का उल्लेख है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मेरा संशोधन मान लिया जाय जिससे "ग्राम ठचायतों द्वारा गठित पंचायत संघ परिषदें " शब्द आ जायेंगे । उत्तर सदन के निर्वाचन में ग्राम पंचायतों को भी अवसर मिलना चाहिए ।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि मेरा संशोधन मान लिया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री यशपाल सिंह ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल की ताइद करता हूं लेकिन इस के साथ ही दो चार, सुझाव रखना चाहता हूं । हमारा काम यह नहीं है कि जो कुछ किसी स्टेट असेम्बली ने पास करके भेज दिया उसको ज्यों का त्यों मान लें क्योंकि हम अपना डिस्क्रेशन भी रखते हैं और हमारे लरनेड ला मिनिस्टर साहब भी इस मामले में दख्ल दे सकते हैं। उन से मेरी दरख्वास्त है कि वे अपने डिस्क्रेशन से काम लें । यू० पी० असेम्बली ने जो यह पास किया है कि कोई भी उसका लेजिस्लेटर जिला परिषद् के लिए खड़ा नहीं हो सकता यह अनकांस्टीट्यूशनल है । ऐसा होने से इक्वल अपौर चुनिटी देने का जो हम ने सबको वायदा किया है उसे हम फुलफिल नहीं कर सकते। जब मैंने यू० पी० असेम्बली ने जो पास किया है, उस को देखा और पढा कि तो उस के मुताबिक़ तो कोई भी असेम्बली का मैम्बर, कौंसिल का मेम्बर या पार्लियामेंट का मेम्बर चेअरमैन शिप के लिये खड़ा नहीं हो सकेगा । मेरे ख्याल से यह चीज़ अनकौंस्टीटयूशनल है। मैं आप के द्वारा अपने ला मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वे अपने डिस्क्रिशन को इस्तेमाल करें और इस बात की सिफ़ारिश करें कि उसे इस से डिबार न किया जाय । आखिर एम० एल० ए० या एम० पी० ने क्या जुर्म कर दिया है कि वह किसी पद के लिए खड़ा न हो सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरे जो पंचायत एक्ट है उस में न्यायाधीस जिसे कहते हैं, अदालत का सरपंच जिसे कहते हैं, वह वोट से बनाया जाय । आपके द्वारा मेरा आग्रह यह है कि मुसिफ़ को कभी वोट से नहीं बनाना चाहिए। जिसके हाथ में हमने इंसाफ़ करने का हक़ दिया हो, अदल का जिसे हम ने मुस्तहक़ बनाया हो उस शख्श को वोट से नहीं बनाना चाहिए। दुनिया में जों का एपायन्टमेंट होता है, इलेक्शन नहीं होता है। यह नैचुरल है कि जिस के वोट से वह न्यायाधीश बनेगा, जिस के वोट से वह मुंसिफ़ और जज़ करार दिया जायगा उसकी वह हमेशा कुछ न कुछ थोड़ी बहुत तरफदारी करेगा। यह हियुमन नेचर है। इसलिए किसी भी न्याय पंचायत का सरपंच और किसी भी जूडिशल कोर्ट का इंचार्ज वोट से नहीं बनना चाहिए बल्कि वह एपायन्टमेंट से और काबलियत से बनाना चाहिए।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : स्पीकर का क्या होगा ?

श्री यशपाल सिंह : स्पीकर तो इलैक्ट हो जाने के बाद नो पार्टी मैन हो जाता है।

इस तरह से अपर चैम्बर और लोअर चेम्बर के लिए भी इलेक्शन रख कर उसको मंहगा कर कर रहे हैं और हमें इसे बंद करना पड़ेगा। ग़रीब आदमी इस इलेक्शन को नहीं लड़ सकेगा। जिस हिन्दुस्तान में एक आदमी की औसत आमदनी ८५ रुपये हो उस देश में इस अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर को बनाना और इलेक्शन को और ज्यादा मंहगे करते जाना यह हमारी डेमोक्रेसी को सूट नहीं करता है। जब मैंने देखा और पढ़ा कि २५००० रुपये तक एक एम० पी० खर्च माहवार करता है तो ताज्जुब हुआ । अब मेरे जैसा ग़रीब आदमी २५०० रुपया भी खर्च नहीं कर सकता। जिस देश के प्रति व्यक्ति की औसत आय ८५ रुपये सालाना हो उस देश के लोग एम० पी० के लिये एलेक्शन में २५००० रुपया खर्च करे यह अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आज अपर चैम्बर और लोअर चेम्बर अलग अलग कायम न किये जांय । ख़ाली एक ही चैम्बर रहना चाहिये ।

ज़िला परिषद् के चेअरमैन के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वह क्वालिफाइड़ हों । यू० पी० में मैं ऐसे चेअरमैन से जिला परिषदों को जानता हूं जो कि दर्जा ४ पास हैं ; अपर प्राइमरी पास हैं या लोअर प्राइमर पास हैं और वह ऐसे प्रिंसिपल्स और हैडमास्टर्स के लिए इंस्पैक्शन नोट लिखते हैं जो कि एम० ए० एल० टी० हैं। ऐसे क्वालिफाइड लोगों के लिये दर्जा ४ और ५ पास वाला इंस्पैकशन नोट लिखे यह बड़ा अनर्थकारी है।

"अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रम :"। जिस जगह ऐसा होता है कि अनपढ़ आदमी एम० ए० एल० टी० का इंस्पैक्शन लिखता है उस जगह अनर्थ हो जाता है । इसलिए जो चेअरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है वह क़ानूनन क्वालिफाइड़ होना चाहिए या फिर उस से यह हक़ छीन लिया जाये कि वह प्रिंसिपल या हैडमास्टर का जाकर मुआयना लिखे । ऐसा होना इस डेमोक्रेसी का अभिशाप है और इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि दूसरा अनर्थ नहीं हो सकता है। ऐसी जगह पर नेचुरली एक पढ़े लिखे आदमी को रखना चाहिये ।

"हज़ारों साल नर्गिस अपनी बेनूरी परोता पै रोती है,
बड़ी मश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा ।"

जहां अनपढ़ आदमी पढ़े लिखों का मुआयना लिखता है वह समाज बैठ जाया करता है और वह समाज पनप नहीं पाता है। ज़रूरत इस बात की है कि कैरेक्टर और काबलियत को ऊंचा उठाया जाय और इस से बढ़कर और कोई चीज़ न समझी जाय। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप के द्वारा मंत्री महोदय से आग्रह है कि वह इन सुझावों के ऊपर रोशनी डालें ।

†**डा० सरोजिनी महिषी** (धारवाड़–उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का लक्ष्य कुछ राज्यों के पंचायत अधिनियमों द्वारा लाये गये परिवर्तनों को औपचारिक रूप से स्वीकृति देना है परन्तु केवल तीन ही राज्यों की ओर निर्देश किया गया है । यह विधेयक अधिक व्यापक होता यदि सभी राज्यों को इसकी सीमा में लाया जाता ।

हम देखते हैं कि विभिन्न राज्य इन जनतंत्रात्मक निकायों के लिये भिन्न-भिन्न नामों का प्रयोग कर रहे हैं जैसे "तालुक विकास बोर्ड" "तहसील विकास बोर्ड," तहसील अभिवद्धि मण्डल, आदि । अधिक अच्छा होता यदि इन के नामों में एकरूपता होती । इस से किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होगी ।

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि जिला परिषद् में सभी जनतंत्रात्मक संघटनो सम्मिलित हैं । अधिक अच्छा होगा यदि इसे और स्पष्ट कर दिया जाय ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : मैं विधि मंत्री द्वारा लाये गये संशोधनों का स्वागत करता हूं । परन्तु मैं सुझाव दूंगा कि एक अधिक व्यापक संशोधन लाया जाय क्योंकि इस अधिनियम में हम बहुत सी त्रुटियां पाते हैं ।

विशेषतया मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसा संशोधन कारी विधेयक क्यों नहीं लाई जिस से उपचनाव और उपचुनावों सम्बन्धी याचिकायें रखी जायें क्योंकि जब हम उपचुनाव नहीं करना चाहते तो उन याचिकाओं पर कार्यवाही करने का क्या लाभ है । जब तक आप उपचुनाव नहीं करना चाहते तब तक उन याचिकाओं पर कार्यवाही को रोक देने का उपबन्ध होना चाहिए ।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : मैं प्रस्तुत विधेयक में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाता परन्तु मैं एक या दो विचार व्यक्त करना चाहता हूं । अंग्रेजों के शासन-काल में सारे देश में केन्द्र द्वारा निर्धारित नीति का पालन किया जाता था । आज राज्यों को किसी प्रकार की नवीनता लाने या परिवर्तन करने की स्वतंत्रता है जिसका फल यह है कि नित-प्रति -दिन परिवर्तन होते रहते हैं ।

उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश को लीजिये । इसके कछ भाग अब बम्बई में चले गये हैं । वहां अब पुराने जिला बोर्ड नहीं हैं । श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने जनपद संस्थायें चलाईं । वह जिले के वजाये तालुक को सार्वजनिक राय का केन्द्र बनाना चाहते थे । उनके पश्चात् एक और तरह का शासन आ गया जिसके अनुसार जिले को सार्वजनिक राय का केन्द्र होना चाहिए । इसलिए मैं चाहता हूं कि हमें संस्थाओं को भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विचारानुसार चलाने की बजाय एक केन्द्रीय अधिनियम के अनुसार चलाना चाहिए ।

हम यह आशा करते हैं कि वर्तमान विधि मंत्री एक व्यापक विधेयक लायेंगे सांविधानिक मामलों के विषय में जिसको समस्त देश में लागू किया जाय ताकि बार बार संशोधन न लाने पड़ें ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री कुं० कृ० वर्मा (सुल्तानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय जो विधेयक माननीय सदन के सामने प्रस्तुत है, और उसका जो थोड़ा सा विरोध किया गया है, वह क्यों किया गया है, मेरी समझ में तो आया नहीं है । जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, वहां पर सब

---

†मूल अंग्रेजी में

से छोटा यूनिट गांव सभा है, विलेज के स्तर पर। उस में एक सभापति चुना जाता है और वह अपने पद के लिहाज से क्षेत्रीय समिति का सदस्य हो जाता है । क्षेत्रीय समिति से दो सदस्य जिला परिषद् के लिये चुने जाते हैं। जो इसका वहां वर्तमान संविधान है उसको देखा जाए तो मालूम होगा कि केवल मात्र क्षेत्रीय समिति के सदस्य ही डायरेक्टली चुन कर आते हैं। जहां तक जिला परिषद् का सम्बन्ध है, उसके जो सदस्य होते हैं, वे इन्डायरेक्टली चुन कर अधिकांशतः आते हैं। जो सभापति क्षेत्रीय समिति में आया वह उसके बाद जिला परिषद् के लिए चुना गया और यह एक इंडायरेक्ट इलैक्शन हुआ । जिला परिषद् के जो सदस्य होते हैं, उन में से अधिकांश लोग इंडायरेक्ट के बाद फिर एक इंडायरेक्ट चुनाव के जरिये से आते हैं। पहले पहल जब लोकल आथोरिटीज के कांस्टीट्यून्शर्स की हमारे देश में स्थापना की गई, उस वक्त जो लोग डायरेक्टली चुन कर उन लोकल बाड़ीज में आते थे, वे ही काउंसिल के लिये खड़े होने वाले को वोट देते थे। यहां तक तो जनतंत्र था । लेकिन हम लोगों का जो मंशा है, जो एक प्रगतिशील देश का या जो देश डेमोक्रेसी का विस्तार करना चाहता है, वह यही हो सकता है कि जो लोग सीधे चुन कर आते हैं, वे ही जो इलैकशंन होते हैं, उन में भाग लें लेकिन जब एक बार ही नहीं बल्कि दो तीन बार इंडायरेक्ट इलैकशन होते हैं, तो वह चीज उस डेमोक्रेसी के लिए जो बड़ी तेजी से डिवेलेप करती रही है, गैर मुनासिब होती है, उस के लिए एक रेट्रोग्रेड स्टैप होता है। जो कि इंडायरेक्टली इलैक्ट हो कर आवें, उनका वोट पड़े अपर हाउस के मैम्बर के लिए, यह मुनासिब नहीं है । अगर यह सजैशन किया गया होता कि जिला परिषदें जो हैं, वे अपर हाउस के मैम्बर के लिए कांस्टिट्युएंसी न हों और उनके सदस्य वोट न दें बल्कि केवल क्षेत्रीय समिति के सदस्य वोट दें, तब तो बात समझ में आ सकती थी और अगर उस तरह का एमेंडमेंट लाया गया होता तो मैं समझ सकता था कि एक डिवेलपिंग डेमोक्रेसी के लिहाज से वह एक अच्छा स्टेप है लेकिन इसके विपरीत यह कहना कि क्षेत्रीय समिति को जो इस में इनक्लूयड किया जा रहा है, वह न किया जाए जो हमारा प्राथमिक उद्देश्य हैं उसके ही खिलाफ जाता है । क्षेत्रीय समितियां जनरल पब्लिक से डायरेक्टली इन टच होती है और उनका जो फंडेमेंटल राइट वोट देने का है, उस को इस तरह से घटा देना मुनासिब नहीं है। वे पब्लिक के और देश के डायरेक्ट टच में आते हैं। इस वास्ते कम से कम इस सुझाव का तो मैं विरोध करता हूं कि क्षेत्रीय समितियों को शामिल न किया जाए और ला मिनिस्टर साहब से प्रार्थना चाहता हूं कि वह अगर मुनासिब समझें तो जिला परिषदों के मम्बरों का जो वोट इसके लिए पड़ेगा, उसको अलबत्ता निकाल सकते हैं, तो निकाल दें ।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मौजूदा व्यवस्था का प्रश्न है, उसके अन्तर्गत जो यह संशोधन विधेयक लाया गया है , इसका मैं स्वागत करता हूं। इसका कारण यह है कि मतदाताओं की संख्या जितनी ज्यादा बढ़े, जितनी ज्यादा बड़ी पंचायत हो जाए, उसका स्वागत ही होना चाहिये ।

जहां तक उसके उद्देश्यों का सम्बन्ध है, और उसकी अंतिम व्यवस्था का प्रश्न है , मैं इस विधेयक से सहमत नहीं हूं। मैं निवेदन करूंगा कि विधि मंत्री महोदय से कि वे इस पर विचार करे और सोचें कि हम एक एक सी व्यवस्था सारे देश में कैसे रख सकते हैं। सदन जानता है कि समस्त देश में सभी राज्यों में विधान परिषदें नहीं हैं और मैं चाहूंगा कि न हों तो यह तो नहीं कह सकता कि उस की व्यवस्था की जाय, बल्कि मैं कहूंगा कि जिन राज्यों में नहीं हैं वहां अच्छा है और जहां है वहां से भी यह व्यवस्था हटा दी जाय क्योंकि हम संकटकालीन अवस्था में से गुजर रहे हैं। जब हम संकटकालीन स्थिति में से गुजर रहे हों तो आवश्यक है कि यहां पर इस प्रकार के विधेयक लाये जायें जिनसे राज्यों में दो सदनों की व्यवस्था है वहां से उसे समाप्त किया जाय, न कि उसमें और वृद्धि करें ।

विधान परिषद् में जो मतदाता हैं, जहां तक स्थानीय इकाइयों के प्रतिनिधियों का सवाल है, उसमें आप जो क्षेत्रीय परिषद् जोड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वह अच्छा है, लेकिन इस समय तेजी या उतावलेपन में हम इस विधेयक को पास करें यह ठीक नहीं है । समझ में नहीं आता कि जब हम संकटकालीन स्थिति में से गुजर रहे हों तब ऐसी व्यवस्था लाई जाय जिस से सीधे चुनाव समाप्त कर दिये जायें जनता में और अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं । यहां जिस दल के मातहत हम ने सीधे चुनाव बन्द किये हैं उसमें राजनीतिज्ञों का विरोध चलेगा। वही राजनीति और विरोध की बात अप्रत्यक्ष चुनावों में भी आती है और वह आकर रहेगी, और जब ऐसा होता है तो हम क्यों यह तेजी और उतावलापन कर रहे हैं? अच्छा होता कि जन प्रतिनिधित्व कानून में कुछ बुनियादी परिवर्तन किया जाता, जैसे कि इस में खर्च की व्यवस्था है, और भी व्यवस्थायें हैं, जो कि असफल हो चुकी हैं। उनके लिये विधेयक आता तो उचित होता ।

मैं चाहता हूं कि जब तक यह मौजूदा व्यवस्था बनी रहती है, विधान परिषदें रहती हैं, तब तक उन के मतदाताओं की सूची को जितना ही विस्तृत करने पर जोर दिया जा सके उतना दिया जाये। लेकिन मेरा अपना निवेदन यह है कि इस व्यवस्था को समाप्त किया जाये और एक ही सदन वाली व्यवस्था सब जगह हो । इससे हमारे खर्चे में भारी कमी होगी । और इस संकटकालीन स्थिति में तो हमको इसकी और भी ज्यादा जरूरत है। वास्तव में जो अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं वह जनतन्त्र को मजबूत नहीं करते हैं। आज इस देश में हर जगह पर प्रत्यक्ष चुनाव कराये जायें और अप्रत्यक्ष चुनाव हटाया जाय क्योंकि उससे भ्रष्टाचार बढ़ता है और अन्ततोगत्वा सत्तारूढ़ दल के लिये वह होता है। मैं निवेदन करूंगा कि सत्तारूढ़ दल ने अपने मन में कितना ही अच्छा नक्शा बना रक्खा हो कि वह हमेशा गद्दी पर बना रहेगा लेकिन वह शायद संभव नहीं होगा। किसी न किसी दिन तो उन्हें वहां से हटना ही पड़ेगा । और जब उसको हटना पड़ेगा तो उस को जनतंत्र के लिये ऐसे नियम और कायदे कानून नहीं बनाने चाहियें जिनसे जनतंत्र को कुठाराघात लगे और अप्रत्यक्ष चुनाव की परम्परा मजबूत हो । अप्रत्यक्ष चुनाव की तरफ से उसका ध्यान हटना चाहिये क्योंकि उस से जन तंत्र में कमजोरी आयेगी। मैं उस से निवेदन करता हूं कि वह इस प्रकार का विधेयक यहां न लाये ।

†**श्री जसवन्त मेहता :** क्या माननीय विधि मंत्री छावनी बोर्डों के गठन के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे ?

†**श्री अ० कु० सेन :** उनका प्रशासन केन्द्रीय अधिनियमों के अधीन होता है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** (होशंगाबाद) : इस संबंध में प्रतिरक्षा मंत्री ने अगस्त के सत्र में बताया था कि इस संबंध में दो समितियों के प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने सिफारिश की है कि सारे भारत में छावनी बोर्डों का गठन एकरूपता के आधार पर किया जायेगा तथा उसमें नामजद तथा निर्वाचित सदस्यों की संख्या बराबर रहेगी । तथापि सरकार ने अभी तक छावनी बोर्डों को लोकतंत्रात्मक ढांचा प्रदान नहीं किया है । मैं चाहता हूं कि इस विधेयक में छावनी बोर्डों को न लिया जाये ।

†**श्री अ० कु० सेन :** वस्तुतः कई ऐसे प्रश्न स्पष्टीकरण के रूप में उठाये जा रहे हैं जो मेरे विचार से संशोधक विधेयक के दायरे से बाहर हैं। विधान परिषदें होनी चाहियें अथवा

---

†मूल अंग्रेजी में

नहीं, उनकी क्या उपयोगिता है इत्यादि बातें इस संशोधक विधेयक से सीधा संबंध नहीं रखती हैं। तथापि मैं यह कह सकता हूं कि विधान परिषदों के निर्वाचनों में विधान सभाओं के निर्वाचन की अपेक्षा बहुत कम व्यय होता है ।

एक तो माननीय सदस्यों ने इन उपबन्धों के दुरुपयोग के बारे में कहा है । मेरे विचार से इस आधार पर परिषदों को समाप्त नहीं किया जा सकता है । यदि बुराइयां हैं तो हमें उन्हें दूर करना चाहिये ।

इस विधेयक का अभिप्राय केवल इतना ही है कि पिछले अधिनियम बनने के बाद से जो प्राधिकारी अस्तित्व में आये हैं उन्हें भी शामिल किया जाये । इनकी संख्या कितनी होनी चाहिये इस पर विचार किया जा सकता है । इस संबंध में हम मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिशों के अनुसार कार्य करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर कुछ निश्चित परिणामों पर पहुंचते हैं क्योंकि हम इस संबंध में स्वयं कुछ निर्णय नहीं कर सकते हैं।

जहां तक इस रूपरेखा की एकता का सम्बन्ध है संविधान के अनुसार, विभिन्न परिषदों में एक तिहाई स्थानीय अधिकारियों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा । किन स्थानीय अधिकारियों को प्रतिनिधित्व दिया जाये इसका निश्चय हम स्वयं नहीं करते हैं। हम राज्य सरकारों और मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिशों के आधार पर इस संबंध में निर्णय करते हैं। इसीलिये उस में नगर पालिकाओं, छावनी बोर्डों, जिला परिषदों तथा नगर समितियों को स्थान दिया गया है। यदि इस संबंध में कुछ त्रुटियां ज्ञात होंगी तो उनका उपचार किया जायेगा ।

तथापि अभी तक इस अधिनियम का कार्य संतोषजनक रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में इस अधिनियम में किसी विशेष त्रुटि की शिकायत नहीं की है। यदि माननीय सदस्य कुछ विशेष त्रुटियों या अभावों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करेंगे तो मैं उनका आभारी रहूंगा । यदि विधान परिषदों के निर्वाचन की व्यवस्था के संबंध में वे कोई त्रुटि बता सकें तो मैं उन के सुझावों पर ध्यान दूंगा ।

यदि केवल उन्हीं उपबन्धों का हवाला दिया जाता जो त्रुटिपूर्ण सिद्ध हुए हों तो मैं आभारी रहूंगा । मेरे विचार से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्य की सारे विश्व में प्रसंशा हुई है । अतः इस की निन्दा करना हमारे हक में नहीं है । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे ऐसी व्यवस्था को जो सर्वोत्तम सिद्ध हुई है तथा जिसकी सारे विश्व में प्रसंशा हुई है उसकी निन्दा न करें । इस व्यवस्था का संचालन एक नितांत स्वतंत्र विभाग के द्वारा किया जाता है । हमें उसकी प्रतिष्ठा को आघात नहीं पहुंचाना चाहिये, क्योंकि हम इस आयोग को दलगत विवादों से पृथक एक निष्पक्ष संस्था के रूप में रखना चाहते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० कु० सेन : मैं प्रस्ताव करता हूं पृष्ठ १, —

पंक्ति ६ के पश्चात् निम्न शब्द रख दिये जायें—

"6 (a) under the heading "Andhra Pradesh" for the entries---

"5. Class I Panchayats, that is to say, Panchayats notified by the State Government in the Official Gazette as Panchayats which exercise jurisdiction over an area containing a population of not less than five thousand and whose income for the financial year immediately preceding the date of the notification was not less than ten thousand rupees.

6. Class II Panchayats which have been notified for the appointment of wholetime executive officers."

the following entry shall be substituted, namely :--

"5. Panchayat Samithis." ;

(b) under the heading "Bihar", after the entry "4. Notified Area Committees", the following entries shall be inserted, namely:--

"5. Zila Parishads.

6. Panchayat Samitis. ;"

[(क) 'आंध्र प्रदेश' शीर्षक के नीचे निम्न पूर्तियों के स्थान पर :

"५. प्रथम श्रेणी की पंचायतें, अर्थात् राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचित पंचायतें जिनका क्षेत्राधिकार का क्षेत्र ५००० की जनसंख्या से कम का नहीं है तथा जिनकी आय इस अधिसूचना के प्रकाशन के तत्काल पूर्व के वित्तीय वर्ष में १० हजार रुपये से कम नहीं है ।

६. द्वितीय श्रेणी की पंचायतें, जिनको पूरे समय काम करने वाले कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति के लिये अधिसूचित किया गया है "

निम्न लिखित पूर्तियां रख दी जायें, यथा :—

(१) "पंचायत समितियां" ;

(ख) 'विहार' शीर्षक के अधीन "४ अधिसूचित क्षेत्र समितियां" पूर्ति के पश्चात् निम्नलिखित पूर्तियां रख दी जायें, यथा—

"५ जिला परिषदें

६ पंचायत समितियां "] (१)

(२) पृष्ठ १, पंक्ति ७, —

"a" [क] के स्थान पर "c" [ग] रख दिया जाये । (२)

(३) पृष्ठ १, पंक्ति २०, —

"b" [ख] के स्थान पर "d" [घ] रख दिया जाये । (३)

(४) पृष्ठ २, पंक्ति ३, —

"c" [ग] के स्थान पर "e" [ङ] रख दिया जाये । (६)

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दे० शि० पाटिल** : मैं संशोधन संख्या ४ और ५ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री मलाई छामी** : मैं संशोधन संख्या ७ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री दे० शि० पाटिल** : मैं संशोधन संख्या ६ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री अ० क० सेन** : मैं उक्त संशोधनों में से किसी को भी स्वीकार नहीं कर सकता हुं ।

†**श्री मलाई छामी** : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

संशोधन संख्या ७ सभा की अनुमति से वापस लिया गया

†**श्री दे० शि० पाटिल** : मैं अपने संशोधन वापस लेता हूं ।

संशोधन संख्या ४, ५ और ६ सभा की अनुमति से वापिस लिये गये

†**उपाध्यक्ष महोदय** : पृष्ठ १, —

पंक्ति, ६ के **पश्चात्** निम्न **शब्द रख दिये** जायें—

"(a) under the heading "Andhra Pradesh", for the entries—

"5. Class I Panchayats, that is to say, Panchayats notified by the State Government in the Official Gazette as Panchayats which exercise jurisdiction over an area containing a population of not less than five thousand and whose income for the financial year immediately preceding the date of the notification was not less than ten thousand rupees.

6. Class II Panchayats which have been notified for the appointment of wholetime executive officers."

the following entry shall be substituted, namely:—

"5. Panchayat Samithis.";

(b) under the heading "Bihar", after the entry "4. Notified Area Committees", the following entries shall be inserted, namely:—

"5. Zila Parishads.

6. Panchayat Samitis.";"

(क) 'आंध्र प्रदेश' शीर्षक के नीचे निम्न पूर्तियों के स्थान पर :

"५. प्रथम श्रेणी की पंचायतें, अर्थात राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में, अधिसूचित पंचायतें जिनका क्षेत्राधिकार का क्षेत्र ५००० की जनसंख्या से कम का नहीं है तथा जिनकी आय इस अधिसूचना के प्रकाशन के तत्काल पूर्व के वित्तीय वर्ष में १० हजार रुपये से कम नहीं है ।

६. द्वितीय श्रेणी की पंचायतें, जिनको पूरे समय काम करने वाले कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति के लिये अधिसूचित किया गया है"

निम्न लिखित पूर्तियां रख दी जायें, यथा :—

"पंचायत समितियां" ;

(ख) 'बिहार' शीर्षक के अधीन "४ अधिसूचित क्षत्र समितियां" पूर्ति के पश्चात् निम्नलिखित पूर्तियां रख दी जायें, यथा —

"५ जिला परिषदें

६. पंचायत समितियां "] (१)

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) पृष्ठ १, पंक्ति ७, —

"*a*" [क] के स्थान पर "c" [ग] रख दिया जाये। (२)

(३) पृष्ठ १, पंक्ति २०, —

"*b*" [ख] के स्थान पर "b" [घ] रख दिया जाये। (३)

(४) पृष्ठ २, पंक्ति ३, —

"*c*" [ग] के स्थान पर "e" [ङ] रख दिया जाये। (६)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १

संशोधन किया गया

पृष्ठ १, पंक्ति ४ "1962" [१९६२] के स्थान पर "1963" [१९६३] रख दिया जाये। (८)

[श्री अ० कु० सेन]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि खंड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

अधिनियमन सूत्र, विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'विधयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।'

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन (संशोधन) विधेयक

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन अधिनियम १९६२ में संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित किये गए रूप में विचार किया जाये ।'

यह अधिनियम मार्च १९६२ में पारित किया गया था । इस अधिनियम के पारित होते ही कुछ लोगों ने इलाहाबाद के उच्चन्यायालय में लेख याचिका प्रस्तुत कर दी थी और कहा था कि यह अधिनियम इस आधार पर वैध नहीं है कि इस अधिनियम में समाज के सामान्य सदस्यों को बाहर रखा गया है तथा वे सम्मेलन के प्रथम सदस्य नहीं हो सकते हैं । इस प्रकार यह अधिनियम संस्थाओं की स्थापना के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उस समय सामान्य सदस्यों को न लिये जाने का कारण यह था कि उस समय कोई पूर्ण सूची नहीं थी और हमारा विचार था कि अधिनियम के लागू होने के बाद नये सदस्यों को प्रविष्ट किया जा सकता है ।

यह संशोधन सावधानी के विचार से रखा गया है तथा यह आशा की गयी है कि सामान्य सदस्यों के बारे में उपबंध रखते समय अधिनियम के लागू करने में और कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी ।

इस अवसर पर कुछ और भी संशोधन किये जा रहे हैं ।

ऐसा अनुभव किया गया है कि "कोरम" को ३ रखना बहुत कम होगा । अतः उसे ५ कर दिया गया । एक समर्थक उपबंध रखा जा रहा है ताकि काम को यथाशीघ्र खत्म करने तथा कृत्यों को निभाने के लिये हमें एक या दो और सदस्य नियुक्त करने पड़ें तथा उन्हें वेतन देना हो तो ऐसा किया जा सके । धारा ५ को भी संशोधित करने का विचार है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि "सोसाइटी" और "सम्मेलन" वास्तव में एक है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि सदस्यों की पूरी लिस्ट उपलब्ध हो गयी है अथवा केवल सावधानी के तौर पर ही यह अधिनियम रखा जा रहा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह अधिनियम सावधानी के तौर पर ही रखा जा रहा है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मैं आपका ध्यान विधेयक के खंड ४ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । इसमें वेतन तथा भत्ते देने का उपबंध किया गया है । अतः यह संभावना है कि इसके लिये सरकार से अधिक अनुदान लिया जायेगा । इस प्रकार यह धन विधेयक हो जाता है तथापि इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश संलग्न नहीं है । अतः इसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन भी होना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को अपना मत और अधिक स्पष्ट करना चाहिये । इस समय प्रश्न केवल संशोधन विधेयक का है । इस विधेयक में भारत की संचित निधि में से धन निकालने का कोई उपबंध नहीं है । अतः मेरे विचार से माननीय सदस्य द्वारा उठायी गई आपत्ति निराधार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैंने विधेयक को पुरस्थापित करते समय यह बात स्पष्ट रूप से कह दी थी कि सम्मेलन की परीक्षा शुल्क इत्यादि से आय होती है तथा इसमें कोई नियमित अनुदान लेने की व्यवस्था नहीं की गयी है। वह अपनी ही निधि में वेतन और भत्ता के लिये व्यय करेगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : तथापि सरकार भी उसे अनुदान देगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संविधान के अनुच्छेद ११० का कोई भाग इस पर लागू नहीं होता है। अतः आपकी आपत्ति निराधार है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): अध्यक्ष महोदय, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के बारे में बहुत दिनों से जो झगड़ा चला आ रहा था, मैं आशा करता हूं कि शायद इस बिल के पास होने के बाद वह कुछ खत्म हो। आज हिन्दी साहित्य सम्मेलन के बारे में जब इस सदन में भाषण होंगे, तो मेरी आंखों के सामने स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन की तस्वीर आ जायेगी। मैं समझता हूं कि इसी सम्मेलन के द्वारा इस देश में हिन्दी का प्रचार और विकास करने की जितनी कोशिश उन्होंने की थी, उतनी और किसी ने नहीं की। लेकिन मेरे विचार में कुछ इन्हीं झगड़ों के कारण इस सम्मेलन के द्वारा जो काम होना चाहिये था, वह शायद नहीं हुआ।

आज जब हम इस सदन में इस बिल के बारे में विचार कर रहे हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि देश में हिन्दी का जो प्रचार और प्रसार होना चाहिये था, शायद वह आज भी नहीं हुआ। उसके लिये कितनी कोशिश हो रही है, यह माननीय मंत्री जी मुझ से ज्यादा जानते हैं, लेकिन हिन्दी के हक में होने के नाते मैं समझता हूं कि जो भी कोशिश हो रही है, वह बहुत ही कम है।

यह एक मानी हुई बात है कि देश की कोई जुबान ऐसी हो, जिसको सब बोल सकें। इस सदन के कुछ माननीय सदस्य मुझे माफ करें, यदि मैं कहूं कि अगर हिन्दुस्तान की कोई एकमात्र जुबान हो सकती है, तो वह हिन्दी ही हो सकती है। इसलिये उसका विकास जितनी भी जल्दी हो, उतना ही अच्छा है। लेकिन हम देखते है कि आज जो कुछ भी कोशिशें हो रही हैं, वे सही दिशा में नहीं हैं। बहुत बार यह भी देखा गया कि अगर हिन्दी के बारे में हम ज्यादा कहते हैं, तो कुछ भाई यह कहते हैं कि ये हिन्दी इम्पीरियलिस्ट्स है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें हिन्दी इम्पीरियलिज्म का कोई सवाल नहीं है। सवाल तो ऐसी भाषा का है, जो कि आमफहम हो। जब उर्दू के बारे में भी इसी तरह का एतराज किया गया था, तो मैंने इस सदन में कहा था कि उर्दू एक लश्करी जुबान है। जिस वक्त देश में सब लोग एक ही जुबान बोलना चाहते थे और कोई ऐसी जुबान नहीं मिली, तो उर्दू जबान का जन्म हुआ।

मैं आशा करता हूं कि इस बहस में हिस्सा लेते हुये माननीय मेम्बरान इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, के द्वारा ही हिन्दी का पूरा विकास नहीं हो सकता, बल्कि देश में ऐसे बहुत से सम्मेलनों और ऐसी बहुत सी संस्थाओं की जरूरत होगी, जिनके द्वारा हिन्दी देश की वह जुबान बन सके, जो कि आमफहम हो और देश का तमाम राज-काज हिन्दी में चलाया जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसके स्टेटमेंट आफ आबजैक्ट्स एंड रीजेज में साफ बताया गया है कि इसको चैलेंज किया गया था। अगर यही एक कारण था जिस की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी थी, सम्मेलन ऐसी स्थिति में पहुंच चुका था कि उसके टूटने का डर पैदा हो गया था, तो उसको दूर कर दिया जाना चाहिये। लेकिन अगर कुछ और भी कारण थे, तो उनको भी दूर किया जाना चाहिये। आज भी मुझे ज्ञात हुआ है, और मुम्किन है कि यह चीज गलत हो, और अगर यह गलत है तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी कहें कि यह गलत है कि यही एक कारण नहीं था जिससे यह संस्था ठीक नहीं चल सकी या जिसकी वजह से वाद विवाद पैदा हो गया या मन-मुटाव पैदा हो गया बल्कि इसके और भी कई कारण थे। मैं जानना चाहता हूं कि उन कारणों को दूर करने के लिये सरकार की तरफ से क्या कोशिश हो रही है। लेकिन अगर यही एक कारण था तो मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि इसके पास होते ही उन चीजों को दूर कर दिया जायेगा जो आज बाधक बनी हुई हैं. . .

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कोना भी सदन का ही एक भाग है और इसलिये अध्यक्ष के अनुशासन के अधीन है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : श्रीमान् जी मुझे प्रसन्नता है कि यह कार्यवाही में शामिल कर लिया गया।

कुछ तरमीमें, अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मित्र श्री कामत ने पेश की है और मैं समझता हूं कि अगर उनको मान लिया जाये तो कोई बुरा नहीं होगा।

मेरे ख्याल में इस बिल में तकरीबन तकरीबन यही चीज है जो उनकी संशोधन संख्या ४ में हैं और लफ्जों का ही कुछ हेर फेर है। इस एमेंडमेंट को मानने में मेरे ख्याल में कोई बाधा नहीं होनी चाहिये।

उनका दूसरा संशोधन जो है, वह इस प्रकार से है :—

"पृष्ठ १, पंक्ति ४,—

"1962" (१९६२) के स्थान पर "1963" (१९६३) रखा जाये।

मेरे ख्याल में माननीय मंत्री जी का भी यही संशोधन है। उनका संशोधन नम्बर दो है, और इनका नम्बर ३ है। चूंकि इनका संशोधन नम्बर तीन है और माननीय मंत्री जी का नम्बर दो है, इस वास्ते कहीं ऐसा न हो कि इसको न माना जाये। हमें चाहिये कि हम अच्छी परम्पराओं की स्थापना करें। विरोधी सदस्यों की मार्फत जो संशोधन आ रहे है, उनको अगर मान लिया जाये तो यह एक अच्छी बात होगी।

अध्यक्ष महोदय : यह बात बाद में करने की है —जब क्लाज़िज़ पर बहस होगी।

श्री स० मो० बनर्जी : हो सकता है कि इसके बाद मुझे वक्त न मिले, इसलिये मैंने समझा कि अगर मैं अभी इसका जिक्र कर दूं तो अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक आपने नम्बर्ज का जिक्र किया है, जिस तरह से नोटिस आते हैं, उसके मुताबिक नम्बर किया जाता है। लेकिन इसका फैसला तो इसी वक्त नहीं लेना है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं फैसला अभी नहीं चाहता हूं। मैंने तो माननीय मंत्री जी से आपकी मार्फत कुछ निवेदन करना चाहा था।

मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह सही है कि देश के सामने एक संकट है, लेकिन फिर भी जो काम उन्होंने शुरू किया था हिन्दी के प्रसार का और जो पूरा नहीं हो रहा है, वह पूरा कैसे हो सकता है, इस पर विचार करें यह सही है कि यह संकट हमेशा नहीं बना रहे गा और इसमें जीत हमारी होगी और यह निश्चित भी है। आज हम जो नारा देश में लगाते हैं "जय हिन्द" का, वह भी हिन्दी भाषा में लगाते हैं। जिस भाषा में यह नारा लगाया जाता है उस भाषा के विकास में, उसके प्रसार में जितनी भी कोशिश की जाये कम है, और मैं समझता हुं कि इस काम में सहयोग देना इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य का फर्ज है। माननीय मंत्री जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि वह हम लोगों को इशारा दें इसके बारे में कि हिन्दी आखिर कहां तक पहुंची है, क्या वह उस मंजिल पर पहुंच चुकी है, जिस पर उसे पहुंचना चाहिये था और अगर नहीं पहुंची है, तो क्यों नहीं पहुंची है और इसके लिये कौन जिम्मेदार है, किसका कसूर है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय स्वाधीनता प्राप्ति के इतिहास में जिन संगठनों का विशेष योग रहा है, उनमें हिन्दी साहित्य सम्मेलन का भी एक प्रमुख स्थान है। कोई भी राष्ट्र स्वतंत्र होने के साथ ही जिस भाषा में अपने राज्य की प्रगति के स्वप्न लेता है, वह भाषा कौन हो यह निर्णय लेने की स्थिति जब हमारे सम्मुख थी, तो उस समय हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने आंदोलनात्मक रूप में बहुत बड़ा योग दिया था। स्वतंत्रता के पश्चात् जब देश में एक राज भाषा के प्रश्न का निर्णय हो चुका और यह मान लिया गया कि पन्द्रह वर्ष के पश्चात् हिन्दी इस देश की राज भाषा बनेगी तो हिन्दी साहित्य सम्मेलन का आंदोलनात्मक रूप से दूसरा अध्याय रचनात्मक कार्य का आया। लेकिन हमारा यह दुर्भाग्य था कि कुछ ऐसे लोगों के हाथों में यह गौरवपूर्ण संस्था चली गई जिससे हिन्दी साहित्य सम्मेलन अपने अपेक्षित उद्देश्य तक न पहुंच सका। भारतीय संसद ने इसको राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर जो एक महत्बपूर्ण और गौरबपूर्ण निश्चय किया, उसका उस समय भी मैंने स्वागत किया था और उस विधेयक में जो थोड़ी त्रुटियां रह गईं, उनको जो आप अब संशोधन करके दूर करने जा रहे हैं, उसके लिये भी मैं सरकार के निर्णय की सराहना करता हूं।

परन्तु इसके साथ ही साथ एक दो बातें जो मैंने उस समय भी कहीं थी आज फिर आवश्यक रूप से कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व की संस्था आपने घोषित किया है और उसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये ही फिर दुबारा भी आपने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है, इससे तो कहीं ऐसा न हो कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन का जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अपना एक क्रम रहा है, इस विधेयक के पास होने के पश्चात् वह बदल जाये और वह एक दासी संस्था के रूप में बन कर रह जाये। यह बहुत बड़ी आशंका है। जो न केवल मेरे अपितु देश के हर व्यक्ति के मस्तिष्क में है। मैं चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री महोदय इस विधेयक को स्वीकार करने के पश्चात् इसका जो व्यावहारिक रूप होगा उसमें भी बराबर इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसा न हो पाये।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन जनसाधारण की संस्था बनी रहे, कुछ व्यक्ति विशेषों की ही संस्था न बनी रहे, या फिर यों कहिये कुछ व्यक्ति विशेषों का ही अधिकार इस पर न रहे। जहां इस बात की आवश्यकता रहे वहां जैसा मैंने पहले कहा है कुछ रचनात्मक कार्य करने की ओर भी अब विशेष पग उठाने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि देश में जो यह शिकायत बार बार सुनने में आती है कि हिन्दी में विज्ञान का साहित्य नहीं है, या—हिन्दी में टैक्नोलोजी का साहित्य नहीं है—यह शिकायत सुनने में न आये इसके लिये सम्मेलन इस दिशा में बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। हिन्दी साहित्य

सम्मेलन के मार्ग में जो रुकावटें थीं, वे तो इस विधेयक के पास होने के बाद लगभग अब दूर हो जाती हैं। अब यह बहाना भी हिन्दी साहित्य सम्मेलन के पास नहीं रहेगा। जो कार्य दूसरी संस्थायें कर रही हैं, वह कार्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन को तो अपने पुराने इतिहास को सामने रखते हुये और उसी अच्छे रूप में करना चाहिये।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन का आरम्भ से हिन्दी की परीक्षाओं का क्रम भी एक चलता है और उन परीक्षाओं से हिन्दी के प्रचार में बहुत बड़ा बल मिला है। लेकिन दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार सभा, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा इत्यादि हिन्दी साहित्य सम्मेलन के बाद की बनी हुई संस्थायें हैं, उन्होंने हिन्दी के प्रचार में जितना बड़ा योग दिया है, उसके लिये जितनी उन संस्थाओं की सराहना की जाए थोड़ी होगी लेकिन उसके साथ ही साथ हिन्दी साहित्य सम्मेलन को भी कुछ थोड़ा इस संबंध में आत्म-निरीक्षण करना होगा क्योंकि जो कार्य पहले उसका था, कहीं वह अपने प्रमुख उद्देश्य से भटक तो नहीं गया। जिससे और दूसरी संस्थायें उससे आगे बढ़ गयीं। मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक के पारित होने के बाद शिक्षा मंत्री महोदय साहित्य सम्मेलन के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार का भी निर्देश देंगे कि वे इस दिशा में थोड़ा गंभीरता से सोचें और हिन्दी को सरल और व्यापक रूप देने में भी कार्य करें।

कल ही हमारे राष्ट्रपति जी ने कलकत्ता में हिन्दी शिक्षा प्रसार समिति का दीक्षान्त भाषण देते हुए कहा है कि हिन्दी न केवल हमारे देश में ही व्यापक होती जा रही है, अपितु विदेशों में भी हिन्दी को बड़ी तेजी के साथ सीखा जा रहा है। मेरा अपना विश्वास है कि राष्ट्रपति जी का यह कथन कि विदेशों में हिन्दी को बड़ी रुचि के साथ सीखा जा रहा है, यह तो बहुत सच है लेकिन अपने देश की स्थिति के संबंध में वह ठीक नहीं है। इसके लिये हमने पन्द्रह वर्ष की अवधि निर्धारित की थी और कहा था कि इस अवधि के पश्चात् निश्चित उद्देश्य तक वह पहुंच जायेगी। लेकिन अभी इस अधिवेशन में न सही अगले अधिवेशन में एक ऐसा विधेयक विचार के लिये प्रस्तुत होने जा रहा है जिसमें अंग्रेजी को सहभाषा के रूप में जारी रखने की व्यवस्था की जाने वाली है। वह विधेयक इस संकटकालीन स्थिति में बड़ा विवादास्पद रूप धारण करेगा। मैं ने तो माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन किया था और मैं चाहता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री महोदय भी गृह मंत्री जी तक हमारी इस आवाज को पहुंचा दें कि जब तक संकटकालीन स्थिति है, तब तक उस विधेयक को पेश न करें। १९६५ के आने में अभी दो वर्ष और बाकी हैं। इस वास्ते संकटकालीन स्थिति तक कम से कम इस प्रकार का विवादास्पद विधेयक जो भाषा के संबंध में इस सदन में आने वाला है स्थपित कर दिया जाये। इससे सरकार की नाक नीची नहीं होती। और देश में कोई विवाद भी नहीं उठेगा।

जहां तक हिन्दी के प्रचार और हिन्दी क्षेत्र में कार्य का संबंध है, शिक्षा मंत्रालय ने एक बहुत अच्छा कोष तैयार किया है और इससे बहुत बड़ा बल हिन्दी को मिला है। पीछे अभी जब आकाशवाणी से हिन्दी के प्रचार की समस्या का प्रश्न आया तो उस समय भी हमारे प्रधान मंत्री जी ने शिक्षा मंत्रालय की ओर ही इंगित किया था कि शिक्षा मंत्रारय इस प्रकार का कोष तैयार कर रहा है जिस में २५,००० शब्द हैं और जिसका आकाशवाणी में भी प्रयोग किया जा सकता है और वहां उन शब्दों को व्यावहारिक रूप दिया जा सकता है। लेकिन मेरा अपना विश्वास साथ ही कुछ इस प्रकार का भी है कि आप जितना परिश्रम करते हैं, वह सारा केवल आपके क्षेत्र तक ही सिमट कर रह जाता है, दूसरे मंत्रालयों को जितना उसको व्यवहारिक रूप देना चाहिये, उतना व्यवहारिक रूप वह उन्हें नहीं दे रहे। जितनी हिन्दी इन पन्द्रह वर्षों में आगे बढ़नी चाहिये थी और जितना हिन्दी को सन्मानपूर्ण स्थान मिलना चाहिये था उतना नहीं मिल सका है। इसके लिये देश की जनता उतनी दोषी नहीं है जितनी देश की सरकार दोषी

है । हमारी नीति उसी प्रकार की रही है जैसे बाजार में कई दुकानों पर लिखा रहता है "आज नकद कल और उधार" उधार लेने वाला सोचता है कि शायद कल नम्बर आ जाये पर नहीं आता। उसी प्रकार हम भी बराबर पन्द्रह पन्द्रह वर्ष कहते आगे चलते गये। अब आकर हम ने सन् १९६५ को याद करना शुरू किया सो भी दूसरा विधेयक लाने की तयारी है। सरकार की जो उदासीन नीति है, जो वे किसी स्वास्थ राष्ट्र की परम्पराओं के चिह्न नहीं हैं। हमें अपने निर्णय के संबंध में फिर से सोचना चाहिये तो हमारे देश में १६ या १७ नये राज्य हैं, उन में जो इस प्रकार के राज्य हैं जहां हिन्दी का व्यवहार होता है और जिन प्रांतों की सरकारों ने इस का निर्णय किया है कि सन् १९६५ में वह हिन्दी में कार्य करना आरम्भ कर देंगी उन के संबंध में केन्द्रीय सरकार को निर्णय लेने में क्यों हिचक है? वह क्यों नहीं इस बात की घोषणा करती कि हम जो विधेयक लाने जा रहे हैं वह उन सात प्रान्तों को छोड़ कर, जो प्रान्त हिन्दी को नहीं पचा या खपा सके, उन के लिये उपस्थित किया जा रहा है। इस में कोई आपत्ति नहीं होगी। और फिर कम से कम देशवासियों को यह सोचने का अवसर तो मिलेगा कि सरकार ने इन पन्द्रह वर्षों में सात कदम आगे बढ़ाये हैं और नौ कदम शेष हैं, जिन को बढ़ाने के लिये सरकार समय मांग रही है। यह एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय होगा। लेकिन सात प्रान्तों को भी शेष नौ प्रान्तों के साथ जोड़ लेना व्यावहारिक नहीं होगा।

दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि जब हिन्दी का प्रश्न सामने आता है तो उस के साथ साथ हमारे मस्तिष्क में और एक बात आती है वह है देवनागरी लिपि की। मैं ने पहले भी सदन में चर्चा की थी, और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे जसा सामान्य व्यक्ति ही नहीं इसको सोचता है, बल्कि अभी कुछ दिन पहले इसी राजधानी में सारे देश के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में भी सर्वसम्मति से निर्णय किया गया था कि भारत की जितनी प्रान्तीय भाषायें हैं उनको एक दूसरे को निकट लाने के लिये अगर एक सामान्य लिपि को माध्यम बना लिया जाय तो बहुत सहायता मिलेगी। लेकिन मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के सर्वसम्मति से निर्णय लेने के बाद भी वह प्रस्ताव कार्यरूप में परिणत नहीं किया जा सका है। वह प्रस्ताव केवल प्रस्ताव की भाषा तक ही सीमित है या समाचार पत्रों के लिये अन्दोलन का विषय बन कर रह गया है। मेरा अपना विश्वास है कि हमारे यहां जो भाषा की लड़ाई चल रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि लिपि की दीवार बीच में खड़े होने से सब एक दूसरे से अपने को दूर समझते हैं। अगर लिपि की दीवार बीच से हटा दी जाये तो सारी कठिनाई दूर हो जाये। मराठी की लिपि देवनागरी है, गोरखाली की लिपि देवनागरी है। इसलिये इन दोनों भाषाओं को पढ़ने और समझने में हिन्दी जानने वालों को कोई विशेष समय या श्रम नहीं लगता है। जितनी भी भारतीय भाषायें हैं उन में से प्रायः सब संस्कृत की पुत्रियां हैं, उन में संस्कृत शब्द बहुत हैं। मलयालम है, बंगला है, तामिल है या पंजाबी है, यदि उन को देवनागरी लिपि के माध्यम से लिखा जाय तो कोई विशेष कठिनाई होने वाली नहीं है। मेरा कदापि अभिप्राय यह नहीं है कि जब मैं देवनागरी लिपि की चर्चा करता हूं तो चाहता हूं कि उन भाषाओं की लिपि को समाप्त कर दिया जाये और उनकी लिपि को समाप्त कर के ही देव नागरी रखी जाय। मैं आरम्भ से ही इस विचार का रहा हूं कि अपनी प्रान्तीय भाषाओं को सुरक्षित रखते हुए अखिल भारतीय रूप में हिन्दी को सामान्य व्यावहारिक भाषा बनाने के लिये सरकार यत्नशील हो, उसी प्रकार मेरी अपनी यह भी मान्यता है कि प्रान्तीय भाषाओं की अपनी लिपियों को सुरक्षित रखते हुए उनको आपस में निकट लाने के लिये यदि देवनागरी को सामान्य रूप में सारे देश के लिये स्वीकार कर लिया जाय तो भाषा के नाम पर जो छोटे-छोटे विवाद उठ

खड़े होते हैं उनको समाप्त करने में एक बहुत बड़ा योग मिलेगा, और इसके लिये हिन्दी साहित्य सम्मेलन जैसी संस्था भी एक बहुत बड़ा कार्य कर सकती है।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिन्दी जगत को एक बार फिर आप के द्वारा आश्वासन और भरोसा मिला है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन जैसी गौरवपूर्ण संस्था में जो आन्तरिक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं उन्हें दूर करने के लिये ही यह विधेयक उपस्थित किया गया है, और इस बात को कहते हुए मुझे और भी हार्दिक प्रसन्नता है, जैसी कि श्री स० मो० बनर्जी ने अपने भाषण में चर्चा की, कि जब हिन्दी साहित्य सम्मेलन का नाम आता है तो श्रद्धेय टण्डन जी की याद बरबस मस्तिष्क में आ जाती है। मैं इस बात के लिये भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार ने यह निर्णय टण्डन जी के जीवन काल में ही लिया जिस से उन्हें मृत्यु से पहले बहुत बड़ी शान्ति मिली कि सरकार ने इस प्रकार का गौरवपूर्ण निर्णय लिया और हिन्दी का प्रश्न जो चन्द स्वार्थी लोगों के हाथों में जाकर उलझ गया था उसे सरकार उदार स्तर पर सुलझाना चाहती है और उसी में जो न्यूनता रह गई है उस को वह अब ठीक करना चाहती है। लेकिन इसके साथ साथ फिर जैसा मैंने आरम्भ में कहा था, अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर लाते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक जिस प्रकार से हिन्दी साहित्य सम्मेलन सर्वसाधारण की संस्था रही है उसी प्रकार की संस्था वह बनी रहे। वह एकसरकार के गुलाम संगठन के रूप में न परिवर्तित हो जाय इस का भी बराबर ध्यान रखा जाय।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार को इस निर्णय के लिये धन्यवाद देता हूं।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, हिन्दी साहित्य सम्मेलन . . .

अध्यक्ष महोदय : संक्षेप रूप से तो ठीक है हिन्दी का रिफरेंस, हिन्दी के प्रचार की बात और लैंग्वेज को यहां लाना। लेकिन उसके ऊपर बहुत वक्त न लगाया जाय क्योंकि यह बहुत लिमिटेड बिल है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : मेरा विस्तार में जाने का विचार नहीं है :

अध्यक्ष महोदय : मैं आनरेबल मेंबर के लिये नहीं कह रहा हूं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन संशोधन विधेयक जो हमारे समक्ष आज प्रस्तुत किया गया है वह इस भावना से प्रस्तुत किया गया है कि किसी कानूनी अड़चन के कारण हिन्दी साहित्य सम्मेलन के विकास और उत्थान में, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के उद्धार के प्रयत्नों में, कोई बाधा न खड़ी हो। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए संकेत किया था, कि मूल विधेयक में सामान्य सदस्यों का इस लिये उल्लेख नहीं किया गया था क्योंकि उनकी पूरी सूची उपलब्ध नहीं थी और आज भी ऐसा प्रतीत होता है कि वह सूची पूरी तौर से उपलब्ध नहीं है। फिर भी उन्होंने कठिनाइयों के निराकरण के दृष्टिकोण से जो यह कदम उठाया है वह वास्तव में इस बात का द्योतक है कि वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन संस्था के उद्धार के लिये प्रयत्नशील हैं। इस दृष्टिकोण से वास्तव में यह विधेयक स्वागत के योग्य है और माननीय मंत्री का यह प्रयत्न प्रशंसा का पात्र है।

इस विषय में मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि उन की जो यह उत्कण्ठा है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन शीघ्रातिशीघ्र सक्रिय रूप से अपना कार्य करने लगे, उसे मूर्त रूप देने के लिये उनको यह भी ध्यान रखना होगा, जैसा कि मेरे मित्र श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा, कि यह संस्था किसी

भी प्रकार सरकार के प्रभाव क्षेत्र के कारावास में बन्दी हो कर न रह जाय, बल्कि जैसा कि वह जन जन की, सर्वसाधारण की संस्था रही है उसी प्रकार आगे भी बनी रहे। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन को वास्तव में न केवल साहित्यकारों का संगम ही बन कर रह जाना है, न केवल हिन्दी के प्रसार के प्रबल प्रवाह के रूप में ही हमारे समक्ष आना है, बल्कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन का यह प्रयत्न भी होना चाहिये कि वह प्रादेशिक भाषाओं और लिपियों के समन्वय और संगम का प्रयत्न करे क्योंकि यह हमारे देश के लिये एक सब से बड़ी जरूरत है।

इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का स्वागत करना चाहता हूं।

श्री अ० ना० विद्यालंकार : (होशियारपुर) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन इस बिल का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो कुछ सन्देह इस के प्रारम्भिक मेम्बरों के संबंध में रहा है उस को साफ किया जाय। इस बिल के उद्देश्यों में यह बताया गया है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन को एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था माना गया है और इस लिये गवर्नमेंट ने इस को अपने हाथों में लिया कि इस संस्था के संबंध में इस प्रकार का एक बिल पेश किया जाय। मेरा निवेदन यह है कि जहां तक उस के पुराने मेम्बरों को लेने का ताल्लुक है, जैसा कि इस में कहा गया है, अगर हम उतने के उतने और वही मेम्बर, जो कि पहले थे, वैसे के वैसे ले लेते हैं तो मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि हम इस संस्था को एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाने में सफल नहीं हो सकते। मुझे आशा यह थी कि जब हम ने यह समझा कि यह एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था है तो हम इस का बहुत बड़ा विस्तार करेंगे और इसके मेम्बरों में और ज्यादा लोगों को शामिल करेंगे।

जिस समय यह संस्था आरम्भ हुई थी उस समय की अवस्था में और इस समय की अवस्था में बहुत फर्क है। जब यह संस्था आरम्भ हुई थी उस समय हिन्दी का कहीं नाम भी नहीं था, और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि इस संस्था ने हिन्दी के प्रचार के लिये प्रारम्भिक दिनों में, जब कि लोग हिन्दी का नाम लेने से भी घबराते थे, काम किया। इस संस्था की इस के लिये जितनी भी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। इस संस्था के संचालकों की, जिन में हमारे श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन जी का भी नाम है, जितनी प्रशंसा की जाय और उनकी जितनी याद की जाय, वह बहुत कम है। लेकिन आज हालात बदल गये हैं और आज हिन्दी सारे राष्ट्र की भाषा है। जब हमने हिन्दी को राष्ट्र भाषा का स्थान दिया है तो उस समय हिन्दी की प्रचार वाली संस्था के पीछे जो आधार हो, जो उस के लिये समिति हो, या जो उस को चलाने वाली कमेटी हो, उस का भी विस्तार उतना ही होना चाहिये। मैं आशा करता था कि उसके अन्दर न सिर्फ वे लोग जो कि पहले से मेम्बर हैं बल्कि उनके अलावा प्रत्येक प्रान्त से और मेम्बरों को लिया जाता। जो अन्य भाषायें हैं, जिन को हम हिन्दी के साथ चलाना चाहते हैं, जिनके साथ हिन्दी का सीधा संबंध है, जो प्रान्तीय भाषायें हैं लेकिन जिन भाषाओं के सहयोग के साथ ही हिन्दी बढ़ सकती है, उन भाषाओं के जानने वालों को भी उस में रखा जाता। ताकि इस संस्था के जरिये जिस हिन्दी का प्रचार किया जाता, हिन्दी को जो नया रूप दिया जाता, वह सही तौर पर राष्ट्र भाषा होती और उसका रूप ज्यादा विस्तृत होता। इसलिये मैं समझता हूं कि जब हम इसके दायरे को संकुचित करते हैं और इसकी मेम्बरशिप को उतना ही रखते हैं

जितनी कि वह पहले थी और जैसा कि इस बिल में बतलाया गया कि जो पुराने मेम्बर हैं वे आ जायेंगे तो मुझे सन्देह है कि हम इस संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाने में सफल हो सकेंगे।

हो सकता है कि मंत्री महोदय कहें कि बाद में वे लोग दूसरे व्यक्तियों को अपनी संस्था में शामिल कर लेंगे। ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं यह चाहता था कि जब हम इस बिल को पास कर रहे हैं तो हमें यह निश्चित कर देना चाहिये था कि किस दिशा में इसकी प्रगति होनी चाहिये और किस प्रकार इसका विस्तार होना चाहिये और उसकी रूपरेखा बना कर इसमें शामिल कर देना चाहिये। हमको यह चीज मेम्बरों पर नहीं छोड़नी चाहिये कि वे आकर और नये मेम्बर ले कर इस संस्था का विस्तार करें। मैं इस चीज को आवश्यक समझता हूं।

हिन्दी का जो रूप आज से कुछ समय पहले समझा जाता था और हिन्दी का उत्तर प्रदेश में और अन्य प्रान्तों में जिस रूप में विस्तार हुआ है, जब वह हिन्दी राष्ट्र भाषा बनेगी तो आवश्यक रूप से उसका वह रूप बदलेगा। उसमें दूसरी भाषाओं के शब्दों का प्रवेश होगा उसमें दूसरी भाषाओं की शैली का प्रवेश होगा और उस पर दूसरी भाषाओं का बहुत कुछ असर होगा। मैं समझता हूं कि हर एक प्रान्त की धरती की खुशबू हिन्दी के अन्दर आएगी और तब एक ऐसी हिन्दी का विकास हो सकेगा जो सही तौर पर राष्ट्रभाषा हो सके। उसमें यह नहीं होगा कि इन शब्दों को हम रखते हैं और इनको नहीं रखते। जनता जिन शब्दों का प्रयोग करती है वे उस हिन्दी में शामिल होंगे और उस हिन्दी का देश में प्रचार होगा। इस प्रकार की राष्ट्र भाषा का प्रचार करने वाली संस्था को सही तौर पर विशाल संस्था के रूप में होना चाहिये था। और ऐसा करने के लिये जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं, और जिनको हमने अपने संविधान में स्थान दिया है, उन भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों को उस संस्था में स्थान दिया जाना चाहिये था। मैं समझता हूं कि इस बिल में यह कमी रह गयी है। हम जिस रूप में इस बिल को पास कर रहे हैं, मैं नहीं समझता उस रूप में यह संस्था कहां तक राष्ट्रीय महत्व की संस्था हो सकेगी।

पिछला इतिहास बताता है कि इस संस्था में गुटबन्दियां हैं जिनकी ओर श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने इशारा किया है। मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री से इस बात में भी सहमत हूं कि ऐसा न हो कि यह संस्था एक सरकारी संस्था बन कर रह जाए। मैं यह भी चाहता हूं कि जिन गुटबन्दियों के कारण इस संस्था का काम बन्द पड़ा रहा वे फिर न पैदा हों। मैं चहाता हूं कि हम इस संस्था कों उन गुटबन्दियों से बचा सकें। मैं इसके पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहता कि जब लोग ऐसी बातों के लिये संघर्ष करते थे कि परीक्षा का पत्र किस को मिले, किस को परीक्षक बनाया जाए, किसकी किताब ली जाये। इन्ही व्यापारिक चीजों के कारण इस संस्था के कार्य में गड़बड़ी पैदा हुई। मैं समझता हूं कि उससे इसे बचाने के लिये यह आवश्यक है कि हम इस संस्था को ब्राड बेस्ड बनाएं जिससे कि इस तरह की बातें न हो सकें। मुझे यह खतरा साफ नजर आता है जिसकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर हम पुरानी मेम्बरशिप पर ही मुहर लगाने जा रहे हैं तो मुझे खतरा नजर आता है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस खतरे पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे और काशिश करेंगे कि जिससे यह संस्था सही मानों में राष्ट्रीय महत्व की संस्था बन सके और ज्यादा ब्राड बेस्ड हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री शिव नारायण (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है। इस हाउस ने उसको पास किया है और हमारे बुजुर्गों ने इस पर अपनी मुहर लगायी है। आज यहां इस संबंध में स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन जी का नाम लिया गया। हिन्दी के नाते टण्डन जी ने जो मुसीबत देश में उठायी वह सब जानते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति दे, और सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि सरकार यह कानून बना कर हिन्दी साहित्य सम्मेलन को प्रोत्साहन देना चाहती है।

मेरा सुझाव है कि अगर सरकार चाहती है कि हिन्दी फूले फले तो जो लोग लखनऊ यूनीवर्सिटी से, बनारस यूनीवरसिटी से और हिन्दी साहित्य सम्मेलन से एम० ए० पास करके आते हैं उन सबको समान रूप से नौकरियों में स्थान दे। ऐसा होगा तो लोग खटाखट हिन्दी पढ़ेंगे और हिन्दी की उन्नति होगी। आज अवस्था यह है कि जो लड़के लड़कियां लखनऊ विश्व-विद्यालय से या बनारस विश्वविद्यालय से पास करते हैं उनको तो ले लिया जाता है, पर जो लोग हिन्दी साहित्य सम्मेलन से पास करते हैं उनको नहीं लिया जाता। हमारी बहुत सी बहनों और बेटियों ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाएं पास की हैं और वे बढ़िया से बढ़िया अध्यापकाएं बन सकती हैं लेकिन उनकी पूछ नहीं है।

मैं आज अपने उन मित्र से सहमत हूं जिन्होंने सुझाव दिया है कि इस संस्था में हर प्रान्त के सदस्य लिये जायें जिससे कि श्री कामत जी भी सहयोग दे सकें, मद्रास के लोग भी सहयोग दे सकें, पंजाब के सदस्य भी सहयोग दे सकें, देश के हर भाग के लोग सहयोग कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : शिकायत तो यह है कि जो पहले मेम्बर हैं वे आपस में नहीं चला सके। और आप और लोगों को भी लाना चाहते हैं।

श्री शिव नारायण : यही तो मेरा सुझाव है कि अगर पुराने लोग गाड़ी न चला सकें तो नए ड्राइव रखे जायें ताकि गाड़ी ठीक से चल सके।

अध्यक्ष महोदय : सवाल ड्राइवर का नहीं सवारियों का है जोकि आपस में लड़ रही हैं और आप और लाना चाहते हैं।

श्री शिव नारायण : मैं चाहूंगा कि इस में अन्य लोगों को लिया जाय और इस प्रकार इसको आगे बढ़ाया जाय। मैं तो कहता हूं कि इस बिल को लाने के लिए सरकार बधाई की पात्र है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने जनता से अपील की है। मैं भी अनुरोध करता हूं कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं वे जहां जायें हिन्दी में बोलें और इस प्रकार हिन्दी का प्रचार करें। हमें किसी भाषा से द्वेष नहीं है। पुराने समय में संस्कृत हमारे देश की राष्ट्र भाषा रही। गुप्त काल के भारत में संस्कृत हमारी राष्ट्र भाषा रही। अगर आज हम भारत को गुप्त काल में ले जाना चाहते हैं तो हमको संस्कृत पर निर्भर होना पड़ेगा। संस्कृत में साइंस के शब्द भरे पड़े हैं। जरमनी और दूसरे मुल्क संस्कृत का महत्व समझते हैं फिर हम उस को क्यों छोड़ रहे हैं। हम को चाहिए कि हम संस्कृत को ले कर हिन्दी का प्रचार करें। हिन्दी बड़ी सरल भाषा है। इस को देश के कोने कोने में समझा जाता है। प्रेम चन्द्र जी ने जो भाषा लिखी है उसी भाषा में ब्राडकास्ट किए जायें और उसी में लेख लिखे जायें ताकि लोग आसानी से समझ सकें। उस हिन्दी को बहुत आदमी समझ सकते हैं। कलकत्ता से ले कर गुजरात तक और कन्याकुमारी से ले कर काश्मीर तक, देश के हर कोने में लोग हिन्दी बोलते हैं, टूटी फूटी हिन्दी बोलते हैं। यह अंग्रेजी से आसान है, परशियन से आसान है। आज हम दूसरी भाषाओं को

तो सिर पर लाद रहे हैं, पर अपनी भाषा को छोड़ रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा सब मेम्बरों से, चाहे वे किसी दल के हों, कि अगर आप को देश को ऊंचा उठाना है तो उस की भाषा को उठाइए और देश को गिराना है तो उस की भाषा को गिराइए। जिस राष्ट्र की भाषा आगे बढ़ती है वह राष्ट्र आगे बढ़ता है, जिस की भाषा नहीं बढ़ती वह राष्ट्र नहीं बढ़ता।

आज देश में इमरजेंसी का समय है। इस समय देश में एकता की भावना जोरों पर है। ऐसे समय में हिन्दी फल फूल सकती है। इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह अच्छा कदम उठाया है और आशा करता हूं कि जो सुझाव दिये गये हैं उन्हीं पर सरकार इस गाड़ी को चलायगी।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रथम तो इस बिल का अनुमोदन तथा समर्थन करता हूं। मैं इस के बारे में दो तीन बातें कहना चाहता हूं।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने हिन्दी के प्रचार में बड़ा काम किया है इस में कोई दो राएं नहीं हो सकतीं। उस के कार्य में जो गड़बड़ियां पैदा हुई उन को ठीक करने के लिए यह बिल लाया गया है। इस सम्बन्ध में मैं दो तीन बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

पहली बात तो यह है कि यह बड़े अफसोस की बात है कि हमारा हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने का व्रत लेने के १५ वर्ष बाद हम उस दिशा में कोई प्रगति नहीं कर पाए हैं। और इस सिलसिले में सरकार को तो छोड़ दीजिए, ऐसी संस्थाओं को भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता जोकि देश में हिन्दी के प्रचार का काम करना चाहती हैं। हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ही तरह और भी संस्थाओं का निर्माण होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि १५ वर्ष बाद भी हम जहां के तहां हैं। हम ने हिन्दी के प्रचार का काम ऐसे साम्प्रदायिक हाथों में दे रखा है जो दूसरी भाषाओं का निरादर करते हैं। दूसरों को गालियां देते हैं। इस तरीक़ से तो हिन्दी को और ज्यादा बदनाम करने का उन लोगों को मौका मिलता है जोकि हिन्दी के मुखालिफ हैं। यह साम्प्रदायिक लोग और संस्थाएं इस तरह से हिन्दी का प्रचार करते हैं और ऐसी किताबें इत्यादि लिखते हैं जिस से कि हिन्दी बहुत अधिक इस मुल्क में बदनाम हो रही है और बहुत जगह तो इस का बड़ा निरादर किया जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हिन्दी के प्रचार के लिए जो भी हिन्दी के हामी हैं उन में से ऐसे लोगों को ही इसके प्रचार का मौका देना चाहिये और उन को मदद करनी चाहिए जोकि देश में साम्प्रदायिक तत्वों से अलग रह कर सही मायनों में हिन्दी का प्रचार करना चाहते हैं।

दूसरे मुल्कों में, उदाहरणार्थ सोवियट यूनियन में जहां कि हिन्दी के स्कूल खोले गये हैं मैं ने देखा है कि दर्जा तीन से ले कर बी० ए० तक हिन्दी पढ़ाई जाती है जबकि हमारे अपने देश के अंदर हिन्दी पढ़े लिखे लोगों का निरादर होता है। हिन्दी पढ़े लिखे लोगों का तो पढ़ा लिखा हुआ माना ही नहीं जाता। उन को तो मूर्ख समझा जाता है। इस सिलसिले में मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि हिन्दी के प्रचार के लिए ख़ास तौर से ऐसी संस्थाओं को अधिक से अधिक अनुदान देने की ज़रूरत है और उन को बढ़ाने की ज़रूरत है जोकि देश में हिन्दी का सही तौर से प्रचार करें। आज हालत यह है कि हिन्दी के लेखक और कवि भूखों मरते हैं और उन के साहित्य का कोई प्रचार नहीं होता है। जो हिन्दी के लेखक हैं उन के खाने का भी ठिकाना नहीं है। हिन्दी के अख़बारों की सब से रद्दी हालत चल रही है। वे अख़बार चंद एक पूंजीपतियों के हाथ में पड़ हुए हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसे अख़बार, लेखकों और कवियों आदि को हिन्दी में साहित्य का भंडार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। असाम्प्रदायिक संस्थाओं को और हिन्दी सेवी संस्थाओं को हिन्दी के प्रचार के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि सही मायनों में देश के अन्दर हिन्दी फैल सके।

[श्री सरजू पाण्डेय]

एक और बात कही जाती है और वह है लिपि बदलने की बात । पहले भी यह सवाल उठा था और इस तरह की एक हिन्दी लिपि चलाने का नाटक किया गया था । लेकिन वह बदलाव लिपि में केवल एक नाटक और तमाशा मात्र बन कर रह गया । उस की तस्वीरें छापी गईं और किताबों में शाहज़ादा राम और शाहज़ादी सीता यह शब्द लिखे गये । जहां तक अन्य भाषाओं के शब्द हिन्दी में लेने का सवाल है मैं समझता हूं कि तमाम भाषाओं के ऐसे शब्द जोकि आसानी से उच्चारित किये जा सकें और जोकि कौमनली इस्माल होते हैं उन लफ्ज़ों को हिन्दी में ले लेना चाहिए । यह हिन्दी का विरोध मुख्य रूप से कुछ इंटरैस्टेड लोगों के द्वारा होता है जोकि कहते हैं कि यह हिन्दी नहीं चलेगी । खास तौर से देश का जो नौकरशाही है वह हिन्दी के विरुद्ध है और वह नहीं चाहती कि हिन्दी का प्रचार किया जाय । हिन्दी सारे देश की गरीब जनता की ज़बान है । अलबत्ता कुछ नेता लोग हैं जोकि स्वार्थ-वश और अपनी लीडरी क़ायम रखने के लिए हिन्दी का विरोध करते हैं । मुझे इस सम्बन्ध में एक छोटी सी कविता याद आ जाती है :—

"जाकी धन धरती हरी, ताहि न रखिए संग ।
जो संग राखे न बने तन कर राख अपंग ।"

जिस को गुलाम बनाना हो उस की ज़बान बदल दो, उस के तमाम तौर तरीक़ों को तबदील कर दो । जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम बने तो हमारे साथ उन्होंने यही किया । लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि स्वाधीन होने के पंद्रह वर्ष के बाद भी हम लोगों के दिल से अंग्रेज़ी का मोह नहीं छूटा है । विशेष कर प्रशासन को कुछ ऐसा डर लगता है कि अगर कहीं उस ने अंग्रेज़ी को हटा कर हिन्दी कर दी और हिन्दी का नाम लेना शुरू कर दिया तो हमारा राज्य ही उलट जायगा । अगर हम ने इस दिशा में सावधानी नहीं बर्ती और हिन्दी का प्रचार सही रूप में नहीं किया तो लाज़िमी तौर पर हिन्दी बदनाम होगी । इसलिए सरकार को चाहिए कि वह साम्प्रदायिक तत्वों और संस्थाओं आदि से यह काम न करा कर हिन्दी प्रचार करने के लिए असाम्प्रदायिक तत्वों और संस्थाओं आदि की मदद करे ताकि वे हिन्दी के साहित्य की अभिवृद्धि करें और देश में हिन्दी फले फूले । हम एक ऐसी सार्वदेशिक भाषा का निर्माण कर सकें जोकि पूरे देश की ज़बान बने । सही तौर पर हम हिन्दी को समृद्ध और उन्नतिशील बनायें ।

श्री यु० सिं० चौधरी (महेन्द्रगढ़) : अध्यक्ष महोदय, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इतिहास पर हमारे माननीय वक्ता शास्त्री जी ने काफ़ी अच्छा प्रकाश डाला है । जहां तक उस के इतिहास का सवाल है हर एक आदमी जिस का कि उस से कुछ भी सम्बन्ध रहा है इस को अच्छे तरीके से जानता है । हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का बड़ा प्रमुख स्थान रहा है । उत्तर भारत के बहुत से नेता विशेष तौर से इस संस्था के साथ सम्बद्ध रहे हैं । स्वयं महात्मा जी का भी किसी न किसी रूप में इस के साथ सम्बन्ध रहा है और गांधीजी इस के अध्यक्ष रहे हैं । श्रद्धेय टंडन जी का तो इस के साथ बिलकुल वैसा ही सम्बन्ध था जैसाकि एक पिता का पुत्र के साथ होता है । वह तो एक तरह इस संस्था की आत्मा थे । इस संस्था ने हिन्दी के प्रचार के अतिरिक्त देश में राजनीतिक चेतना जगाने के लिए जो विशेष प्रकार का काम किया है उस से आज कोई भी आदमी इंकार नहीं कर सकता । हिन्दी के प्रचार और प्रसार के साथ साथ कुछ ऐसी भी पुस्तकें शोध के द्वारा हिन्दी साहित्य के अंदर इस संस्था के द्वारा प्रेषित हो कर विद्वानों ने लिखी हैं जोकि हिन्दी साहित्य की अमूल निधि हैं । किन्तु पिछले कुछ समय से विशेष तौर से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस संस्था में कुछ राजनीतिक स्वार्थों के कारण ऐसी गुटबन्दी हुई, कुछ इस प्रकार की दलगत नीति

इस के अंदर आ गई जिस के कारण इस संस्था को कुछ नुकसान हुआ। इस की विशेष परीक्षाओं के द्वारा या कुछ विशेष इस की गतिविधियों के द्वारा विशेष प्रकार की आमदनी होती थी इसलिए एक ग्रुप ने, कुछ आदमियों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस के ऊपर कब्जा किया और कितने दिनों तक बहुत बुरे समाचार आते रहे और सारा जो हिन्दी जगत् है उस को हिन्दी साहित्य सम्मेलन के बारे में इस तरह की अनेकों गड़बड़ वाली बातें सुन कर गहरा सदमा पहुंचा। इस से हिन्दी प्रेमियों को मानसिक आघात पहुंचा। इस मामले में जो हमारा केन्द्र का शिक्षा मंत्रालय है और विशेष तौर से जो हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, उन्हों ने इस संस्था के काम को ठीक करने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाये और जोकि इस से पहले पार्लियामेंट के शेसन में मार्च में आये। उन्होंने कुछ नियम बनाये व नियंत्रण लगाये और इस की गतिविधियों को ठीक किया और उन को अधिक व्यापक बनाया। उन्होंने यह सब इसलिए किया ताकि भविष्य में फिर इस किस्म के उपद्रव और गड़बड़ी इस उत्तम संस्था में न हो सकें। मंत्री महोदय ने इसके लिए जो विशेष उपाय और कानून पास किये वे सराहनीय हैं और वर्तमान संशोधन भी वह इसी उद्देश्य से लाये हैं। जहां तक इस संशोधन की महत्ता का सवाल है इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकतीं। इस प्रकार का संशोधन अवश्य आना चाहिए और इससे जो कुछ कमी या जो कुछ हीनता पहले उस बिल के अन्दर रह गयी थी उस की यहां पूर्त्ति हो जायगी। यह मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि इस संस्था को अधिक से अधिक प्रश्रय और प्रोत्साहन दिया जाय। इस की गतिविधियां सर्वत्र देश में पनप सकें। इस के द्वारा अनेकों परीक्षाओं की भी व्यवस्था होती है। अब जैसा कि उधर से हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन की जो परीक्षाएं पास कर के निकलते हैं उन को अन्य परीक्षाओं में पास होकर निकलने वाले लोगों के समान महत्ता नहीं मिलती है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि यह परीक्षाओं का जो चक्कर है यह जो सारे देश के अन्दर विश्वविद्यालयों का जाल फैला हुआ है, यह उन्हीं के जिम्मे रहन दें। हिन्दी साहित्य सम्मेलन शोध का काम करे। हिन्दी में सब से बड़ी कमी यह है कि अंग्रेजी की तरह से उस का साहित्य अक्षुण नहीं है। इस संस्था द्वारा उस कमी को पूरा करने के लिए और शोध के कामको प्रोत्साहन देने के लिए अधिक ठोस और सक्रिय कदम उठाये जायेंगे। अगर ऐसा किया गया तो अच्छा रहेगा और इस का प्रभाव यह पड़ेगा कि हमारे साहित्य की बहुत सी चीजें जो कि अभी तक अर्थाभाव से या अन्य किसी कारण से प्रकाश में नहीं आ पायी हैं, व प्रकाश में आ सकेंगी। इस के लिए पुस्तकों अथवा पुस्तकालयों की कमी को दूर करना होगा। मुझे आशा है कि जिन कमियों के कारण आज हमारा हिन्दी साहित्य समृद्ध नहीं हो पा रहा है उन को यह संस्था दूर करेगी और अब से यह संस्था अपना कार्य अधिक सुचारू रूप से कर सकेगी। इस दृष्टि से यह विधेयक और आने वाले संशोधन जो कि इस संस्था को गति और शक्ति प्रदान करत हों और इस की गतिविधियों को व्यापक करें, स्वागत योग्य हैं। इस दृष्टि से केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय प्रशंसा का पात्र है। मेरा यह विश्वास है कि भविष्य में इस संस्था द्वारा या अन्य हिन्दी सेवी संस्थाओं द्वारा हिन्दी प्रचार के कार्य में कुछ कठिनाइयां सामने आयेंगी तो उन कमियों को हटाने के हेतु यदि कोई संशोधन विधेयक इस सदन के सामने आयेगा तो यह मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि सदन उस संशोधन विधेयक को उसी खुशी के साथ पास करेगा जिस प्रकार से कि आज सदन इस को पास कर रहा है।

अब मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं और वह यह कि जहां हम इस तरह का बिधेयक लाते हैं वहां मैं बहुत सारे संसद् सदस्यों की बात में अपनी बात मिलाते हुए यह अवश्य कहना चाहूंगा कि हिन्दी के बारे में जैसी नीति हमारी सरकार द्वारा अपनाई जानी चाहिए थी, हिन्दी के बारे में हमारे दिमाग में अब तक जो बातें आनी चाहिए थीं और उसके

[श्री यु० सिं० चौधरी]

प्रचार और प्रश्रय के लिए सरकार की तरफ से जो कदम उठाया जाना चाहिए था, उस के बारे में अभी तक उसकी ओर से उदासीनता ही बरती गई है। हमारी तरफ़ से उस सम्बन्ध में ढील और गफ़लत बरती गई है।

सन् १९६५ हमारे सिर पर आ गया है और उचित तो यह था कि उस वक्त हिन्दी पूर्ण रूप से अंग्रेज़ी की जगह ले लेती। हम ने अपने संविधान में एक इस तरह का प्राविज़न रक्खा है कि १९६५ के बाद हिन्दी को उस का प्रमुख स्थान किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा लेकिन उस के स्थान पर हम अभी से एक ऐसे बिल की चर्चा सुनने लगे हैं और जिसके कि बारे में यह कहा जा रहा है कि अगले बजट सैशन में आयगा जिससे कि अंग्रेज़ी इस देश में अनिश्चित काल तक चलती रहेगी। यह बहुत बड़ी हैरानी की बात है और अंग्रेज़ी के प्रति मोह यह समझ में नहीं आता। जहां हम चाहते हैं कि हिन्दी अपना उपयुक्त स्थान देश और समाज के अन्दर ले वहां इस का मतलब यह नहीं है कि हम अंग्रेज़ी को बिल्कुल निकाल देना चाहते हैं। अलबत्ता अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेज़ी शिक्षा की व्यवस्था हो, लोग उसको पढ़ें और ठीक जैसे फ्रेंच, चीनी या रूसी भाषा की पढ़ाई की व्यवस्था होती है अंग्रेज़ी की पढ़ाई की भी व्यवस्था हो और इच्छुक लोग अंग्रेज़ी का ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन अंग्रेज़ी के प्रति राष्ट्र के अन्दर जो वर्त्तमान मोह है यह इम्पीरियलिज्म की प्रवृत्ति है। एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण अंग्रेज़ी को इस देश में बनाए रखा जा रहा है। जहां तक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का सवाल है, यह बात हिन्दी पर नहीं, बल्कि अंग्रेज़ी पर लागू होती है। कुछ लोग कहते हैं कि अमुक अमुक प्रदेशों में हिन्दी नहीं बोली जाती है, या वहां के लोग हिन्दी नहीं जानते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाओं के साथ हमारा कोई द्वेष नहीं है। प्रादेशिक भाषायें पनपें और अपना उचित दर्जा तथा स्तर प्राप्त करें। प्रदेशों के राज्य-काज में वहां की प्रादेशिक भाषायें प्रयुक्त की जायें इस में हमें कोई एतराज़ नहीं हो सकता है। लेकिन अंग्रेज़ी न तो उन की है और न हमारी है। हमारा अपना सब काम-काज अपनी अपनी भाषाओं में हो सकता है।

अन्त में मैं आपको एक मज़ेदार बात बताना चाहता हूं। आजकल इमर्जेन्सी की वजह से फ़ौज को बढ़ाया जा रहा है और लोग इमर्जेन्सी कमीशन हासिल करने के लिए लेफ्टिनेंट बनने के लिए—आ रहे हैं। पचासों आदमियों ने मुझ से शिकायत की है कि हालांकि वे हर एक दृष्टि से उपयुक्त हैं, वे एन० सी० सी० ट्रेन्ड हैं, उन के पास "सी" सर्टिफ़िकेट है, उनका स्वास्थ्य भी ठीक है और वे तगड़े हैं, अर्थात् सब बातों में वे पूरे उतरते हैं, लेकिन सिलेक्ट करने वाले आफ़िसर उन को कहते हैं कि "आप पूरी तरह फ़िट हैं, लेकिन आप में एक कमी है कि आप अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते हैं। आप दो महीने अंग्रेज़ी पढ़िए और सीखिए और फिर यहां पर आइये।" मैं कहना चाहता हूं कि यह कितने खेद का विषय है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर चीन या पाकिस्तान से युद्ध हो, तो अंग्रेज़ी वहां पर क्या काम आयेगी।

सरकार इस देश में अंग्रेज़ी को बनाए रखने की जो ज़िद कर रही है, उस का नतीजा यह है कि विद्यार्थियों को न तो हिन्दी आती है और न अपनी प्रादेशिक भाषा आती है। वे अंग्रेज़ी सीखने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस में भी वे पीछे रह जाते हैं, उस में भी परिपूर्ण नहीं हो सकते हैं। आज स्थिति यह है कि अंग्रेज़ी पढ़ने के चक्कर में हिन्दुस्तान

का शिक्षित आदमी किसी भी भाषा का विद्वान नहीं होता है और सब भाषाओं में वह त्रिशंकु की तरह बीच में लटका रह जाता है । इस स्थिति को समाप्त करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि अंग्रेजी के प्रति हमारा जो मोह है, हम उस को त्यागें ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फ़तेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस संशोधक विधेयक को लाने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी की भावना का जहां तक सम्बन्ध है, मैं उस का स्वागत करता हूं । परन्तु मुझे यह आशंका है कि इस संशोधक विधेयक के द्वारा सभी पुराने सदस्यों को दोबारा सदस्य मान लिये जाने की जो व्यवस्था की जा रही है, उस का परिणाम कहीं यह न हो कि उस संस्था में जो पुराने आपसी मतभेद थे, वहां पर जो दलबन्दी थी, वह फिर पैदा हो जाये । अभी अभी एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया कि उन सदस्यों के नामों की कोई निश्चित और कम्पलीट सूची अभी नहीं है । इस से और भी आशंका होती है कि कहीं पुराने सदस्य दोबारा आ कर इस संस्था को पार्टीबाज़ी की दलदल में डालने का प्रयत्न न करें । मैं समझता हूं कि इस ओर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाये कि जब यह संस्था एक राष्ट्रीय संस्था हो गई है, तो अब इस में दलबन्दी बिल्कुल न रहने पाये ।

जहां तक हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सम्बन्ध है इस में कोई शुबहा नहीं है कि जब इस को आरम्भ किया गया था, तो उस समय हिन्दी का कोई स्थान नहीं था । इस संस्था ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया । जब कभी भी इस विषय पर कोई चर्चा होती है, तो स्वर्गीय राजर्षि पुरूषोत्तम दास टंडन जी का स्मरण हो जाता है । उन्होंने तन-मन से इस संस्था को शुरू किया और इस को हर प्रकार से प्रोत्साहन दिया ।

इस सम्बन्ध में मैं विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि हिन्दी को प्रोत्साहन और मान्यता उस समय तक नहीं मिल सकती है, जब तक कि अंग्रेजी भाषा हमारे ऊपर है । आज से पंद्रह वर्ष पूर्व हम ने अपने संविधान में हिन्दी को अपनी राष्ट्र-भाषा माना था । अगर इस अवधि में सरकर इस तरफ़ पूरा ध्यान देती, उस का प्रचार और उस का प्रसार करने का पूरा प्रयत्न किया जाता, तो आज हमारे सामने यह प्रश्न न आता कि हम अंग्रेजी जुबान की अवधि बढ़ाने के लिए कोई बिल यहां पर लायें । मैं यह बात साफ़ तौर से कहना चाहता हूं कि आज हिन्दी भाषा के आगे बढ़ने के मार्ग में सब से बड़ी रुकावट यह है कि देश में अंग्रेजी भाषा का उपयोग हो रहा है और उस को मान्यता दी जा रही है । जब तक अंग्रेजी भाषा कायम रहेगी, उस को मान्यता प्राप्त रहेगी और हमारे देश में रोज़-मर्रा के काम अंग्रेजी भाषा में होंगे, तब तक हिन्दी भाषा को उस का उचित स्थान प्राप्त हीं हो सकता है ।

जब केन्द्रीय सरकार ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन को अपनाया है, तो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि यह संस्था सुचारु रूप से कार्य करे, इस के द्वारा हिन्दी भाषा को बड़ा बल मिले और हिन्दी का काम करने में जो कमियां हैं, उन को वह दूर करे । अभी हिन्दी साहित्य सम्मेलन का एक विशेष अंग परीक्षायें लेता रहा है । मेरा ज़ाती अनुभव है कि इस संस्था में वाद-विवाद और दलबन्दी इन परीक्षाओं के कारण आरम्भ हुए । अब जब कि इस संस्था को एक राष्ट्रीय संस्था बनाया गया है, तो इस के द्वारा परीक्षायें न ली जायें, बल्कि इस बात का प्रयास किया जाये कि इस के द्वारा हिन्दी भाषा की तमाम त्रुटियां और कमियां को

[श्री गौरी शंकर कक्कड़]

दूर किया जाये। विशेष तौर से इस बात का संकल्प कर लिया जाय कि हमारे संविधान में हिन्दी भाषा के लिए जो स्थान निश्चित किया गया था, वह स्थान उस को जल्दी से जल्दी प्राप्त हो।

इस बिल में एक साधारण सी व्यवस्था यह भी की गई है कि एलाउंस के अतिरिक्त वेतन भी दिया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संस्था का सम्बन्ध केवल साहित्य से है और किसी आर्थिक व्यवस्था या व्यवसाय से इस का कोई सम्बन्ध नहीं है तथा इस के पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है, तो फिर मुझे इस बात में संदेह है कि इस व्यवस्था के अनुसार कैसे कार्य किया जा सकेगा। मैं समझता हूं कि इस तरह की व्यवस्था इस में नहीं रखनी चाहिए। अगर इस संस्था का कोई निश्चित कोष हो जाये या उस का कोई व्यवसाय का तरीका निश्चित हो जाये, तो इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है। यह कहा गया है कि लोगों से डोनेशन्ज़ की रकम आयेंगी। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस संस्था की कोई निश्चित आमदनी नहीं है, तो फिर उस के ख़र्च की इस तरह से व्यवस्था करना ठीक मालूम नहीं होता है।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन का रूप ऐसा होना चाहिए, जिस से सभी प्रदेशों को इस के द्वारा बल मिले। मैं जानता हूं कि जो लोग हिन्दी का विरोध करते हैं, वे हिन्दी जुबान के विरोधी नहीं हैं, बल्कि उन के व्यक्तिगत स्वार्थ हैं और उन के मस्तिष्क में राजनैतिक उद्देश्य हैं, जिन के कारण वे इस का विरोध करते हैं। प्रान्तीय भाषायें अपने स्थानों पर रहें और उन को पूरा प्रोत्साहन मिले, लेकिन राष्ट्र-भाषा हिन्दी के लिए तो केन्द्रीय सरकार को सदन के सामने एक ऐसा विधेयक लाना चाहिए, जिस का उद्देश्य केवल यह हो कि हिन्दी भाषा को उस के विद्वानों के द्वारा हर तरह से प्रोत्साहन मिले।

जब केन्द्रीय सरकार ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन को एक कानूनी रूप दे दिया है, तो यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि हिन्दी की कोर्स की किताबों पर उस का नियंत्रण हो। कई स्थानों पर साधारण हिन्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि वह हिन्दी प्रयोग में लाई जाती है, जिस को क्लिष्ट हिन्दी कहते हैं। इन सब बातों का नियंत्रण इस संस्था के द्वारा किया जा सकता है। इस संस्था के द्वारा सरकारी काम में आने वाली पुस्तकें भी तैयार करवाई जा सकती हैं।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सदस्य लिए जा रहे हैं, उन को बहुत देख-भाल कर लिया जाये, ताकि दोबारा इस में दलबन्दी न आ जाये।

श्री बिशन चन्द्र सेठ (एटा) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल का जहां तक सम्बन्ध है, मैं इसका स्वागत करता हूं। दो एक बातें हैं, जिनकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने हिन्दी की जो सेवायें की हैं, उन पर पूर्व वक्ताओं ने काफी रोशनी डाली इस बारे में मैं अधिक कुछ कहना नहीं चाहता। मैं केवल यही याद दिलाना चाहता हूं कि महात्मा जी की बहुत बड़ी सेवा हिन्दी के क्षेत्र में रही है साथ ही जितने भी बड़े बड़े विद्वान संसार में हुए हैं, उन सभी ने इस बात को मान्यता दी है कि जिस देश की निज की कोई भाषा नहीं, उस देश में स्वाभिमान कभी भी जागृत नहीं हो सकता है। यह जो मूल तत्व है मानव जीवन का, इसकी ओर हमें

अनिवार्य ध्यान देना चाहिए । मैं समझ नहीं पाता कि इतना बड़ा विश्वासघात इस देश के साथ अगले सेशन में क्यों होने जा रहा है । आदरणीय टंडन जी ने अपना जीवन लगा कर जिस रेजोल्यूशन को इस सदन में पारित कराया, आज उन टंडन जी की आत्मा के खिलाफ . . . . .

अध्यक्ष महोदय : सेठ साहब, किसी शायर ने कहा है "मतर्स बलाए कि शब दर्म्यान अस्त" । अगले सेशन में आने वाली बात से क्यों आप डर रहे हैं ?

श्री बिशन चन्द्र सेठ : मैंने सोचा था कि मौका मुनासिब है और मैं गुजारिश कर दूं ।

मैं निवेदन कर रहा था कि यह बिल उसी का एक अंग है । कितना बड़ा विश्वासघात होने वाला है, इसको हमारे देश की सरकार को समझना चाहिये कि उसकी प्रतिष्ठा इसी बात में है कि इस सदन में जो भी बिल पास हो, उसको पूरी तरह से देश में मान्यता मिले । आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपके हुक्म को मानते हुए मैं इसको यहीं छोड़ता हूं ।

हां मैं यह बतलाना चाहता हूं कि पांच या दस साल हमारे विद्यार्थी जो अंग्रेजी पढ़ने में लगाते हैं और साथ ही साथ इतना ही समय ये कुछ हिन्दी पढ़ने में लगाते हैं तो उसके बाद कितना बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि अपनी भाषा में जो दस साल लगाता है, उसको तो सर्विस में कोई स्थान नहीं दिया जाता है लेकिन जो एक विदेशी भाषा में इतना समय लगा देता है उसकी बहुत भारी कद्र होती है । इसको देश का दुर्भाग्य न कहा जाए तो और क्या कहा जाए । इस स्थिति का अन्त होना चाहिए । इसको देख कर हैरानी होती है, आश्चर्य होता है ।

आज बार बार दुहाई दी जाती है कि मद्रास वाले, बंगाल वाले हिन्दी का विरोध करते हैं । मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि सभी लोग, यहां तक कि मद्रास और बंगाल वाले भी इसके विरुद्ध नहीं हैं । मैं वहां गया हूं और देखा है । जैसे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने निवेदन किया सत्यता से यह दुख की बात है कि राजनीतिक कारणों से ही वहां विरोध हो रहा है, जो हमारे सामने है । वस्तुत: हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा जितने विद्यार्थी पास किये गए हैं, उनमें मद्रास और बंगाल के विद्यार्थियों की संख्या ही सब से अधिक है । ऐसी स्थिति में कौन सा सबूत है कि इन प्रान्तों में हिन्दी को मान्यता नहीं मिली है ।

इसी के साथ साथ मैं एक और निवेदन कर देना चाहता हूं । हिन्दी का अगर सत्यता से हमारे मंत्री जी स्वागत करें, तो मेरा विश्वास है जितनी शिकायत हम सबको है, उसमें कोई अंश भी शेष न रहेगा । मगर बात इसके बिल्कुल विपरीत है । हिन्दी के लिए सत्यता से कोई भी स्थान नहीं है । सर्विस के लिए जो लोग जाते हैं, दिन भर दौड़ते हैं, तब उन्हें फार्म अंग्रेजी में दे दिये जाते हैं . . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री में सत्यता नहीं है या इरादा नहीं है ?

श्री बिशन चन्द्र सेठ : आपने तो मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया । अगर मैं यह कह दूं कि कैबिनेट का इरादा नहीं है तो ज्यादा मुनासिब होगा । माननीय मंत्री जी को मैं छोड़ देता हूं ।

हिन्दी का कभी भी किसी भी भाषा भाषियों ने विरोध नहीं किया है । हमारे देश में सोलह राज्य हैं । जिन राज्यों की जो भाषायें हैं, यह देख कर हम सभी को संतोष होगा कि उनका अधिक से अधिक प्रचार हो और यह होना भी चाहिये । अधिक से अधिक उनको मान्यता मिलनी ही चाहिये । परन्तु सारे देश के लिए एक ऐसी भाषा की हमें आवश्यकता है जो सभी जगह बोली जाती हों । यह कहते हुए हमें गर्व का अनुभव होता है कि चाहे किसी भी देश के भाग में आप चले जायें, हिन्दी बोलने वालों को कोई कष्ट नहीं होगा । तीर्थ करने के लिए जो लोग जाते हैं और जो हिन्दी नहीं जानते हैं,

[श्री बिशनचन्द्र सेठ]

उनको भी कोई कष्ट नहीं होता है। मद्रास के लोग आते हैं, दूसरे प्रान्तों के लोग हरिद्वार, गोला गोकर-नाथ इत्यादि में आते हैं, और कहीं भी हमने नहीं देखा या सुना कि एक प्रान्त का यात्री दूसरे प्रान्त में जाने के बाद भाषा न जानने के कारण, भोजन से वंचित रह गया हो, उसको सामान न मिला हो या कोई दूसरी चीज न मिली हो। ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझ पाता हूं कि हिन्दी की उपेक्षा क्यों की जा रही है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय का ही नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय नीति का ही यह दुष्प्रभाव है कि आज भी हिन्दी को उसका वास्तविक स्थान नहीं दिया गया और अंग्रेजी ही उस स्थान पर जम कर बैठी हुई है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकि) : अध्यक्ष महोदय .....

अध्यक्ष महोदय : बहुत कुछ कह दिया गया है, अब माननीय सदस्य मुख्तसिर ही बोलें।

श्री राम सेवक यादव : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। लेकिन साथ ही साथ दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आजादी के पन्द्रह वर्ष बीत गए हैं और आज तक हमारी राष्ट्रीय भाषा में इस सदन में कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सका है और हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक इसका ताजा प्रमाण है, जो कि हिन्दी से ही सम्बन्धित है।

जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो स्वतन्त्रता संग्राम के जो कर्णधार थे उन्होंने यह महसूस किया था कि अपनी भाषा या राष्ट्र भाषा की कितनी अधिक आवश्यकता है और उन्होंने आजादी की लड़ाई के साथ साथ भाषा के सवाल को भी अपने हाथों में लिया और हिन्दी साहित्य सम्मेलन उन्हीं की देन है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के पीछे स्वर्गीय राजर्षि पुरुषोत्तम दास जी टंडन और राष्ट्रपिता गांधी जी का भी हाथ था और उनको भी सम्मान का स्थान प्राप्त था। इस सम्मेलन ने राष्ट्र भाषा के प्रचार के बारे में देश में बहुत काम किया है और उसकी इस कार्य के लिए जितनी सरा-हना की जाए थोड़ी है। आज हम आजाद हैं और आज जितनी इस संगठन की आवश्यकता थी, उससे वह कहीं अधिक बढ़ जानी चाहिए थी इसका महत्व कहीं अधिक बढ़ जाना चाहिये था लेकिन वैसा नहीं हो पाया है। इसका कारण यह है कि जो कर्णधार आजादी की लड़ाई में लड़े थे, और जो तब भाषा की आवश्यकता को महसूस करते थे, वे आज बदल गए हैं और अब वे अंग्रेजी को ज्यादा महत्व देने लग गये हैं और राष्ट्र भाषा या प्रान्तीय भाषाओं का महत्व, उनकी आवश्यकता उनके सामने कम है। यही कारण है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन में बजाय काम करने के आपसी झगड़े खड़े हो गये हैं। उनका एक मुख्य कारण यह भी है कि आज उनके सामने जैसा आजादी के समय काम था, उस तरह का नहीं रह गया है। चारों तरफ अंग्रेजियत का वातावरण दिखाई देता है।

आज देश में जबर्दस्त प्रश्न खड़ा हो गया है और वह यह है कि जो यह प्रचार होता है खास तौर पर दक्षिण भारत में हिन्दी के इम्पीरियलिज्म का, हिन्दी के वर्चस्व का, उसके मूल में क्या है। जो असल सवाल है उसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिये। आज असल में सवाल अंग्रेजी का और देश की अन्य भाषाओं का है, क्षेत्रीय भाषाओं का है, राष्ट्र भाषा का है। आज हिन्दी बनाम क्षेत्रीय भाषाओं का सवाल पैदा करके जनता के सामने रखा जा रहा है। इसी कारण से यह विरोध नजर आता है। यदि इस सवाल को हम ठीक तरह से जनता तक ले जायें, चाहे फिर मद्रास की जनता हो, या मैसूर की जनता हो, तमिलनाड की हो या अन्य प्रदेशों की हो तो कोई भी विरोध नजर नहीं आयेगा। इस हिन्दी का नाम हिन्दुस्तानी भी हो सकता है। दरअसल कुछ मुट्ठी भर लोग ही विरोध

का प्रश्न पैदा करते हैं और वे अपने राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिये ही ऐसा करते हैं। कुछ निहित स्वार्थ वाले लोग हैं जो इस प्रश्न को उठाते हैं और उठा करके देश में एक तरह का आपसी विरोध पैदा करते हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज संकटकाल में हमको ज्यादा इंजीनियर्ज चाहियें, ज्यादा डाक्टर चाहियें, ज्यादा टेक्नीशियन चाहियें। कैसे हम अपनी इस जरूरत को पूरा कर सकते हैं जब हम एक विदेशी भाषा के साथ चिपके हुए हैं। इस विदेशी भाषा को एक परसेंट या अधिक से अधिक डेढ़ परसेंट लोग ही जानते हैं। किसी भी देश का उत्थान, किसी भी देश का निर्माण, किसी भी देश की प्रगति उसकी अपनी जुबान के द्वारा ही हो सकती है, विदेशी भाषा के जरिये नहीं हो सकती है। लेकिन दुखके साथ कहना पड़ता है कि आज जब कि हम संकटकालीन स्थिति में से होंकर गुजर रहे हैं, तब एक ओर तो हम इस विधेयक को लाते हैं, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के बारे में विधेयक लाते हैं जिस संस्था का मुख्य कार्य ही हिन्दी का प्रचार करना है, राष्ट्र भाषा का प्रचार करना है, लेकिन उसके साथ ही साथ दूसरी ओर यह कह दिया जाता है कि सरकार ने या मंत्री मंडल ने यह निश्चय किया है कि सन् १९६५ के बाद भी अंग्रेजी सहभाषा के रूप में राष्ट्र भाषा हिन्दी के साथ बनी रहेगी। इससे यही जाहिर होता है कि इरादा कुछ और ही है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब अंग्रेजी सहभाषा के रूप में बनी रहेगी तो जिस तरह से खोटे सिक्के का काम होता है कि जब कोई आदमी बाजार जाता है, एक अच्छा सिक्का लेकर और दूसरा नकली सिक्का या खोटा सिक्का लेकर तो उसकी यही चेष्टा रहती है कि नकली सिक्के को चालाया जाए, असली सिक्के को अपनी जेब में ही रखा जाए, वही चेष्टा अंग्रेजी की रहेगी। तो जब तक यह खोटी अंग्रेजी रहेगी तब तक असली हिन्दी का कभी प्रचार हो नहीं सकता, राष्ट्र भाषा का प्रचार हो नहीं सकता। मैं चाहूंगा कि जहां हम आज इस विधेयक को पारित करना चाहते हैं, और उसके लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई भी दूंगा, निवेदन है कि सरकार इस संकटकालीन स्थिति में अंग्रेजी को हिन्दी की सहभाषा बनाने का विधेयक लाने की हठवादिता को छोड़ दें। समझ में नहीं आता कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। क्या प्रधान मंत्री अंग्रेजी को चीन से लड़ने वाला हथियार समझते हैं कि वह और सब काम काज छोड़ कर इसके पीछे पड़े हैं। मैं चाहता हूं कि वह ऐसी हठवादिता न करें, और अगर वे ऐसा करते हैं तो वह दोषी होंगे और इस समय जो देश में शान्ति और एका कायम है उसमें विघ्न डालेंगे और देश में गृह युद्ध का सा वातावरण खड़ा कर देंगे।

तो मैं आज आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि जब सरकार हिन्दी साहित्य सम्मेलन संशोधन विधेयक लायी है तो उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि वह ईमानदारी से इसको चलावे और इस तरह की हठवादिता को छोड़े कि अंग्रेजी को सहभाषा के रूप में कायम रखा जाए। सरकार को अपनी यह हठवादिता खत्म कर देनी चाहिए। ऐसा होगा तभी इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

श्रीमती सरोजिनी महिषी (धारवाड़-उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी तो राष्ट्र भाषा नहीं बन सकी और बन भी नहीं सकती थी। अंग्रेजी राज्य भाषा बन गयी इसलिए यह आशंका होती थी कि यह राष्ट्र भाषा भी बन सकेगी। लेकिन अब तो हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है। राज्य भाषा न बनने के कारण उसको इतना प्राधान्य नहीं मिला था।

लेकिन स्वातन्त्र्य के बाद तो हमने अनुभव किया कि हिन्दी के बिना और हिन्दी को राष्ट्र भाषा के तौर पर और राज्य भाषा के तोर पर प्राधान्य दिये बिना हमारी राष्ट्र भाषा नहीं बन सकती, उसकी प्रगति नहीं हो सकती। इसीलिये स्वातन्त्र्य के बाद जो हिन्दी प्रचार की संस्थायें थीं जैसे दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार सभा तथा उत्तर भारत में हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इनको बड़ा प्राधान्य मिला और इनका महत्व भी बढ़ा। इनको अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इस बारे

[श्री सरोजिनी महिषी]

में भी कोई शक नहीं है । हमारे संविधान की जो विशिष्ट धारा है उसमें कहा गया है कि सरकार का सारा व्यवहार हिन्दी में हो ।

इससे मालूम होता है कि १५ वर्ष के बाद हिन्दी को अधिक प्राधान्य मिल सकेगा । लेकिन हम देखते हैं कि १५ वर्षों में जितनी प्रगति होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है । फिर भी हिन्दी की प्रगति करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए कुछ संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए और उसका अधिक से अधिक प्रचार करने के लिए एक समिति भी नियुक्त हो चुकी है । फिर भी हम देखते हैं कि प्रगति नहीं हो सकी है । इसका कारण यह भी हो सकता है कि जनता ने इसमें अधिक रुचि नहीं ली है या यह कारण भी हो सकता है कि इन संस्थाओं का काम ठीक तरह से नहीं हो सका है ।

कई वर्षों से इलाहबाद का हिन्दी साहित्य सम्मेलन अपना काम नहीं कर पा रहा है । यह अफसोस की बात है कि पिछले साल इस संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के तौर पर मान्यता मिल जाने पर भी यह अपना काम नहीं कर पा रही है । अभी मंत्री महोदय ने बतलाया कि कई वर्षों से यह संस्था काम नहीं कर सकी है । फिर भी इसको राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में मान्यता मिल चुकी है । ऐसा होने पर भी हम देखते हैं कि यह संस्था काम नहीं कर सकी । इसका अर्थ तो यह है कि यह मान्यता मिलने पर भी इसको पूरा प्रोत्साहन नहीं मिला । इसका एक कारण इसके अन्दर का संघर्ष भी हो सकता है और अन्य कारण भी हो सकते हैं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने बताया कि स्वातंत्र्य के पहले उसके सामने जो काम था वह आज कल उसके सामने नहीं है और इसीलिए इस संस्था में संघर्ष पैदा हो रहा है । यह कारण हो सकता है और यह भी कारण हो सकता है कि पुराने सदस्य स्वातंत्र्य के पूर्व जिस ढंग से सोचते थे आज उस ढंग से नहीं सोच सकते और नये मूल्यों को नहीं अपना सकते, इस लिए भी उसका काम नहीं हो रहा ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस में गुटबन्दियां हैं । इस कारण काम नहीं हो पाता । मैं समझती हूं कि हर संस्था के अन्दर कुछ न कुछ संघर्ष तो होता ही है । फिर भी उस संघर्ष के रहते हुए भी हम को सोचना पड़ता है । यह बड़ी संस्था पिछले कई दशकों से न केवल उत्तर भारत में वरन् दक्षिण भारत में भी काम कर रही है और इस ने बहुमूल्य सेवा की है । जिस संस्था ने स्वातंत्र्य के पहले इतनी सेवा की है उसको स्वातंत्र्य के बाद और अधिक सेवा करने का मौका मिलना चाहिए था ।

इस संस्था का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा भी हो सकता है । इसका काम केवल परीक्षाओं को चलाना, किताबों का प्रकाशन या किताबें लिखने वालों को मंगला प्रसाद पारितोषिक देने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि इसको प्रान्तीय भाषाओं में समन्वय लाने की भी कोशिश करनी चाहिए जैसे कि साहित्य अकादमी करती है । इस प्रकार इसका कार्यक्षेत्र बढ़ सकता है और अगर ऐसा हो जाये तो मैं समझती हूं कि यह संस्था अच्छा काम कर सकती है ।

हमारे सामने जो विधेयक है उसमें एक धारा मुख्य है । पिछले साल इस हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कानून को पास करते वक्त हमारे सामने सदस्यों की पूरी सूची नहीं थी । इसलिए कुछ लोगों का प्रवेश सदस्यों के तौर पर इस संस्था में नहीं किया गया । ऐसा माननीय मंत्री जी ने कहा । लेकिन उनके नामों की सूची नहीं मिली इसलिए उनका प्रवेश नहीं हो सका इसका समर्थन नहीं हो सकता । स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एंड रीजन्स में कहा गया है :

> "फिर भी किन्हीं प्रशासनीय कारणों से यह अनुभव किया गया कि समाज के सब वर्गों के सदस्य इस सम्मेलन के प्रथम श्रेणी के सदस्य नहीं होने चाहिएं ।"

इस से स्पष्ट है कि सामान्य सदस्य इस सम्मेलन के सदस्य न बन सके इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कारण भी थे। यह भी हो सकता है कि जब पुराने सदस्य नये सदस्य बनते हैं तो संस्था की आय भी बढ़ जाती है क्योंकि नये सदस्य नया चन्दा देंगे। फिर भी इन पुराने सदस्यों ने इस तरह सोचा कि हम को दोबारा सबस्क्रिप्शन नहीं देना चाहिये, उसके बिना ही हम को प्रवेश मिलना चाहिए, यह हमारा फंडामेंटल राइट है। इसलिए उन्होंने अदालत में अरजी पेश की और यह फैसला किया गया कि उन लोगों का यह मूलभूत अधिकार है। इसलिए मैं समझती हूं कि यह जो बिल पेश किया गया है यह संस्था की गतिविधियों में और उसके कार्य में ज्यादा सुविधा लाने के उद्देश्य से लाया गया है। अब मामूली सदस्यों को प्रवेश मिल गया। मैं समझती हूं कि इस के बाद तो संस्था अच्छी तरह चल सकेगी।

ओरिजिनल ऐक्ट में क्लाज ९ में कहा गया है :

केन्द्रीय सरकार का हाथ भी इसमें है और केन्द्रीय सरकार चाहती है कि यह संस्था अच्छी तरह काम करे और सरकार की इसके साथ सहानुभूति है, इसलिए मैं समझती हूं कि इसके बाद यह संस्था अच्छी तरह काम कर सकेगी।

माननीय सदस्यों ने एक प्रश्न उठाया है कि कंसालिडेटेड फंड से वेतन वगैरह दिया जायेगा। लेकिन मैं समझती हूं कि जिस तरह इस तरह की अन्य संस्थाओं को मदद मिल जाती है, सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्थाओं को ग्रांट्स इन एड मिल जाती है और दूसरे वालंटियर इंस्टीट्यूशन्स को जिस तरह मदद मिल जाती है, उसी तरह इस संस्था को भी मदद मिल जायेगी। लेकिन केवल कंसालिडेटेड फंड से दिया जायेगा, यह तो गलत भावना है। डोनेशन्स भी हो सकते हैं, कांस्टीट्यूशन्स भी हो सकते हैं और हिन्दी के चाहने वाले लोग भी हैं जो मदद दे सकते हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि यह संस्था अपने कार्य को अधिक फैलावे और इस के साथ जो सरकार की सहानुभूति है उसका इस्तेमाल करे।

मैं आशा करती हूं कि यह संस्था बहुत प्रगति करेगी।

> "सदस्यों को वे भत्ते जो निश्चित किये जायें और जब तक ये निश्चित न किये जायें वे भत्ते जो इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा उल्लिखित हों सम्मेलन की निधि में से दिये जायेंगे"

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का समर्थन करते हुए मैं हिन्दी के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। मैं सिर्फ़ यह पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों के आने से पहले क्या इस देश की राष्ट्र-भाषा अंग्रेजी थी। मुसलमानों के आने के साथ उर्दू आई और अंग्रेजों के साथ यह इंगलिश आई और तब से ही यह इस देश में प्रचलित हुई। माननीय मंत्री जी को मालूम होगा कि आज पढ़ने वाले लड़कों में से पचास परसेंट से भी ऊपर इंगलिश में फ़ेल होते हैं। आज-कल स्थिति यह है कि अगर किसी बी० ए० पास लड़के को भी अंग्रेजी में कोई एप्लिकेशन लिखने के लिए कहा जाये, तो वह भी उस को शुद्ध नहीं लिख सकता है, क्योंकि वह उस की मातृभाषा नहीं है।

[श्री विश्राम प्रसाद]

यह कहा जाता है कि इंगलिश ऐसी भाषा है, जिस को छोड़ देने से हमारी टेक्निकल प्रगति में दिक्कत होगी। जिस वक्त इस देश में बाण और विमान बनाये जाते थे, तो उस वक्त यहां पर कौन सी इंगलिश थी ? हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे टेक्निकल आदमी हैं, जिनका अंग्रेजी का ज्ञान अच्छा नहीं है और इसलिए वे अच्छी टेक्निकल किताबें नहीं लिख सकते हैं। पैदा होने के बाद बच्चा हिन्दी या अपनी मातृभाषा पढ़ता है। आप शब्दों को ले लीजिये। बी यू टी तो बट होता है, लेकिन पी यू टी पुट होता है। उन के उच्चारण में बहुत फ़र्क है। शब्द "नालेज" को इस प्रकार लिखा जाता है : के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई। बच्चे बीस दफ़ा उस को रटते हैं, लेकिन फिर भी उन की स्पेलिंग शुद्ध नहीं होती है।

अंग्रेज़ों ने अपने देश की शिक्षा को यहां पर प्रचलित करने के लिए अंग्रजी माध्यम रखा और यह निश्चित किया कि जो अंग्रेज़ी पढ़गा, उस को नौकरी मिलेगी। क्या यह सरकार यह नहीं कर सकती थी कि हम इस देश में हिन्दी माध्यम रखेंगे और जो हिन्दी जानता होगा, उस को ही नौकरी दी जायेगी ? अगर हिन्दी को बढ़ावा देना है, तो उस को प्राथमिकता देनी होगी। तभी हिन्दी चल सकती है। लेकिन आज-कल जो खिचड़ी-भाषा की पद्धति चल रही है, वह ठीक नहीं है। आज-कल कहा जाता है कि आधी हिन्दी पढ़ो और आधी अंग्रेज़ी पढ़ो और इस का परिणाम यह है कि विद्यार्थी न तो हिन्दी पढ़ सकते हैं और न अंग्रेज़ी और वे किसी भी विषय के ज्ञाता नहीं हो सकते हैं।

एक दफ़ा हम लन्दन की सड़क पर घूम रहे थे। वहां पर दो हिन्दुस्तानी अंग्रेज़ी में बात-चीत कर रहे थे। एक अंग्रेज़ ने हंस कर कहा कि यह कितने शर्म की बात है कि जब हिन्दुस्तानी आपस में मिलते हैं, तो भी इंगलिश में ही बात करते हैं। यहां की मातृभाषा हिन्दी है, लेकिन उस को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। केवल दिखाने के लिए कहा जाता है कि हिन्दी हमारी मातृभाषा है। पहले यह निश्चय किया गया था कि १९३५ के बाद हिन्दी चलेगी और अब कहा जा रहा है कि १९७५ के बाद चलेगी। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक कोई देश अपनी मातृभाषा को नहीं अपनाता है, तब तक वह कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है, चाहे किसी मायने में देख लिया जाये, चाहे साईन्स के क्षेत्र को देखा जाये या किसी और क्षेत्र को। अंग्रेज़ी के शब्द "एक्सीक्यूटिव इंजीनियर" को देख लीजिये। उस की हिन्दी है "अधिशासी अभियन्ता"। अगर एक लड़का पांच साल इंगलिश पढ़ने में लगाये और वही लड़का पांच साल हिन्दी में लगाये, तो वह हिन्दी का ज्यादा अच्छा ज्ञाता हो सकता है बनिस्बत इंगलिश के। अगर सरकार यह कह दे कि केवल इंगलिश ही पढ़ाई जाये और हिन्दी या कोई प्रादेशिक भाषा नहीं पढ़ाई जायेगी, तो भी देश के बच्चे ज्यादा तरक्की कर सकते हैं और देश कामयाब हो सकता है। १९६५ के बाद भी अंग्रेज़ी को बनाये रखने के लिए जो विधेयक आने वाला है, उस से अच्छा तो यह हो कि यह सदन पास कर दे कि इस देश की राज-भाषा इंगलिश रहेगी। हिन्दी या दूसरी लोकल लैंग्वेजिज़ को रखने से क्या फ़ायदा है ? सिर्फ़ अंग्रेज़ी ही रखी जाये।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और यह आशा करता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी रीयल सेन्स में हिन्दी को बढ़ाना चाहते हैं, तो वह इस देश में हिन्दी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने की व्यवस्था करेंगे।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज): उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दी साहित्य सम्मेलन (संशोधन) विधेयक एक बहुत ही सीधा-सादा विधेयक है। इस में अधिक बहस की गुंजाइश नहीं है, लेकिन जब कभी भी हम लोगों को अपने विचारों को रखने का मौका मिलता है, तो संगत हों या असंगत, हम रख ही देते हैं। इस बहस में बहुत सी ऐसी बातें कही गईं, जिन का इस विधेयक से कोई

सम्बन्ध नहीं है। कुछ राजनैतिक दृष्टिकोण से, कुछ दलगत दृष्टिकोण से और कुछ सरकार को बदनाम करने के दृष्टिकोण से भी बातें कही गई हैं। मैं बहुत गौर से माननीय सदस्यों की स्पीचों को सुन रहा था। यह कहा गया कि न मद्रास में और न बंगाल में, कहीं भी हिन्दी का कोई विरोध नहीं है। हम ने कई बार देखा कि . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यहां इंगलिश हिन्दी पर वाद-विवाद नहीं हो रहा।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : किन्तु कुछ बातें कही गयीं है जिनका मैं उत्तर देना चाहता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य उन का उत्तर न दें।

श्री हरि विष्णु कामत : जो नियम मिनिस्टर साहब पर लागू हैं, वही उन पर लागू होना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्योंकि कुछ दूसरे सदस्यों ने इस का उल्लेख किया है इसलिये इस का यह अर्थ नहीं कि माननीय सदस्य भी वही गलती करें।

श्री द्वा० ना० तिवारी : चूंकि और लोगों को एलाउ किया गया तो मुझे भी एलाउ किया जाय, ताकि मैं उन को जवाब दे सकूं।

श्री हरि विष्णु कामत : पक्षपात करना ठीक नहीं है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : बंगाल और मद्रास में हिन्दी का विरोध अधिक है, लेकिन कहा जाता है कि इस का विरोध कहीं नहीं है। संसद् में कई बार इस विषय पर चर्चा हुई और हम लोगों ने देखा कि मद्रास या साउथ से और बंगाल से आने वाले माननीय सदस्यों ने हिन्दी का विरोध किया और कहा कि हिन्दी को अभी राज भाषा या राष्ट्र भाषा न बनाया जाये। मैं मानता हूं कि इस में कुछ राजनैतिक दृष्टिकोण भी हैं। हम जानते है कि श्री राजगोपालाचारी हिन्दी के इतने समर्थक थे और उन की वजह से मद्रास में बहुत जोरों से हिन्दी चली, हिन्दी की कई परीक्षायें हुई—वे अब भी होती हैं और लोग वहां ज्यादा संख्या में हिन्दी सीखते है;—लेकिन फिर भी उन्होंने हिन्दी का विरोध किया। उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि इस में राजनैतिक दृष्टिकोण है। वे समझते हैं कि हिन्दी के सरकारी भाषा हो जाने के बाद शायद मद्रास या दक्षिण के और प्रदेशों का सर्विसिज में महत्व कुछ कम हो जायेगा और वहां के कम लोग आल इंडिया सर्विसेज में आयेंगे।

अगर हम लोग और यह सरकार यह चाहते है कि हिन्दी राष्ट्र-भाषा बन जाये और सब लोग इस भाषा में काम करें, तो हम सब को उस मूल कारण को दूर करना है जिस को ले कर हिन्दी का विरोध होता है। हम लोगों को यह तय कर देना चाहिये कि आल इंडिया सर्विसिज में अमुक प्रान्त के इतने लोग रहेंगे और इस प्रकार हर एक प्रान्त का परसेन्टेज तय कर देना चाहिये। इस का परिणाम यह होगा कि अगर हिन्दी भाषी प्रान्तों के लोग हिन्दी की परीक्षा दूसरों की अपेक्षा ज्यादा अच्छी तरह भी पास कर लेंगे तो भी उन को अपने परसेन्टेज से अधिक स्थान नहीं मिल सकेंगे। अगर दूसरों को हिन्दी के ज्ञान में कोई न्यूनता या कमी भी रही और अगर वे अंग्रेजी अच्छी जानते हों, तो उन को भी सर्विस मिल जायेगी। इसलिये मैं समझता हूं कि विभिन्न प्रदेशों का सर्विसेज में परसेन्टेज तय कर देने से हिन्दी का विरोध कुछ कम हो जायेगा और राजनैतिक दृष्टिकोण से देखने वाले लोगों का विरोध तो एक दम कम हो जायेगा। इस तरह हम लोग भी बदनाम नहीं होंगे, जो कि हिन्दी के समर्थक हैं और जिनके बारे में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री द्वा० ना० तिवारी]

कहा जाता है कि ये हिन्दी इम्पीरियालिस्ट्स और फैनेटिक्स है और ये हिन्दी की ज्यादा बुराई कर रहे हैं बनिस्बत भलाई के और ये हिन्दी की प्रगति नहीं होने देना चाहते हैं, आदि। इस प्रकार दूसरे लोगों को भी संरक्षण मिल जायेगा और हिन्दी की भी प्रगति होगी।

जिस मूल कारण से हिन्दी का विरोध हो रहा है, उस को दूर करना जरूरी है, अन्यथा गवर्नमेंट और मंत्री महोदय के चाहने पर भी हिन्दी की अधिक प्रगति नहीं हो सकती है। इसलिये हम लोगों को मूल कारण को हटा देना होगा, तभी हम लोग प्रगति कर सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं व्यवस्था के मुद्दे पर आप का आदेश चाहता हूं--मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। इस समय जबकि शिक्षा मंत्री महोदय बहस का जवाबी भाषण करने जा रहे हैं, इस सदन में संसद् सदस्यों की न्यूनतम संख्या उपस्थित नहीं है। इस सदन में न्यूनतम संख्या, क्वोरम, होना चाहिये। उस की व्यवस्था की जाये।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : यह जो एमेंडिंग बिल लाया गया है, इस का मैं स्वागत करता हूं। इस का स्वागत करते हुए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस सम्मेलन को एक नेशनल इंस्टीट्यूशन घोषित किया गया है, इसी के साथ साथ दक्षिण में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा है जो कि तकरीबन चालीस साल से काम करती आ रही है, लेकिन उस के द्वारा जो एग्जामिनेशन वगैरह होते है, उस को आज तक भी जिस तरह से हिन्दुस्तान में मान्यता मिलनी चाहिये थी नहीं मिली है और इस ओर ध्यान दिये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। दक्षिण के बहुत से माननीय सदस्य यहां पर हैं और उन में से कम से कम ६० या ७० परसेन्ट हिन्दी अच्छी तरह जानते हैं और बोल भी सकते हैं, बात कर सकते हैं लेकिन उत्तर के जितने माननीय सदस्य हैं, उन में से मैं पूछना चाहता हूं कि वे कोई भी दक्षिण की भाषा किसी हद तक जानते हैं।

जहां तक इम्तिहानों का सम्बन्ध है दक्षिण के लोगों के बारे में यह तो कहा जा सकता है कि उन का स्टैण्डर्ड शायद कम होगा। लेकिन यह उसी तरह से है जिस तरह से हिन्दुस्तान के लोग जो अंग्रेजी पढ़ते हैं और ग्रेजुएट बनते है, उन का विलायत या इंगलैंड के ग्रेजुएट से स्टैण्डर्ड कम होता है। उन का विलायत वालों के बराबर स्टेण्डर्ड शायद नहीं होगा। इसी तरह से दक्षिण में हिन्दी का स्टैण्डर्ड वैसा न रहा हो जैसा होना चाहिये तो भी वहां की दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा को जितनी मान्यता दी जानी चाहिये उतनी मान्यता अगर नहीं दी जाती है तो वहां के लोगों की इस में दिलचस्पी उस हद तक नहीं हो सकती है जिस हद तक कि होनी चाहिये। हमारी कोशिश यह होनी चाहिये कि उन की हर प्रकार से मदद की जाये। इस वास्ते मैं मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि जल्द से जल्द वह दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के ऐग्जामिनेशन्स को मान्यता दें और इस सदन में एक नया बिल यदि वे पेश करें तो बहुत ही अच्छा होगा।

डा० का० ला० श्रीमाली : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, इस का बहुत ही सीमित सा लक्ष्य है और जो संशोधन मैंने पेश किये हैं उन के सम्बन्ध में जहां तक मैं समझ पाया हूं कोई विवाद नहीं है। जो प्रश्न उठा वह हिन्दी अंग्रेजी का उठा है और कहा गया है कि हिन्दी की प्रगति काफी नहीं हो रही है। ये सब प्रश्न इस बिल से सम्बन्धित नहीं हैं जब कभी हिन्दी भाषा का प्रश्न आता है तो चूंकि वह भावनाओं से सम्बन्धित है, इसलिये स्वभावतः वह प्रश्न उठ जाता है। परन्तु जहां तक इस हिन्दी साहित्य सम्मेलन बिल का सम्बन्ध है और जो संशोधन सदन के सामने रखा गया है, उस का लक्ष्य बहुत ही सीमित है।

दो एक माननीय सदस्यों ने कुछ आशंकायें उठायी हैं। उन के अलावा जो बहस हुई है उस सब का इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये मैं केवल उन्हें सम्बन्धित प्रश्नों का जवाब देना चाहता हूं और बाकी जो प्रश्न उठाये गये हैं मैं समझता हूं कि उन का उत्तर इस वक्त देने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

एक प्रश्न माननीय प्रकाशवीर शास्त्री जी ने उठाया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा न हो कि इस बिल के बाद हिन्दी साहित्य सम्मेलन दासी बन जाए। मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का यह कभी मंशा नहीं है कि वह अपना आधिपत्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन पर जमायें या किसी और तरह से उस के ऊपर दबाव डालें। हमारी कोशिश यह है जो सेवा हिन्दी साहित्य सम्मेलन कर रहा था हिन्दी जगत में, हिन्दी के क्षेत्र में वह सेवा वह करता चला जाये। जो बिल आप के सामने रखा गया है उस का मंशा भी यही है कि गवर्निंग बाडी या प्रबन्ध समिति जो नियुक्त की गई है, छः महीनों में वह एक विधान बनाये सारे नियम वगैरह जब बन जायें तो यह गवर्निंग बाडी या प्रबन्ध समिति खत्म हो जाए और उस के बाद नया विधान चालू हो जाए। गवर्नमेंट का कोई मंशा नहीं है कि वह किसी प्रकार का हस्तक्षेप करे उस संस्था के काम में क्योंकि हमारा विश्वास है कि जो इस तरह की संस्थायें होती हैं, उन को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिये। जितना भी रचनात्मक काम होता है उस में गवर्नमेंट का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिये। जहां अराजकता हो जाए, जहां धन का दुरुपयोग हो जाए, जहां अपने लक्ष्य से संस्थायें च्युत हो जायें तो फिर सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि उन को ठीक रास्ते पर लाये। जो इस वक्त विधेयक लाया गया है उस का भी मंशा यही है कि यह संस्था काम करती रहे। कि यह संस्था अपने उद्देश्य से च्युत हो गई थी, इस वास्ते विधेयक को लाना पड़ा। ज्योंहि इस का विधान बन जायेगा काम इस संस्था को सौंप दिया जायेगा।

दो एक बातें उठाई गई और कहा गया है कि पुराने मैम्बर क्यों हों। जब सम्मेलन को वापिस जीवित करना है तो जो पुराने मैम्बर पहले हैं, उन को देखना पड़ेगा और इसी दृष्टि से यह विधेयक लाया गया है। मुझे बड़ी खुशी है कि सभी माननीय सदस्यों ने इस का स्वागत किया है और इस के लिये मैं उन को धन्यवाद देना चाहता हूं ।

दो एक अमेंडमेन्ड्स भी रखी गई हैं। श्री कामत जो संशोधन पेश कर रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि वह उन पर ज्यादा जोर नहीं डालेंगे क्योंकि जहां तक एक शब्द का प्रश्न है "इम्मिडियेटली", हमारा मंशा यह है कि जितने भी प्रेजीडेंट्स हैं पुराने और जितने लोगों को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है वे सभी इस के मदस्य हों और ऐसी सूरत में इम्मिडियेटली शब्द लगाने से कोई लाभ नहीं है ।

दूसरे जहां तक सेलरी का प्रश्न है, कोई सैलरी दे देंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ उस के लिये प्राविजन रखा गया है। छः महीने ; या जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस गवर्निंग बाडी का काम खत्म हो जाये ऐसी हम आशा करते हैं। हिन्दी साहित्य सम्मलन का जो नया रूप बनने वाला है, उस में वह अपना काम ठीक तरह से कर सकें, इसी दृष्टि से यह विधेयक लाया गया है और मैं आशा करता हूं कि सदन इस को अपनी अनुमति देगा और इस को पास कर देगा। हिन्दी साहित्य सम्मेलन फिर से जिस तरह से उस ने पुराने जमाने में सेवायें की हैं, वैसी ही सेवायें करे और उस के मार्ग में कोई बाधायें उत्पन्न न हों, ऐसी हम सब को आशा करनी चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष** महोदय : प्रश्न यह है :

"हिन्दी साहित्य सम्मेलन अधिनियम, १९६२ में संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गए रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा अब इस पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी ।

खंड २६ (धारा ४ का संशोधन)

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मूल विधेयक अंग्रेजी में है, इसलिये मेरा संशोधन भी अनिवार्य रूप से अंग्रेजी भाषा में ही है । उस संशोधन संख्या ४ को मैं आप के सामने पेश कर रहा हूं ।

मेरा संशोधन, उपाध्यक्ष महोदय, मूल जो विधेयक है, मूल जो कानून है, उस पर आधारित है । मूल कानून की जो धारा ४ है, उस की तरफ मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

मैं चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री महोदय इस तरफ गौर करें । जैसा शिक्ष मंत्री महोदय ने कहा है कि इस पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन धारा २ की जो वाक्य रचना है, वह दुरुस्त नहीं है और उस में काफी सुधार की गुंजाइश है । उस की एक वजह यह है कि इस में जो यह वाक्यांश हैं नियुक्त दिन के पूर्व इस की दो बार पुनरावृत्ति हुई है । मैं समझता हूं कि आप इस पर विचार करेंगे । पहले अनुच्छद (ए) में है नियुक्त दिन के पूर्व फिर अनुच्छेद (बी) में है नियुक्त दिन के पूर्व उस के बाद अनुच्छेद (सी) में है नियुक्त दिन के पूर्व । इस पुनरावृत्ति के बजाय अगर यह वाक्यांश पहले ही आ जायें, जैसा कि मैं ने प्रस्तुत किया है, अपन संशोधन में, तो मेरे ख्याल से वह ज्यादा उचित और ठीक होगा । इस लिये मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं और पूरी आशा करता हूं, बल्कि विश्वास करता हूं, कि शिक्षा मंत्री महोदय और सदन उस क. स्वीकार करेंगे ।

डा० का० ला० श्रीमाली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने तो इस जवाब दे दिया था । मैं इस को इस लिये नहीं स्वीकार कर रहा हूं कि जितने भी इस के भूतपूर्व प्रेजिडेंट हैं और जिन लोगों को मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला है, वे इस के सदस्य हैं । इस लिय यह शब्द बढ़ाने आवश्यक नहीं हैं । बल्कि जो मेरा संशोधन विधेयक है वह पहले की भाषा से ज्यादा अच्छा है । इस लिये मैं चाहूंगा कि सदस्य महोदय इस संशोधन पर ज्यादा जोर न दें ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४ मतदान के लिये रखा गया

लोक सभा में मत विभाजन हुआ : पक्ष में १८; विपक्ष में ४६ ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ४—धारा ६ का संशोधन

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मेरा संशोधन है वह अत्यन्त सरल, सहल और उपयुक्त है । इस संकटकालीन परिस्थिति में हमारे वित्त मंत्री ने अभी हाल में कई बार सलाह दी है कि खर्चा बढ़ाना नहीं चाहिये और भत्ते और वेतनों में वृद्धि नहीं होनी चाहिये, और जब तक संकटकालीन स्थिति दुर्भाग्यवश जारी रहेगी, आप भी और सदन के सदस्य भी इस से सहमत होंगे कि वेतनों और भत्तों में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिये । ऐसा होना अनुपयुक्त है । मेरे संशोधन का आशय केवल इतना ही है कि इस विधेयक की धारा ४ के अनुच्छेद (२) में जो वेतन का उल्लेख है "**सैलरीज आर अलाउंसेंज और बोथ**" उस में से सैलरी को हटा देना चाहिये । चूंकि इस सदन ने भी इस का फैसला किया है कि संकटकालीन स्थिति में इन भत्तों और वेतनों में कोई बढ़ती नहीं होनी चाहिये। अतएव मेरा आप से निवेदन है और शिक्षा मंत्री से भी निवेदन है कि इसे हटा दिया जाय, और मेरा अपना विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य इस से सहमत होंगे ।

डा० का० ला० श्रीमाली : उपाध्यक्ष महोदय, जिस भावना से श्री हरि विष्णु कामत ने संशोधन रक्खा है उसको मैं मानता हूं । लेकिन प्रश्न यह है कि एक संस्था का काम जब चलता है, जिस की शाखायें सारे देश में फैली हुई हों और परीक्षायें होती हों, तो सम्भवतया एक दो आदमी इस तरह के रखने पड़ें जिनको बराबर काम करना पड़े और वक्त देना पड़े । फिर उन के लिये कुछ तन्ख्वाह दना भी जरूरी हो जाता है। हम कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सके वह इसे एक सार्वजनिक संस्था समझ कर अवैतनिक रूप से काम करे और इसी तरह से जो गवर्निंग बाडी के सदस्य हों वे भी अवैतनिक रूप से काम करें और उन को कुछ तत्ख्वाह देनी न पड़ें, लेकिन यह एक एनेबलिंग प्राविजन है । छः महीने में यह गवर्निंग बाडी समाप्त हो जायेगी फिर सारी कार्रवाई और ढंग से होगी । फिर भी हम चाहते हैं कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन ठीक ढंग से काम कर सके । इसके लिये केवल प्राविजन रक्खा गया है । यह नहीं है कि हम तन्ख्वाह दे ही देंगे । जहां तक हो सके, हम आशा करेंगे कि लोग अवैतनिक रूप से काम करें, लेकिन अगर संस्था के हित में आवश्यक समझा गया तो हम तन्ख्वाह भी दे सकेंग ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं । क्या मंत्री महोदय विश्वास दिला सकेंगे कि जब तक इमरजेंसी जारी रहेगी तब तक वेतन नहीं दिए जायेंगे ।

डा० का० ला० श्रीमाली : काम देखा जाएगा । हमारा दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि इमरजेंसी में भी काम का नुकसान न हो । हिन्दी साहित्य सम्मेलन का काम होना जरूरी है । हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए । मैं आश्वसन दे सकता हूं कि जहां तक हो सकेगा हम अवैतनिक रूप में इस काम को करवायेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं अपने अमेंडमेंट पर जोर नहीं देना चाहता । वाइस वोट लें लिया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १—(संक्षिप्त नाम) ।

संशोधन किया गया

पृष्ठ १, पंक्ति ४,—

"1962" ["१९६२"] के स्थान पर "1963" ["१९६३"] रखा जाये (२)

[डा० का० ला० श्रीमाली]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कृषि पुनर्वित निगम विधेयक

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, श्री मोरारजी देसाई की ओर से मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कृषि के विकास के लिए पुनर्वित्त के रूप में अथवा अन्यथा मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण देने के लिए एक निगम की स्थापना और तत्सम्बन्धी अथवा आनुषंगिक अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह पहला ही समय नहीं है जब कि कृषि वित्त से सम्बधित विधेयक सभा के सामने लाया गया है । ग्राम-ऋण, सहकारी विकास, भांडागार और सहकारिता आन्दोलन के लिए संशोधनों का उपबंध करने तथा सामान्यत: उसे सबल बनाने में रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक के योगदान से सम्बन्धित प्रश्न समय-समय पर इस सभा तथा दूसरी सभा के सम्मुख लाए गये हैं । सन् १९५४ में ग्राम-ऋण सर्वेक्षण के प्रतिवेदन के प्रकाशित होने के पश्चात् सभा को, दो विधेयकों के सम्बन्ध में, जिन्हें उसने बाद में स्वीकृत कर लिया था, कृषि के विकास से सम्बन्धित सभी समस्याओं

---

†मूल अंग्रेजी में

पर विचार करने का अवसर भी मिला था । उनमें से पहला विधेयक दीर्घकालीन कार्यों एवं स्थायिकरण निधि की स्थापना के लिए भारत का रक्षित अधिकोष अधिनियम में संशोधन करने और दूसरा सहकारी विपणन एवं परिष्करण में उन्नति करने तथा भांडागारों की स्थापना करने के संबंध में था। अभी हाल ही में सभा ने सन् १९५६ में किए गये प्रबन्धों में आंशिक रूपभेद करते हुए, सहकारिता के विकास में, विशेषतया परिष्करण और विपणन के क्षेत्र में, उन्नति करने तथा भांडागारों की स्थापना तथा पर्यवेक्षण के लिए दो स्वतन्त्र निगम निकायों की स्थापना के लिए अपनी सहमति दे दी है ।

प्रस्तुत विधेयक द्वारा एक सर्वथा नई संस्था बनाने का प्रयास किया गया है । चूंकि यह संस्था अखिल भारतीय शीर्ष सहकारी बैंक से, जिसका सुझाव गत वर्षों में समय समय पर दिया गया है, कुछ भिन्न होगी और चूंकि इस संस्था की स्थापना का निश्चय ग्राम ऋण सर्वेक्षण प्रतिवेदन की सिफारिशों से भी कुछ सीमा तक भिन्न है मैं उन परिस्थितियों का जो हमारे मत में एक नई निगम की स्थापना के औचित्य को सिद्ध करते हैं संक्षेप में वर्णन करूं तो वह इस विषय में सहायक सिद्ध होगा ।

जैसा कि सभा को विदित है, पिछले कुछ वर्षों से कृषि प्रयोजनों के लिए मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता काफी बढ़ गई है । यद्यपि मौसमी कृषि कार्यों की वित्त-व्यवस्था के लिए अल्पकालीन ऋण अब भी अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, ये वास्तव में वार्षिक ऋणों के समान ही हैं जिनका भुगतान या नवीकरण मौसमी कार्यों के समाप्त होने तथा फसलों को इकट्ठा करने के पश्चात किया जा सकता है ये ऋण बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, स्वयं में, पर्याप्त साधन नहीं रहे हैं और वे हमारे विचार में कृषि के विकास के लिए संतोषप्रद ऋण आधार की व्यवस्था भी नहीं करते । न तो वे समुचित संसाधनों की ही व्यवस्था करते हैं और न उन सुविधाओं की ही जिन्हें हम इस देश के कृषि-वर्ग को उपलब्ध कराना चाहते हैं ।

१८ माह से ५ वर्षों की अवधि तक के लिए एक काफी बड़ी राशि की उदाहरणार्थ १०० करोड़ रुपये की, सम्भवतः आवश्यकता होगी और इसे अगले चार या पांच वर्षों के लिए उपलब्ध कराना पड़ेगा और इसी के साथ साथ ५ वर्षों से अधिक के ऋण की भी आवश्यकता होगी और इस ऋण की राशि, जैसा की इस समय, तीसरी योजना की समाप्ति के समय, हमारा विचार है, १५० करोड़ रुपया होगी ।

मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण के लिए इस बड़ी हुई मांग के एक बड़े भाग की पूर्ति शीर्ष सहकारी तथा भूमि बन्धक बैंकों द्वारा अपनी स्वयं की निधियों से अथवा साधारण या ग्राम ऋण-पंचों को चला कर अथवा रिजर्व बैंक की दीर्घकालीन कार्य निधि से, जिसके कार्य संचालन से सभी भली भांति अवगत है, शीर्ष सहकारी अथवा शीर्ष भूमि बन्धक बैंकों द्वारा उधार दिलवा कर की जायेगी । किन्तु इन संस्थाओं को उपलब्ध संसाधन फिर भी सीमित हैं और हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के तेजी से होते हुए विकास तथा विभिन्नताओं के संदर्भ में वर्तमान संस्थाओं के ढांचों की कुछ अन्य कमियां भी प्रकाश में आई हैं ।

अब कुछ कारण ऐसे हैं जिनसे यह विश्वास किया जाता है कि विशेष संस्थाओं के स्थापित किए बिना कुछ परियोजनाओं की विशेषतया दीर्घकालीन परियोजनाओं की, वित्त व्यवस्था के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे ।

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

आज कृषि का विकास केवल उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, और न ही ऐसी आशा की जा सकती है, जो सहकारी संस्थाओं के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। संभावना है कि कुछ व्यक्तिगत योजनाओं पर लागत काफ़ी अधिक आयेगी। किन्हीं एक योजनाओं में यह संभवतः ५० लाख रुपये तक की जा सकती है। मैं यह और भी कहना चाहती हूं कि अनन्य रूप से हमारा ध्यान आकर्षित करने वाले अब कृषि ही के कार्य नहीं रह गये हैं। सम्बन्धित अथवा सम्बद्ध क्षेत्रों में वित्त इतना ही आवश्यक या लाभप्रद हो सकता है। फिर भी वैधिक उपबन्ध, जिनके अनुसार इस समय सहकारी भूमि बन्धक बैंकों का कार्य संचालन हो रहा है, और उनके कार्य संचालन की परम्परा कुछ ऐसी है कि जहां उनके लिए भू-सम्पत्ति स्वत्वों को बन्धक रख कर रुपया उधार देना आसान है, ऐसे क्षेत्रों में जैसे पशु-पालन, दुग्धशाला या नौवहन अथवा नदियों से मछली पकड़ना या मुर्गी-पालन आदि की वित्त-व्यवस्था करना उनके लिए असंभव है।

जहां पर विकास योजनाएं, चाहे वे कृषि क्षेत्र में हों अथवा सम्बद्ध क्षेत्रों में, ऐसी हैं कि अपेक्षाकृत अधिक समय तक जैसे २० या २५ वर्ष तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है, किसानों को अथवा सम्बन्धित व्यक्तियों को अनगिनती कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे उधारों के प्रयोजन के लिए शीर्ष सहकारी बैंकों का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वे दुग्धशाला या पशु पालन या मुर्गी-पालन के विकास के लिए वित्त प्राप्त करने को शीर्ष सहकारी संस्थाओं के पास नहीं जा सकते। जहां तक भूमि बन्धक बैंकों का सम्बन्ध है वे अब अपने संसाधन ऋण पत्रों को, साधारणतया १५ वर्ष की अवधि तक के लिए, परिचालित करके प्राप्त करते हैं। इसलिए वे इससे अधिक समय तक के लिए उधार नहीं दे सकते क्योंकि स्वयं ऋण पत्र १५ वर्ष की अवधि तक के लिए ही हैं।

कई योजनायें और परियोजनायें जो गत कुछ वर्षों में तैयार की गई हैं आरम्भ नहीं की जा सकतीं अथवा उनकी वित्त व्यवस्था संतोषप्रद रूप से उन सीमित क्षेत्रों में नहीं की जा सकती जिनमें ये समितियां और बैंक कार्य करते हैं।

कुछ योजनायें ऐसी हैं जैसे जिन क्षेत्रों में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं से सिंचाई होती है उनका नियोजित और दीर्घकालीन विकास, भूमि को कृषि-योग्य बनाना, भू-संरक्षण की कुछ योजनायें, और रबर, चाय और काफी का रोपण और पुनः रोपण जिनसे अन्त में काफी लाभ की संभावना है। किन्तु इन समितियों द्वारा उनकी वित्त व्यवस्था किये जाने की आशा इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि ये समितियां अल्प-कालीन अवधियों के लिये ही वित्त उपलब्ध करवा सकती हैं।

यह स्वाभाविक ही है। ये समितियां इन दीर्घ कालीन योजनाओं की वित्त व्यवस्था नहीं कर सकतीं क्योंकि इनसे प्रतिफल शीघ्र ही नहीं मिलते। कुछ अन्य मामलों में जहां संलग्न क्षेत्रों में भूमि सुधार अथवा भूमि के उपयोग या कृषि प्रणालियों में बड़े परिवर्तन की योजना भी, जो संभवतः सरकारी अभिकरणों के पर्ण पर्यवेक्षण के अधीन होती हैं, बनाई जाती हैं, अन्तग्रस्त राशि और वह अवधि जिसके लिए उधार की आवश्यकता होती है ऐसे होते हैं कि वर्तमान संस्थायें इन परियोजनाओं को नहीं चला सकतीं।

इसलिए इन नई संस्थाओं का प्रयोजन यह है कि हमारे कृषि विकास कार्यक्रम की कमियों को दूर करें। यह उन परियोजनाओं की, जो व्यापारिक रूप से लाभप्रद हैं और जो अन्त में कृषि उत्पादन के स्तर को काफी ऊंचा उठाने में सहायक होंगी, वित्त व्यवस्था करेंगी। अवशिष्ट ऋणदाता के रूप में सावधि-ऋण की व्यवस्था करते हुए ये नई संस्थायें इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगी

कि जो रुपया यह देती हैं उसका उचित उपयोग किया जाता है। और इन निधियों के उपयोग पर सब अवस्थाओं में समुचित नियंत्रण है। हमें यह भी याद रखना है कि जिन इकाइयों अथवा उपक्रमों की वित्त व्यवस्था ये करती हैं इस योग्य बना दिया जाये कि उनका स्थायी और दृढ़ आर्थिक विकास हो जिससे ये अन्त में लाभप्रद सिद्ध हो सकें।

निगम का पूंजीगत प्रारूप, स्वामित्व तथा प्रबन्ध और कार्य संचालन प्रणाली की व्याख्या विधेयक से संलग्न खंडों पर टिप्पणियों में भली प्रकार कर दी गई है। इसलिये मैं इस समय इन खंडों के उपबन्धों को विस्तार से समझा कर सभा का समय नष्ट करना नहीं चाहूंगी। सदस्यों ने उन्हें पढ़ लिया होगा। किन्तु मैं उन में से दो विशिष्ट उपबन्धों का बहुत संक्षेप में उल्लेख करूंगी।

पहली बात जिस पर मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी यह है कि निगम, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक पुनर्वित्त व्यवस्था करने वाला अभिकरण है। ऋण देने का कार्य यह बहुत असाधारण परिस्थितियों में ही कर सकता है। दूसरी बात जो मेरे विचार से दिलचस्प होगी, यह है कि इस विधेयक में निगम द्वारा दिये जाने वाले उधार और पेशगियों या ऋणपत्रों के सम्बन्ध में उपयुक्त राज्य सरकारों द्वारा प्रत्याभूति का भी उपबन्ध है।

यह प्रस्ताव सोच विचार के पश्चात तैयार किये गये हैं और इनका अभिप्राय निगम को सशक्त बनाना तथा उसे संरक्षण देना है। निगम का एपेक्स सहकारी तथा भूमि बन्धक-बैंक द्वारा ऋण अथवा अग्रिम-धन देने का प्रबन्ध मितव्ययी होगा, और यह निगम की निधियों की सुरक्षितता को भी सुनिश्चित करेगा, अतः इससे उन मात्र संस्थाओं द्वारा, जो कि पुनर्वित्त की सुविधाओं के हक्कदार हैं, उपस्थित किये गये विभिन्न प्रस्तावों की पर्याप्त परिनिरीक्षा भी होगी। राज्य सरकारों द्वारा, निगम द्वारा स्वीकृत ऋणों के लिए प्रत्याभू होने के नाते, विभिन्न परियोजनाओं आदि में अधिक सक्रियता से दिलचस्पी लेने में प्रोत्साहन मिलेगा। चूंकि राज्य सरकारें इस मामले में अधिक रुचि लेंगी, हम आशा करते हैं कि निगम द्वारा जो भी पग उठाये जायेंगे उन में अधिक सफलता प्राप्त होगी और परियोजनायें समय आने पर बहुत लाभदायक तथा वाणिज्यिक दृष्टि से आकर्षणीय बन जायेंगी।

निगम को आरम्भिक अवस्थाओं में भारत के रक्षित बैंक द्वारा उपलब्ध संसाधनों पर अधिक निर्भर रहना पड़ेगा। यह मुझे विस्तारपूर्वक बताने की आवश्यकता नहीं है कि रक्षित बैंक का इस नई संस्था के साथ इतना घनिष्ठ सम्बन्ध क्यों है, क्योंकि रक्षित बैंक जितनी रुचि ग्राम ऋण कार्यक्रम में लेता रहा है उससे सभा भली प्रकार परिचित है।

रक्षित बैंक जिस प्रकार देश के कृषि विकास के कार्यों में रुचि लेता रहा है उससे पिछले २५ वर्षों में इसने बहुत विख्याति प्राप्त की है, और बैंक ने सहकारी वित्त, कृषि के उपायों, यहां तक कि व्यक्तिगत सहकारी बैंकों तथा संस्थाओं के निजी कार्यों का भी ज्ञान प्राप्त किया है, क्योंकि इन सहकारी संस्थाओं के लिए रक्षित बैंक मुख्य वित्त अभिकरण रहा है। इस ज्ञान-प्राप्ति के साथ साथ रक्षित बैंक वर्तमान सहकारी संस्थाओं को पुनर्जीवित करने में प्रमुख रहा है, इन की आवश्यकताओं के अनुसार मध्यम कालीन ऋण उपलब्ध करता रहा है, और उनके सन्तोषजनक कार्यों को देख कर इनकी ऋण-शोधक क्षमता को बढ़ाता रहा है और इस प्रकार सहकारी संस्थाओं के सम्मान को भी बढ़ाता रहा है।

रक्षित बैंक ऐसे अनुभव तथा ज्ञान को निगम के लिए उपलब्ध कराने को तैयार है चूंकि वह सहकारी बैंकों अथवा सहकारी ऋण अभिकरणों के लिए भी ऐसा ही करता रहा है। बैंक तो इससे भी आगे बढ़ कर, आरम्भिक वर्षों में निगम के लिए कर्मचारी तथा अन्य प्रकार की सुविधायें उपलब्ध करने के अतिरिक्त, स्वयं अपने शेयरों की प्रदत्त पूंजी पर [illegible] होने वाले लाभांश को १५

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

वर्ष तक सूद-रहित रूप में निगम के पास रख कर उसे बड़ी मात्रा में अर्थोपाय सहायता भी देगा। यह है वह रियायत जो रक्षित बैंक निगम के लिए उपलब्ध करेगा।

मुझे विश्वास है कि सभा रक्षित बैंक द्वारा इस संस्था में ली जा रही रुचि का स्वागत करेगा। इस प्रकार की संस्था की सहायता करके, जिससे हमारी ऋण संरचना के अन्तरों की पूर्ति होगी, और अच्छी प्रकार की परम्परायें स्थापित करने में सहायक होकर, रक्षित बैंक हमारा काफी बोझा हल्का करेगा।

पूर्व इसके कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि यह नई संस्था, जिसे स्थापित करने का हम प्रस्ताव कर रहे हैं, उन वर्तमान अभिकरणों की जिनका सम्बन्ध ग्राम-ऋण कार्य के साथ है, अनुपूरक सिद्ध होगी न कि उनका स्थान लेने वाली। इस विधेयक द्वारा हम यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कुछ अच्छी परियोजनायें अथवा योजनाओं, जो कि सहायता की पात्र हैं परन्तु जिनकी सहायता सम्बन्धी दीर्घ-कालीन आवश्यकताओं के कारण अवहेलना होने का डर है, उनको बढ़ते हुए कृषि उत्पादन तथा कृषि के अधिक वैज्ञानिकन के लिए सहायता मिल सके। यदि हमारी संपरीक्षा सफल रही तो यह नया निगम आगे चल कर और बड़े बोझ भी उठा सकेगा। परन्तु जब तक वैसा नहीं होता तब तक वर्तमान व्यक्ति अथवा अभिकरण अपने संसाधनों को जुटाने के अपने प्रयत्नों में ढील नहीं करेंगे। ऐसा करना आवश्यक है, इसलिए, ताकि हम कृषि ऋण सम्बन्धी अथवा खाद्यान्न आदि का उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

मुझे विश्वास है कि इस विधेयक को सभा के सदस्यों का सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त होगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री लहरी सिंह (रोहतक) : डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो अपना भारत देश है इस की जिंदगी का इनहिसार ज्यादातर खेतीबाड़ी पर है। इसकी मांग कि एक ऐसी कारपोरेशन कायम की जाय बहुत दिनों से थी और यह उम्मीद थी कि जल्द से जल्द कोई ऐसी संस्था कायम की जाय जिससे कि लौंग टर्म और मीडियम टर्म के लिए ज़मीन्दारों को और खेती करने वालों को जो ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाये गये हैं, वे कामयाब कर सकें। मैं पहले अर्ज कर दूं कि जहां तक सवाल एक ऐसी कारपोरेशन के कायम करने का है इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं हो सकती। इसके लिए मैं गवर्नमेंट को और खास तौर से मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने यह किया। लेकिन इस कारपोरेशन का काम पांच करोड़ रुपये के इन्ट्रेस्ट-फ्री लोन से शुरू किया जा रहा है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह इतना बड़ा मुल्क है, जिसमें किसान और खेती करने वाले लोग अस्सी परसेंट हैं और इतने प्रोग्राम्ज़ पर अमल किया जाना है। इसके अलावा यहां की आबादी इतनी बढ़ कई गई है कि हम अपनी ज़रूरत का पूरा अनाज पैदा नहीं कर सके हैं और इस वजह से हम कई सौ करोड़ रुपये का अनाज बाहर से मंगवाते हैं। हम बैगर्ज़ की तरह बाहर से अनाज मांगते हैं। अगर हमको वह अनाज न मिले, तो हम ख़त्म हो जायें। यह सब कुछ होते हुए भी इस कारपोरेशन को कोई ग्रान्ट नहीं दी गई है, बल्कि सिर्फ़ पांच करोड़ रुपये के इन्ट्रेस्ट फ्री लोन से इसको स्टार्ट किया जा रहा है।

मैं समझता हूं कि जिस तरह से हम वार परपज़िज़ के लिए मुल्क के तमाम रिसोर्सिज़ को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से इस मामले में भी हम को काम करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम ने इस में सुस्ती की और यह प्रोग्राम आहिस्ता आहिस्ता चलाया गया, तो

---

†मूल अंग्रेजी में

जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है, उस के हिसाब से वह दिन दूर नहीं है, जबकि हमारे रिसोर्सिज़ और हमारी प्राडक्शन किसी शक्ल में भी मुल्क की ज़रूरियात को मीट नहीं कर सकेंगे । मैं चाहता हूं कि जब यह कार्पोरेशन कायम की जा रही है और इस किस्म का अच्छा कदम उठाया जा रहा है, तो एग्रीकल्ट्यर के डेवेलपमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा रुपया भी इस कार्पोरेशन को दिया जाये ।

इस में एक्स्प्लेन नहीं किया गया है कि इन्ट्रेस्ट-फ्री लोन एम्पलाईज़ की तन्ख्वाहें निकालने के लिए दिया जा रहा है, या इस से किसानों और जमींदारों को रुपया मिलना है । यह नहीं बताया गया है कि इस से किसानों को कम इन्ट्रेस्ट पर रुपया मिलेगा या नहीं । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि आज किसान और खेती करने वाला ग़रीब है और वह किसी सूरत में भी हाई इन्ट्रेस्ट नहीं दे सकता ।

आज किसान की पैदावार को कंट्रोल किया जा रहा है । उस पर सीलिंग लगाई जा रही है और यह कोशिश की जा रही है कि उस के भाव न बढ़ने पायें । आप देखिए कि सरकार कपास के भावों को कितना नीचे ले आई है । गुड़ की फ़ार्वर्ड ट्रेडिंग को बन्द कर दिया गया है और उस के भाव भी नीचे गिरते जा रहे हैं । कई जगह गुड़ और खण्डसारी के बनाने को बैन कर दिया गया है । इस तरह यह कोशिश की जा रही है कि गन्ने के भाव न बढ़ने पायें । मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर इस के साथ ही किसान को सस्ते और मामूली रेट आफ़ इन्ट्रेस्ट पर लांग-टर्म या मीडियम-टर्म लोन न दिये जायेंगे, तो वह कामयाब नहीं हो सकेगा और इस मुल्क में एग्रीकल्ट्यर का डेवेलपमेंट नहीं हो सकेगा । इस बात पर ग़ौर किया जाये । **टु स्टार्ट विद** पांच करोड़ रुपये दिये जाने चाहिएं । इस बिल में कहा गया है कि पांच करोड़ रुपये का इन्ट्रेस्ट फ़्री लोन दिया जायगा । इस को फ्लैक्सिबल रखना चाहिए ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : फ़र्स्ट इन्स्टैंस में पांच करोड़ रुपये रुपये रखे गये हैं ।

श्री लहरी सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि पांच करोड़ रुपये की रकम है क्या । जब सरकार इतने करोड़ रुपये अमरीका, आस्ट्रेलिया और कैनेडा वग़ैरह को अनाज के लिए देती है, तो उस के मुकाबले में पांच करोड़ रुपये क्या चीज़ है । अव्वल तो यह चाहिए था कि कार्पोरेशन को दस पंद्रह करोड़ रुपये ग्रान्ट की शक्ल में दे दिये जाते, ताकि उस के रिसोर्सिज़ डवलप हों । जहां तक शयर्ज़ का सवाल है, शुरू शुरू में सारे शेयर्ज़ नहीं बिकेंगे, जैसाकि इस में प्रोवाइड किया गया है । क्या यह रकम १७ स्टेट्स की वांट्स को पूरा कर सकेगी ? अगर इस मद्धम रफ्तार से कदम उठाया जायेगा, तो मुल्क की बढ़ती हुई आबादी के पेशे-नज़र क्या हमारी प्राडक्शन उस की वांट्स को मीट कर सकेगी ?

हम वार परपज़िज़ के लिए इतना रुपया ख़र्च कर रहे हैं । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि पैदावार और एग्रीकल्ट्यर का मसला भी वार परपज़िज़ से कम नहीं है । अगर अमरीका, कैनेडा और आस्ट्रेलिया हम को अनाज न दें, तो हम को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा ? यह नहीं कि मैं इस कदम को वैलकम नहीं करता हूं । मैं इस बिल को वैलकम करता हूं, लेकिन आप ज़रा फ़ंड्ज़ की तरफ़ भी देखिए । एग्रीकल्ट्यर के डेवेलपमेंट के लिए पांच करोड़ रुपये का इन्ट्रेस्ट-फ़्री लोन क्या चीज़ है ?

जहां तक शार्ट-टर्म लोन्ज़ का ताल्लुक है, सरकार दो ढाई परसेंट पर देती है । इस में कोई प्राविज़न नहीं है । यह कहा गया कि रिज़र्व बैंक से ले लें, डीबेंट्यर्ज़ ले लें । इस सिलसिले में एपेक्स बैंक्स और लैंड मार्गेज बैंक्स से लोन लेने का भी ज़िक्र किया गया है । मैं ने मद्रास और पंजाब में देखा

[श्री लहरी सिंह]

है कि शार्ट-टर्म लोन्ज़ के बारे में क्या हो रहा है। रिज़र्व बैंक ने तो दो ढाई परसेंट पर लोन दिया, लेकिन ग़रीब किसान को तो आठ नौ परसेंट पर वह लोन मिलता है। मैं ने बम्बई में पूछा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो उन्हों ने कहा, "वाह, हम गारण्टी दे रहे हैं। हम दो ढाई परसेंट पर शार्ट-टर्म लोन कैसे दें ?" मैं आप को बताना चाहता हूं कि एपेक्स बैंक्स बहुत क्रुएल हैं और बहुत सख्ती से काम लेते हैं। वे बैंक ऐसे आदमियों के हाथ में हैं, जिन को खेती और खेती करने वालों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। इसी तरह लैंड मार्गेज बैंक्स भी सख्ती से काम ले रहे हैं। सरकार इस बात की एन्क्वायरी करायें। रिज़र्व बैंक तो ढाई तीन परसेंट पर लोन देता है, लेकिन जिस के फ़ायदे के लिए ये लोन हैं, उस को आठ नौ परसेंट से कम पर रुपया नहीं मिलता है।

मैं ने पंजाब में इस बारे में कहा, तो उन्हों ने कहा कि मार्केट में यह भाव है। आज उस ग़रीब आदमी से मार्केट के भाव पर रेट आफ़ इन्ट्रेस्ट लेना कहां तक जायज़ है, जिस के लड़के आज जंग के मैदान में लड़ रहे हैं ? आज उस की ज़मीन पर तीस स्टेंडर्ड एकड़ की सीलिंग लगा दी गई है। ऐसे आदमी के डेवेलप होने के चांसिज़ बहुत थोड़े हैं।

इस बिल में कोई गारण्टी नहीं दी गई है कि लांग-टर्म और मीडियम-टर्म लोन के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्ट्रेस्ट क्या होगा। सरकार की तरफ से बड़ी शान से कह दिया गया है कि यह स्टेट गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। लेकिन इस सरकार का भी तो कुछ कंट्रोल है। यह ठीक है कि इस बिल में सब बातें और कन्डीशन्ज़ नहीं रखी जा सकती हैं, लेकिन जो रेगुलेशन्ज़ बनने हैं, उन में इन बातों का मुनासिब इन्तज़ाम किया जा सकता है। मेरी दरख्वास्त यह है कि जब रेगुलेशन्ज़ बनें, तो रिज़र्व बैंक, लैंड मार्गेज बैंक्स, एपेक्स बैंक्स और स्टेट गवर्नमेंट्स को इस किस्म की डायरेक्शन्ज़ दी जायें कि किसान से ज्यादा रेट आफ़ इन्ट्रेस्ट न लिया जाये। अगर उस से ज्यादा रेट आफ़ इन्ट्रेस्ट लिया गया, तो मैं समझता हूं कि किसी शक्ल में हम मुल्क के एग्रीकल्ट्यर को डेवेलप करने के अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि किसान इतना रेट आफ़ इन्ट्रेस्ट नहीं दे सकता है, उस को देने की उस की ताकत ही नहीं है।

मिनिस्टर साहब ने फ़रमाया कि हम उन प्राजेक्ट्स के लिए देंगे, जोकि कामयाब हों। मैं कहना चाहता हूं कि मुल्क में कुछ तो डैम्ज़ बनाये गये हैं, जहां दरयाओं का पानी जा सकता है। ज़मींदार को सब से पहले मैन्योर और पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में, बल्कि हर एक सूबे में, ऐसा बहुत सा रकबा पड़ा हुआ है, जहां दरयाओं और डैम्ज़ से पानी नहीं जा सकता है। इतनी फ़ैसिलिटी नहीं है और दरयाओं का पानी लिमिटेड है। इसलिए वहां के लोग बारिश पर डिपेंडेंट हैं। सैकंड और थर्ड फ़ाइव-यीअर प्लान्ज़ में यह कहा गया कि डीप ट्यूबवैल्ज़ का एक्सेपेरिमेंट कर के देखेंगे। एक्सेपेरिमेंट तो हो चुके, लेकिन इस तरफ़ एक कदम भी नहीं उठाया गया। डीप ट्यूबवैल्ज़ पर बहुत रुपया लगता है। अगर कई किसान या गांव इकट्ठे हो कर रुपया लें, तो भी डीप ट्यूबवैल्ज़ की प्राजेक्ट के बारे में पहले से कैसे कहा जा सकता है कि वह कामयाब होगी या नहीं। टैस्ट में ही पांच सात लाख रुपये लग जायेंगे। उस में कई कई हज़ार फ़ीट पर पानी देखना होता है। इसलिए अगर डीप ट्यूबवेल्ज़ के ज़रिये पानी न मुहैया किया जा सका, तो किसान कहां से व्हीट और अनाज पैदा कर के देगा ? ऐसी सूरत में डीप ट्यूबवैल की प्राजेक्ट्स के साथ पहले से इस किस्म की शर्त लगाना ठीक नहीं है कि अगर वे कामयाब होंगी, तो लोन मिलेगा। कौन ऐसा बेवकूफ़ ज़मींदार होगा, जो इतने हाई इन्ट्रेस्ट पर लोन ले कर इस तरह एक्सपेरिमेंट करेगा ? मेरा ख़याल तो यह है कि खेती करने वाले गवर्नमेंट को ही अपनी ज़मीनें सौंप देंगे और कहेंगे कि हम से यह काम नहीं हो सकता, आप ही हमारी ज़मीन सम्भालो, ट्यूबवैल वग़ैरह लगाओ और सब काम करो, हम को तो थोड़ा मुनाफ़ा दे देना।

ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि रेगुलेशन्ज के बारे में स्टेट्स और जमींदारों को कंसल्ट किया जाये और तमाम हालात को देख कर और बहुत सोच समझ कर रेगुलेशन्ज बनाये जायें । अगर किसानों को कम रेट आफ़ इन्ट्रेस्ट पर रुपया मिलेगा, तभी हमारी थर्ड फ़ाइव-यीअर प्लान कामयाब होगी और तभी हमारी प्राडक्शन बढ़ेगी, वर्ना चाहे चार पांच करोड़ रुपये भी दे दिये और शेयर्ज़ भी बेच दिए, लेकिन इस तरह ज़मींदारे को ऊपर नहीं उठाया जा सकता । इस तरह से एग्रीकल्ट्यर डेवेलप नहीं हो सकता और खेती की तरक्की नहीं हो सकती । इस काम में पहले रिस्क लेना पड़ता है । अब सवाल पैदा होता है कि रिस्क कौन ले । रिस्क गवर्नमेंट ही ले सकती है या रिज़र्व बैंक ही ले सकता है । ज़मींदार रिस्क नहीं ले सकता है । पांच लाख का वह ट्यूब वैल लगा ले और कल को वह कामयाब न हो तो ऐसा वह नहीं कर सकता है । इस तरह का रिस्क सैंट्रल गवर्नमेंट या रिज़र्व बैंक जैसी किसी संस्था को ही लेना पड़ेगा । अगर इस तरह से आप नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि पांच करोड़ रुपया दे देने से कोई फायदा नहीं होगा, यह तमाशा बन कर चीज़ रह जायगी और प्रोडक्शन जिस पर आप इतना जोर देते हैं, वह बढ़ नहीं सकेगा और अपने इस उद्देश्य में आप कामयाब नहीं हो सकेंगे । इस वास्ते मैं चाहता हूं कि रेग्युलेशन जब बनाये जायें तो वे बहुत सोच समझ कर बनाये जायें । इस काम के लिए चार पांच करोड़ नहीं ज्यादा से ज्यादा रुपया आप दें, तब आप को कामयाबी हासिल होगी । कितनी ही ज़मीन पड़ी हुई है, कितना ही रकबा पड़ा हुआ है, अस्सी फीसदी लोग ज़मीन पर निर्भर करते हैं, उनको सौ सौ रुपया भी नहीं मिलेगा । ज्यादा रुपया आप दो । यह बड़ा भारी सवाल है । रिस्क भी सैंट्रल गवर्नमेंट या रिज़र्व बैंक को लेना चाहिये, रिस्क लेने की बात को आप ज़मींदार पर नहीं छोड़ सकते हैं । अगर यह आप ने नहीं किया और ज्यादा रुपया भी न दिया तो यह स्कीम सिर्फ कागजों पर ही बन कर रह जायेगी । मैं चाहता हूं कि आप इस तरफ अवश्य ध्यान दें ।

कार्य मंत्रणा समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

†श्री राने (बुल्डाना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का ग्यारहवा प्रतिवेदन उपस्थित करता

इस के पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, २२ जनवरी, १९६३/माघ २, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, २१ जनवरी, १९६३

१ माघ, १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	१—२७
	तारांकित प्रश्न संख्या	
३७०	नेफा में असैनिक प्रशासन	१—५
३७१	चीन भारत सीमा विवाद के बारे में अफ्रीकी एशियाई देशों की प्रतिक्रिया	५—८
३७२	भारतीय युद्ध बन्दी	८—१०
३७३	तीसरी योजना में कटौती	१०—१२
३७५	चीन द्वारा लौटाये गये भारतीय सशस्त्र कर्मचारी	१३—१५
३७६	नई दिल्ली में चीनी राजदूतावास	१५—१७
३७७	हथियारों के संभरण की दीर्घकालीन व्यवस्था	१७ —१९
३७८	ब्रूनेई में भारतीय	१९—२०
३७९	एम आई—४ हेलीकाप्टरों का निर्माण	२०—२१
३८०	राष्ट्रीय सेनाछात्र दल प्रशिक्षण योजना	२१—२३
३८१	राष्ट्रीय मिलीशिया	२३—२४
३८२	राष्ट्रीय स्वयं सेवक सेना	२४—२५
३८३	मिग विमान	२५
३९५	मिग विमान	२६—२७
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—	२७—५७
	तारांकित प्रश्न संख्या	
३७४	केरल में राकेट छोड़ने का केन्द्र	२७
३८४	जवानों के परिवारों का कल्याण	२७—२९
३८५	लोहा और इस्पात के लिए मजूरी बोर्ड	२९
३८६	कटंगा में बन्दी बनाये गये भारतीय सैनिक	२९

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों क लिखित उत्तर—जारी

तारांकित
प्रश्न संख्या

३८७	आसाम की अर्थ व्यवस्था	२९–३०
३८८	अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोगों के बारे में सम्मेलन	३०
३९०	रेलवे कर्मशालाओं में रक्षा सामग्री का निर्माण	३०
३९१	सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी	३०–३१
३९२	मोजमबीक में भारतीय	३१
३९३	कलकत्ते में युद्ध सामग्री की कथित बिक्री	३१–३२
३९४	कोलम्बो सम्मेलन	३२
३९६	ब्रिगेडियर होशियार सिंह की मृत्यु	३३
३९७	कांगो में भारतीय सैनिक	३३–३४
३९८	प्रतिरक्षा कार्य	३४
३९९	सेना की साप्ताहिक पत्र पत्रिकायें	३४

अतारांकित
प्रश्न संख्या

८७३	श्रीनगर-लेह सड़क	३४–३५
८७४	आयुध कारखानों में उत्पादन	३५
८७५	शस्त्र सहायता	३५
८७६	पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड	३६
८७७	भारतीय युद्ध बन्दी	३६
८७८	भारतीय सेनाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम का पुर्ननिर्धारण	३७
८७९	मिग विमानों के लिये चालकों का प्रशिक्षण	३७
८८०	अखबारी कागज की मांग	३७–३८
८८१	हज यात्री	३८
८८२	राष्ट्रीय विचारों वाली फिल्मों का निर्माण	३८
८८३	कोहिमा में रेडियो स्टेशन	३८–३९
८८४	केरल में रक्षा कोष के धन का दुरुपयोग	३९–४०
८८५	उद्योगों में श्रमिकों द्वारा अधिक समय तक किया गया काम	४०
८८६	सीमा सड़क विकास बोर्ड	४१
८८८	चीनी विमानों द्वारा भारतीय वायु क्षेत्र का अतिक्रमण	४१–४२
८८९	उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल	४२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जा ी		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
८९०	प्रतिरक्षा सेवाओं के अधिकारियों का विदेशों में प्रशिक्षण	४२
८९१	कर्नल भट्टाचार्य . .	४२–४३
८९२	अस्पतालों में जवान . .	४३
८९३	सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए रेडियो सेट . . .	४३–४४
८९४	चीनियों द्वारा नेफा के खाली किये गये क्षेत्र में सुरंगों का बिछाया जाना .	४४
८९५	जवानों के लिए भूमि . .	४४
८९६	कोयला उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड	४५
८९७	सिंगरेनी की कोयले की खानें	४५
८९८	भारतीयों का चीन से निष्क्रमण .	४५
८९९	चीनियों द्वारा ले जाई गई असैनिक सम्पत्ति . .	४६
९००	आकाशवाणी प्रसारणों का बी० बी० सी० द्वारा रिले किया जाना .	४६
९०१	मोनाजाइट . . .	४६–४७
९०२	भारत और रूस के बीच जन सम्पर्क . .	४७
९०३	सीमावर्ती सड़कों का निर्माण . .	४७
९०४	चीन–पाकिस्तान सीमा समझौता . .	४८
९०५	शंघाई में भारतीय राष्ट्रजन . .	४८
९०६	समाचार पत्रों में सरकारी विज्ञापन	४९
९०७	नेफा में संग्रामिक अनुसन्धान .	४९
९०८	विद्रोही नागाओं की कार्यवाहियां .	४९
९०९	भारतीय सेना में अवैतनिक पद . . .	५०–५१
९१०	राष्ट्रीय सेना छात्र दल के छात्र सैनिकों को पहाड़ी युद्धकला में प्रशिक्षण . . .	५१
९११	विद्युत् एवं शक्ति संसाधनों का सर्वेक्षण . . .	५१–५२
९१२	नेफा और लद्दाख क्षेत्र में भारतीय सेना के पीछे हटने के सम्बन्ध में जांच	५२
९१३	योल खास	५२
९१४	सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्डों के कर्मचारी . .	५३
९१५	सैनिक पेंशनें	५३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६१६ सेना आयुध दल के सुरक्षा कर्मचारियों को पेंशनें . . ५४

६१७ सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी ५४

६१८ त्रिपक्षीय औद्योगिक समझौता संकल्प . . ५५

६१९ 'टस्कर' के विरुद्ध शिकायतें ५५

६२० भारतीय पुलिस कर्मचारियों का पाकिस्तानियों द्वारा अपहरण . ५६

६२१ पेकिंग रेडियो के प्रसारण . . . . ५६—५७

६२१-क तीसरी योजना के लिये परिवहन लक्ष्य . . . ५७

निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . . . ५७—५८

अध्यक्ष महोदय ने पंडित ठाकुर दास भार्गव, जो केन्द्रीय विधान-सभा, भारत की संविधान सभा, अन्तरिम संसद् और पहली तथा दूसरी लोक-सभा के सदस्य थे, श्री जे० एच० सुब्बया, जो अन्तरिम संसद् के सदस्य थे, श्री लक्ष्मी नारायण साहू, जो भारत की संविधान सभा के सदस्य थे और श्री कुलधर चालिहा, जो केन्द्रीय विधान सभा, भारत की संविधान सभा और अन्तरिम संसद् के सदस्य थे, के निधन का उल्लेख किया।

इसके पश्चात् सदस्य दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर तक मौन खड़े रहे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ५८—६०

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) १० और १२ दिसम्बर, १९६२ के बीच कोलम्बो में हुए छै तटस्थ-राष्ट्रों के सम्मेलन के प्रस्ताव।

(दो) १२ और १३ जनवरी, १९६३ को भारत के प्रधान मंत्री और उनके सहयोगियों के साथ हुई बैठकों में श्रीलंका, संयुक्त अरब गणराज्य और घाना के प्रतिनिधिमंडलों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण।

(२) रेलवे दुर्घटना समिति, १९६२ की रिपोर्ट (भाग १) की एक प्रति उस पर रेलवे बोर्ड की टिप्पणियों सहित।

(३) भारत की प्रतिरक्षा अधिनियम, १९६२ की धारा ४१ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १७ नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १५१९, जिसमें दिनांक ५ नवम्बर १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस०

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

आर० १४६५ में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा नियम, १९६२ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(दो) दिनांक २४ नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १५५५, जिसमें दिनांक ५ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या १४६५ में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा नियम, १९६२ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(तीन) दिनांक २२ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५६२ में प्रकाशित असैनिक प्रतिरक्षा सेवा नियम, १९६२।

(चार) दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १६४६, जिसमें दिनांक २४ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५९३ में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा (संशोधन) नियम, १९६२ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(पांच) दिनांक १५ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १६९१, जिस में दिनांक ५ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४६५ में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा नियम, १९६२ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(छः) दिनांक १३ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७१५ में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा (अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन) नियम, १९६२।

(सात) दिनांक २८ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८१३ में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२।

(आठ) दिनांक १० जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९१ में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा (दूसरा संशोधन) नियम, १९६३।

(४) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २४ नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १५७०।

(दो) दिनांक १ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १६२४।

(तीन) दिनांक २२ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १७५६।

विषय — पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

(चार) दिनांक २२ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १७५७।

(पांच) दिनांक २२ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १७५८।

(५) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा १ के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक १ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६२५ की एक प्रति जिसके द्वारा उक्त अधिनियम को २० अथवा अधिक कर्मचारियों को काम पर लगाने वाली प्रत्येक बाक्साइट खान पर लागू किया गया है।

(६) अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त द्वारा अपनी वर्ष १९५९–६० की वार्षिक प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही का विवरण।

(७) व्यक्तिगत घाव (आपातकालीन उपबन्ध) अधिनियम, १९६२ की धारा ३ की उपधारा (७) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ५ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ४० में प्रकाशित व्यक्तिगत घाव (आपातकालीन उपबन्ध) योजना, १९६२।

(दो) दिनांक ५ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ४१ में प्रकाशित व्यक्तिगत (आपातकाल) विनियम, १९६२।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ६१

(एक) सचिव ने संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और १० दिसम्बर, १९६२ को सभा को दी गई अन्तिम प्रतिवेदन के पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित बिल सभा की टेबल पर रखे —

(१) उपहार-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२

(२) करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६२

(३) मनीपुर (मोटर स्पिरिट तथा स्नेहक तेलों की बिक्री) करारोपण विधेयक, १९६२

(४) दिल्ली मोटर गाड़ियां करारोपण विधेयक, १९६२

(दो) सचिव ने संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और १० दिसम्बर, १९६२ को सभा को दी गई अन्तिम प्रतिवेदन के पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधयकों की प्रतियां भी, राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत रूप में, सभा पटल पर रखीं :—

(१) विदेशियों सम्बन्धी विधियां (लागू करना तथा संशोधन) विधेयक, १९६२

विषय पृष्ठ

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति—जारी

(२) कम्पनीज (संशोधन) विधेयक, १९६२

(३) बिजली (संभरण) संशोधन विधेयक, १९६२

(४) हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा पोषण (संशोधन) विधेयक, १९६२

(५) धातु के टोकन (संशोधन) विधेयक, १९६२

(६) पांडिचेरी (प्रशासन) विधेयक, १९६२

(७) पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) विधेयक, १९६२

(८) भारत की प्रतिरक्षा विधेयक, १९६२

(९) सीमा शुल्क विधेयक, १९६२

(१०) राज्य-सहयोजित बैंक (विविध उपबन्ध) विधेयक, १९६२

(११) भांडागार निगम विधेयक, १९६२

(१२) व्यक्तिगत घाव (आपातकालीन उपबध) विधेयक, १९६२

(१३) बहु-एकक सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, १९६२

(१४) परिसीमन आयोग विधेयक, १९६२

(१५) आपातकालीन जोखिम (माल) बीमा विधेयक, १९६२

(१६) आपातकालीन जोखिम (कारखानें) बीमा विधेयक, १९६२

(१७) कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, १९६२

(१८) श्रमजीवी पत्रकार (संशोधन) विधेयक, १९६२

(१९) संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६२

(२०) संविधान (चौदहवां संशोधन) विधेयक, १९६२

मंत्री द्वारा वक्तव्य ६२-६३

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) ने निम्नलिखित वक्तव्य दिये :

(१) ४ जनवरी, १९६३ को पूर्वोत्तर रेलवे के उमेशनगर स्टेशन पर हुई अवैध—तिरहुत मेल और पैसेंजर रेलगाड़ी की टक्कर।

(२) कटक के निकट महानदी पर बन रहे रेलवे पुल पर १५ जनवरी, १९६३ को हुई दुर्घटना।

विधेयक पुरःस्थापित ६३

संविधान (सोलहवां संशोधन) विधेयक, १९६३

विषय पृष्ठ

विधेयक पारित . . . . . ६४—११४

(१) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) ने प्रस्ताव किया कि भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात् विधयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

(२) विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) ने प्रस्ताव किया कि लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित हुआ ।

(३) शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) ने प्रस्ताव किया कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन (संशोधन) विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

विधेयक विचाराधीन . . . . . ११४—१२१

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) ने प्रस्ताव किया कि कृषि पुनर्वित निगम विधेयक पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . १२१

ग्यारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

मंगलवार २२ जनवरी, १९६३/२ माघ, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि .

कृषि पुनर्वित्त निगम विधेयक पर अग्रेतर विचार तथा उसका पारित किया जाना और संविधान (सोलहवां संशोधन) विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव पर चर्चा ।

GMGIPND—LS III—2560 (Ai) LSD—8-2-63—140.

	पृष्ठ
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९६२ . . .	७२
विचार करने का प्रस्ताव . .	७२
श्री अ० कु० सेन . .	७२–७३
श्री सिंहासन सिंह . .	७३–७४
श्री सरजू पांडेय .	७४–७५
श्री बड़े	७५
श्री अ० ना० विद्यालंकार	७५–७६
श्री दा० शि० पाटिल .	७६–७७
श्री हेडा .	७७–७८
श्री मलाईछामी .	७८
श्री यशपाल सिंह . .	७८–७९
डा० सरोजिनी महिषी .	८०
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंधवी . .	८०
डा० मा० श्री० अणे . . .	८०
श्री कुं० कृ० वर्मा . .	८०–८१
श्री राम सेवक यादव . .	८१—८३
खंड १ और २	८३—८६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . .	८३
श्री अ० कु० सेन	८४—८६
हिन्दी साहित्य सम्मेलन (संशोधन) विधेयक . . .	८७
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	
डा० का० ला० श्रीमाली . .	८७
श्री हरि विष्णु कामत . .	८७–८८
श्री स० मो० बनर्जी . .	८८—९०
श्री प्रकाशवीर शस्त्री . . .	९०—९३
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंधवी . .	९३–९४
श्री अ० ना० विद्यालंकार	९४–९५
श्री शिव नारायण . . .	९६–९७
श्री सरजू पांडे . . .	९७–९८
श्री यु० सिं० चौधरी . . .	९८—१०१
श्री गौरी शंकर कक्कड़ .	१०१—०२
श्री बिशनचन्द्र सेठ . .	१०२—०४
श्री राम सेवक यादव	१०४—०५

विषय-सूची—जारी

	पृष्ठ
हिन्दी साहित्य सम्मेलन (संशोधन) विधेयक—जारी	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—जारी	
डा० सरोजिनी महिषी	१०५—०७
श्री विश्राम प्रसाद	१०७–०८
श्री द्वा० ना० तिवारी	१०८—१०
डा० मेलकोट	११०—१२
खंड २ से ४ और १ . .	११२—१४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	११३
डा० का० ला० श्रीमली	११३–१४
कृषि पुनर्वित्त निगम विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	११४—१२१
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	११४—१८
श्री लहरीसिंह	११८—२१
कार्य मंत्रणा समिति—	१२१
ग्यारहवां प्रतिवदन .	
दैनिक संक्षेपिका	१२२—२९

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।